रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17—दिसम्बर 23, 2011 (अग्रहायण 26, 1933)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17—DECEMBER 23, 2011 (AGRAHAYANA 26, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	1461
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1233
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	15
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	2263
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	3987
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	6057
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	999
भाग V—अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1461
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1233
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	15
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2263
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3987
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	6057
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	999
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2011

सं. 135-प्रेज/2011--भारत के राजपत्र के भाग-I, भाग-1 में दिनांक 11 अक्तूबर, 2008 को प्रकाशित इस सचिवालय की सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से संबंधित दिनांक 15 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 92-प्रेज/2008 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

अधिसूचना का पृष्ठ संख्या 61

के स्थान पर :

श्री सतबीर सिंह
निरीक्षक
डी एम डब्ल्यू/पटना
रेल मंत्रालय

पढ़ा जाए :

श्री सतबीर सिंह
निरीक्षक
डी एम डब्ल्यू/पटियाला
रेल मंत्रालय

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 136-प्रेज/2011--राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. जी. राममोहन राव,
उप-निदेशक

2. के. सुधाकर चारी
हैड कांस्टेबल

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

आंध्र प्रदेश पुलिस, एस आई बी के श्री जी. राममोहन राव, प्रभारी उप-निरीक्षक और श्री के. सुधाकर चारी हैड कांस्टेबल को विश्वस्त सूचना मिली कि सोलीपेटा कोंडल रेड्डी उर्फ टेच रामन, सी पी आई (माओवादी) का राज्य समिति सदस्य प्लाटून के साथ तडवई पुलिस सीमा में बंडाला के जंगल में घूम रहा है। इस पर उन्होंने एक अभियान की योजना बनाई और दिनांक 11.03.2010 को जिला पुलिस पार्टी सहित तडवई से रवाना हुए और दिनांक 12.03.2010 को पूर्वाह्न 03.00 बजे डब्बाथोगुवागू जा पहुंचे जी. राममोहन राव और के. सुधाकर चारी विशेष पार्टी का सावधानीपूर्वक नेतृत्व करते हुए "डुरगांगुट्टा" पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए और पहाड़ी की चोटी के कोने में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं। जब श्री जी. राममोहन राव ने एक माओवादी संत्री को देखा, तब स्थानीय उप-निरीक्षक ने अपनी पहचान बता दी और उन्हें आत्म समर्पण करने की चेतावनी दी। चेतावनी की कोई परवाह न करते हुए, माओवादी संत्री और उनके कैडरों ने पुलिस को मारने के इरादे से गोलीबारी करना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी ने गोलाबारी से बचने के लिए पेड़ों और पत्थरों की आड़ ले ली।

उस समय, श्री जी. राममोहन राव, कार्यालय प्रभारी उप-निरीक्षक और के. सुधाकर चारी, हैड कांस्टेबल ने सशस्त्र काडरों से घिरे एक माओवादी को एके-47 राइफल से गोलियां चलाते देखा। श्री जी. राममोहन राव ने उसकी पहचान टेच रामन के रूप में की। दोनों ही पुलिस पार्टियों ने अपनी सुरक्षा और जान की परवाह किए बिना अपनी आड़ (कवर) से बाहर निकलकर माओवादियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया जो उन पर गोलियां बरसा रहे थे और भारी हमला कर रहे थे। पुलिस की यह कार्यवाई पूरी तरह जान की बाजी थी। श्री जी. राममोहन राव माओवादियों द्वारा चलाई जा रही गोलियों से बाल-बाल बचे। दो गोलियां श्री के. सुधाकर चारी, हैड कांस्टेबल की गरदन को लगभग छूती हुई निकल गई। यह गोलाबारी कुछ समय तक चलती रही।

मुठभेड़ के बाद सोलीपेटा कोंडल रेड्डी उर्फ टेच रामन, राज्य समिति सदस्य, सी पी आई (माओवादी) मृत पाया गया। इस गोलीबारी में मुठभेड़ स्थल से पुलिस पार्टी ने 01 एके-47 राइफल, एके-47 राइफल की 01 मैगजीन, 02 किट बैंग आदि बरामद किए। दिनांक 12.03.2010 को हुई इस गोलाबारी के बाद पुलिस पार्टी ने मृतक के किट बैगों की तलाशी ली जिसमें उसे डोर नं. 4-1, पाडीपरू गांव, टानुकू मंडल, पश्चिमी गोदावरी जिले का पता मिला। इस सुराग के आधार पर भूपलापल्ली के पुलिस निरीक्षक और वारंगल जिले के स्टाफ कर्मियों सहित जी. राममोहन राव और के. सुधाकर चारी उक्त गांव पहुंच गए और तलाशी करवाई जिसमें 1000 ग्रेनेड तथा 6 रॉकेट लॉन्चर/मोर्टर बनाने के लिए रखे गए कलपुरजे बरामद किए। यह मामला तडवई पुलिस स्टेशन की क्रिमिनल संख्या 27/2010 से संबंधित है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री जी. राममोहन राव, उप निरीक्षक और के. सुधाकर चारी, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.03.2010 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 137-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री लूमेट तुरुंग (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 04.01.2010 को लगभग 9.30 बजे एस टी एफ के 08 (आठ) कार्मिकों अर्थात् (1) कांस्टेबल सुनील नाथ, (2) कांस्टेबल अंजन सेन, (3) कांस्टेबल अशित रॉय, (4) कांस्टेबल राज कुमार मिली, (5) कांस्टेबल रीनूमोनी बोराह, (6) कांस्टेबल लूमेट तुरुंग, (7) कांस्टेबल रान्टू खांगिया, (8) कांस्टेबल विश्वजीत कोंवर और उप निरीक्षक (यू बी) मोहेश्वर बे, ओ/सी माहुर पुलिस स्टेशन के नेतृत्व में माहुर पुलिस स्टेशन के सहायक उप निरीक्षक खिटीश बोराह से गठित एक पुलिस पार्टी रजिस्ट्रेशन नं. ए एस-30-2277 (जिप्सी) और ए एस/01/बीई- 4218 (407 ट्रक) वाले दो वाहनों में ड्यूटी के लिए लाइसुंग क्षेत्र में गई थी। ड्यूटी पूरी करने के बाद पुलिस पार्टी लाइसुंग से माहुर पुलिस स्टेशन चली गई। रजिस्ट्रेशन नं. ए एस-30/2277 (जिप्सी) वाले पहले वाहन में बैठे माहुर पुलिस स्टेशन के ओ/सी और एस टी एफ के चार कार्मिक और रजिस्ट्रेशन नं. ए एस-01 बी ई-4218 (407 ट्रक) वाले दूसरे वाहन में एसटीएफ के चार कार्मिकों सहित बैठे सहायक उप-निरीक्षक खिटीश बोराह रक्षक दल वाहन से वापस आ रहे थे। अपराह्न लगभग 1.30 बजे जब पुलिस पार्टी सड़क के तीर्व घुमाव पर माहुर पुलिस स्टेशन के पूर्व दिशा में लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर माहुर लाइसुंग पी डब्ल्यू रोड पर पुराना लेइकुल और हिंदू इम्पोई बस्ती के बीच एक स्थान पर पहुँची, तब संदिग्ध सशस्त्र एन एस सी एन उग्रवादियों के एक दल ने पुलिस कार्मिकों को मारने और उनके हथियार तथा गोलाबारुद लूटने के प्रयोजन से जंगल के बीच एक सुरक्षित स्थान से पुलिस वाहन पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। सजग पुलिस कार्मिकों ने अपने हथियारों से इस गोलीबारी का तत्काल जवाब दिया। यह मुठभेड़ कुछ समय तक चली लेकिन पुलिस पार्टी की अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उग्रवादी बचकर भाग निकले।

कांस्टेबल लूमेट तूरुंग ने स्थिति का तत्काल सामना किया और उत्कृष्ट साहस का प्रदर्शन करते हुए पुलिस पार्टी और हथियार/गोलाबारुद इत्यादि की रक्षा करने के लिए अपनी इंसास राइफल से तुरंत 56 राउंड दाग दिए। कांस्टेबल लूमेट तुहरुंग के इस प्रेरणास्पद और असाधारण साहसिक कार्य के फलस्वरुप पुलिस कार्मिकों का जीवन बचाया जा सका और हथियार/गोलाबारुद इत्यादि की लूट भी नहीं हुई। उग्रवादी अपनी प्रभावपूर्ण स्थिति के बावजूद पुलिस बल का सामना नहीं कर सके और भाग निकले। कांस्टेबल लूमेट तूरुंग आखिर सांस तक लड़े और

घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मुठभेड़ के दौरान अभियान स्थल से एके श्रृंखला गोलाबारुद के चार खाली खोखे बरामद किए गए।

उपर्युक्त घटना के संबंध में उप-निरीक्षक (यूबी) मोहेश्वर बे. ओ/सी माहुर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर शस्त्र अधिनियम की धारा 27 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख)/121(क)/122/302/353/307 के तहत मामला संख्या 01/2010 माहुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री लूमेट तुरुंग, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04.01.2010 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 138-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. संजीव कुमार
उप निरीक्षक

02. नगेन्द्र राम
हेड कांस्टेबल

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

16 नवम्बर, 2008 को रसूलपुर गाँव, पुलिस स्टेशन शिकारगंज के क्षेत्र में नक्सलियों ने एक बार फिर निर्दोष ग्रामवासियों को अपना निशाना बनाया। जिले में नक्सली गतिविधियाँ बढ़ रही थीं और उन्होंने एक परिवार के चार सदस्यों को मारकर और पीड़ित का मकान लूटकर एक बार फिर हमला कर दिया। ग्रामवासियों मे आतंक फैलाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने मृतक के एक ट्रक और मोटर साइकिल को तहस नहस कर दिया और विस्फोटक रखकर पूरे घर को

जलाकर तबाह कर दिया। नक्सलियों की घृणित गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित प्राधिकारियों ने जिले को सील कर दिया ताकि नक्सली उस क्षेत्र से बाहर न जा सकें और सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट कर दिया गया। इसके कारण नक्सली अपने लूट के सामान के साथ मधुबनी घाट में मथिया मलाही टोला गाँव में शरण लेने को मजबूर हो गए। 50 से अधिक संख्या में एम सी सी उग्रवादियों की उपस्थिति की गतिविधि से संबंधित सूचना मुफस्सिल पुलिस स्टेशन, मोतिहारी में प्राप्त हुई। तुरंत कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक संजीव कुमार (एस एच ओ मुफस्सिल पुलिस स्टेशन) मोतिहारी, सी आर पी एफ के एक सेक्शन के साथ प्राप्त सूचना की सत्यता की जाँच के लिए और उचित कार्रवाई करने के उद्देश्य से मधुबनी घाट के मथिया मलाही टोला गाँव की ओर रवाना हो गए। मधुबनी घाट के मथिया मालाही टोला गाँव पहुँचने पर पुलिस टीम को नक्सलियों के भारी आक्रमण का सामना करना पड़ा। दोनों पार्टियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। इस विकट परिस्थितियों में उप निरीक्षक संजीव कुमार ने अपूर्व धैर्य और बहादुरी के साथ आक्रमण का साहस और सूझबूझ से सामना करने के लिए अपनी टीम का आगे से नेतृत्व किया। उन्होंने मोतिहारी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एन एच खान से अतिरिक्त बल के लिए अनुरोध किया। अपनी जान के जोखिम का सामना करते हुए उपनिरीक्षक संजीव कुमार ने अपने कार्मिकों सहित कांस्टेबल नगेन्द्र राम की सहायता से अपराधियों का मुकाबला करते समय ड्यूटी के प्रति सर्वोच्च समर्पण, युद्ध कौशल और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। स्थिति तनावपूर्ण थी किन्तु पुलिसकर्मी घबराए नहीं और अन्त तक बहादुरी और साहस से लड़ाई करते हुए नक्सलियों का हौसला पस्त कर दिया। दोनों पार्टियों के बीच चली गोलीबारी में दो नक्सली घटनास्थल पर ही मारे गए। तथापि, स्थल पर विभिन्न स्थानों पर पाए गए खून की मात्रा से यह अनुमान लगाया गया कि दो से अधिक नक्सलियों को गोली लगी होगी लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए नक्सल पार्टी ने घायल और मृतकों को हटा लिया होगा। बहादुर अधिकारियों ने नक्सली पार्टी को भारी जनहानि पहुँचाई। पुलिस पार्टी ने बड़ी मात्रा में निम्नलिखित लूटी हुई बहुमूल्य वस्तुएँ, हथियार और गोलाबारुद जब्त किए:

(i) एक पुलिस राइफल .303 4 मार्क 1 आर्सल नं0 50 एल 0345

(ii) .303 के 36 जिन्दा कारतूस

(iii) एके 47 के चले हुए 19 ब्लैंक कारतूस

(iv) एस एल आर के चले हुए 30 कारतूस (v) .303 के चले हुए 101 कारतूस (vi) केनवुड हैंड वायरलेस सेट (vii) मोटोरोला वॉकी-टॉकी सेट (viii) काष्ठ (टिम्बर) के दो टुकड़े (ix) फज वायर के साथ डेटोनेटर (x) बिंडोलिया (xi) टाइम बम में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रिक बेड स्विच (xii) ग्रीन आर्मी ड्रेस (xiii) दो रेडियो (xiv) पुलिस स्टेशन शिकारगंज के रसूलपुर गाँव से लूटे गए सभी सामान (xv) बड़ी मात्रा में नक्सली साहित्य और उग्रवादियों के नाम एवं उनके हथियार से जुड़े दस्तावेज तथा अन्य संबद्ध बहुमूल्य दस्तावेज।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री संजीव कुमार, उप निरीक्षक और नगेन्द्र राम, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 17.11.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 139-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01.	विवेकानंद एसडीपीओ	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
02.	रमाकांत प्रसाद निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
03.	निखिल कुमार उप निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
04.	दीपक कुमार सिंह कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
05.	रणधीर कुमार सिंह कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 31.01.2007 को अपराह्न लगभग 11.30 बजे एक गुप्त सूचना प्राप्त होने पर कि दो अपहृत व्यक्तियों अर्थात् व्यापारी विश्वनाथ गर्ग और उनके ड्राइवर दीपक राय को कंकरबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अशोक नगर में डा चन्द्र भूषण मिश्रा के मकान में गुप्त रूप से रख रखा है, पुलिस निरीक्षक रमाकांत प्रसाद ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यह सूचना श्री विवेकानंद एस डी पी ओ सदर, पटना को दी जो कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। उपलब्ध बल से तत्काल एक छापा करने वाली (रेडिंग) पार्टी तैयार की गई। पत्रकार नगर और कदमकुआँ पुलिस स्टेशन के एस एच ओ को भी सहायता के लिए आगे आने का निदेश दे दिया गया। पटना में शिविर में रह रहे जमशेदपुर के पुलिस कार्मिकों को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई। श्री विवेकानंद एस डी पी ओ और निरीक्षक रमाकांत प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस पार्टी लक्ष्य स्थान की और बढ़ गई। पुलिस पार्टी रात में 00.30 बजे अशोक नगर पहुँच गई और प्रश्नगत

मकान की पहचान कर ली। इसी बीच निरीक्षक कदमकुआँ और पत्रकार नगर पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक भी वहाँ पहुंच गए। एस डी पी ओ ने सभी सुरक्षा उपायों को अपनाने के बाद रेड डालने के लिए अत्यंत सतर्क और यथातथ्य योजना की रूपरेखा तैयार की। प्रश्नगत मकान को घेर लिया गया। निरीक्षक रमाकांत प्रसाद ने अपनी पहचान बताते हुए दरवाजा खटखटाया और मकान में छिपे लोगों से दरवाजा खोलने के लिए कहा। इस पर, ऊपर सीढ़ियों से भगदड़ की आवाज सुनाई दी और छत पर ऊपर से गोलियां चलने की आवाजें भी सुनाई दीं। बार-बार चेतावनी दी गई। इसके बावजूद हर चेतावनी का जवाब नई गोलीबारी से दिया गया। बाद में धकेलकर दरवाजा खोला गया। निरीक्षक अजय कुमार सिंह के साथ उप निरीक्षक निखिल कुमार और 03 कांस्टेबल मकान के अंदर घुस गए जहाँ हताहत होने की संभावना होते हुए भी उन्होंने अपनी जान को भारी जोखिम में डाल दिया। पुलिस पार्टी ने धैर्य नहीं खोया और विकट परिस्थिति में आत्मोत्सर्ग की भावना दर्शाते हुए और चुनौती का सामना करते हुए अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया। मकान में घुसने पर 2 व्यक्ति कमरे में पाए गए। उनके हाथ और पाँव बँधे हुए थे। उन्होंने अपना नाम बिश्वनाथ गर्ग और दीपक राय बताया जिनका झारखण्ड राज्य से फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि जो अपहरणकर्ता उनकी रखवाली कर रहे थे, वे हथियारों के साथ मकान की छत पर चढ़ गए हैं। दोनों अपहृत व्यक्तियों को सुरक्षित और बिना कोई चोट लगे बचा लिया गया। इसी बीच जमशेदपुर के पुलिस कार्मिक आ गए और उन्हें अपहृत व्यक्तियों का ध्यान रखने का निदेश दिया गया। अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए उप निरीक्षक निखिल कुमार और 2 अन्य कांस्टेबलों सहित श्री विवेकानंद, एस डी पी ओ और श्री रमाकांत प्रसाद, निरीक्षक ने मकान की छत पर जाने का प्रयास किया, किन्तु जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर कदम रखा उनके पास से एक गोली सनसनाती निकल गई और किस्मत से एस डी पी ओ सुरक्षित बच गए। तथापि, वे छत पर चढ़ने में सफल हुए और उन्होंने 2 अपहरणकर्ताओं को दूसरी छत पर बाईं ओर कूदते हुए और 3 अन्यों को दूसरी छत पर दाईं ओर भागते हुए देखा। गैंगस्टरों ने दुबारा गोलीबारी शुरू कर दी। आत्मरक्षा का कोई उपाय न देखते हुए अपने आपको विकट परिस्थिति में पाकर पुलिस पार्टी के जीवन की रक्षा और हथियारों की सुरक्षा के लिए पुलिस पार्टी ने जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। भूतल पर आते समय निरीक्षक प्रसाद और अन्य अधिकारी साक्षात मौत से बाल-बाल बचे जब एक गैंगस्टर ने दो संकरी दीवारों के बीच से उन पर गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। निरीक्षक प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया जिससे एक गैंगस्टर के गोली लगी और वह नीचे पानी के तालाब में गिर गया। निरीक्षक प्रसाद ने सुरक्षा के सभी उपाय करते हुए 2 गैंगस्टरों को पकड़ लिया और एस डी पी ओ और कांस्टेबल दीपक कुमार सिंह ने भी प्रथम तल से 2 गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में यह निश्चित हो गया कि पानी के तालाब में गिरने वाला गैंगस्टर मारा गया है और उसका नाम बबुआ जायसवाल है।

गिरफ्तार गैंगस्टरों और मृत गैंगस्टर की पहचान बाद में वैशाली के बीरेन्द्र पासवान, 2. वैशाली के राजीव राजन शाह, 3. वैशाली के बीरेन्द्र सिंह, 4. जमुई के जफर अली और शव की पहचान बर्दवान (पश्चिम बंगाल) के बबुआ जायसवाल के रूप में हुई।

गैंग ने भोलोटिया उद्योग समूह, जमशेदपुर के मालिक श्री भोलोटिया से पचास लाख रूपये, हाजीपुर के रमेश चौरसिया से पचास लाख रूपये, हाजीपुर के राजू मियाँ वशरवाला से दस लाख रूपये फिरौती के रूप में लिए थे। चंद नाम हैं जिनसे इस गैंग ने फिरौती ली थी। नवीनतम मामले में जमशेदपुर (झारखण्ड) के दूसरे उद्योगपति बिश्वनाथ गर्ग और उनका ड्राइवर शामिल था। इसमें संदेह नहीं कि उनका आतंक सम्पूर्ण बिहार से झारखण्ड तक फैला हुआ था।

इस भयानक मुठभेड़ में गैंगस्टरों ने लगभग 1520 राउंड गोलियाँ चलाईं जबकि रेड डालने वाली पार्टी ने अपने स्वयं के हथियारों से कुल 7 राउंड गोलियाँ चलाईं। इनमें से एस डी पी ओ विवेकानंद और एस एच ओ रमाकांत प्रसाद प्रत्येक ने 2 राउंड गोलियाँ चलाईं जबकि उप निरीक्षक निखिल कुमार ने 1 राउंड गोली चलाई और कांस्टेबल रणधीर कुमार ने निदेशानुसार 2 राउंड गोलियाँ चलाईं। पुलिस पार्टी ने एस डी पी ओ विवेकानंद के सक्रिय नेतृत्व में न केवल गोलीबारी के बीच गंभीर परिस्थिति को संभाला बल्कि 2 अपहृत व्यक्तियों को सुरक्षित बचाने में भी सफलता प्राप्त की और 4 मोबाइल और एक मोटर साइकिल सहित एक कार्बाइन, एक रिवॉल्वर, दो देशी पिस्तौल और कारतूस के साथ-साथ हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद करने में भी सफलता प्राप्त की।

उपर्युक्त घटना स्पष्ट रुप से यह दर्शाती है कि अपनी जान जोखिम में डालकर और विकट परिस्थितियों में उन्होंने नेतृत्व के उच्च स्तरीय गुणों का प्रदर्शन करते हुए, अपूर्व शौर्य और ड्यूटी के लिए "करो या मरो" की भावना दर्शाते हुए इस अवसर पर अपेक्षित सामान्य पुलिस ड्यूटी से कहीं अधिक कर्तव्य निष्ठा प्रदर्शित की।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री विवेकानंद, एस डी पी ओ रमाकांत प्रसाद, निरीक्षक, निखिल कुमार , उप निरीक्षक, दीपक कुमार सिंह, कांस्टेबल और रणधीर कुमार सिंह कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 30.07.2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 140-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सुक्कू राम नूरेती
सहायक उप निरीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 29/01/2010 को पुलिस अधीक्षक नारायणपुर श्री राहुल भगत को सूचना प्राप्त हुई कि नक्सलवादी रेमावंड और नयनार के जंगल के बीच ग्रामवासियों की एक सार्वजनिक बैठक कर रहे हैं। जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने एक अभियान की योजना बनाई और इसे नेलवाड कैम्प से उनके नेतृत्व में शुरु किया गया। जैसे ही पुलिस पार्टी अभियान-क्षेत्र के निकट पहुँची, इसे दो भागों में विभक्त कर दिया गया। एक पार्टी का नेतृत्व श्री राहुल भगत स्वयं कर रहे थे और दूसरी पार्टी का नेतृत्व कम्पनी कमांडर लव कुमार भगत कर रहे थे। श्री राहुल भगत ने अपनी पार्टी के साथ आक्रमण करने का निर्णय किया और दूसरी पार्टी को क्षेत्र की घेराबंदी करनी थी। पहली पार्टी जैसे ही अभियान-क्षेत्र की ओर गई, नक्सली संत्रियों ने पुलिस पार्टी की गतिविधि को भाँच लिया और स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में गोलीबारी शुरू कर दी। नक्सली प्रभुत्वशाली स्थिति में थे और पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियाँ चला रहे थे, इसलिए पूरी पुलिस पार्टी का जीवन खतरे में था। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में श्री राहुल भगत ने सहायक उप निरीक्षक सुक्कू राम नूरेती के साथ, अपनी जान की परवाह किए बिना और अपने जीवन को गंभीर खतरे में डालते हुए रणनीतिपूर्वक नक्सलियों की ओर पहाड़ी के ऊपर बढ़ना शुरू किया और शेष पार्टी को दूसरी ओर से गोलियाँ चलाने का निदेश दिया। नक्सलियों के करीब पहुँचने के बाद श्री राहुल भगत और सहायक उप निरीक्षक श्री सुक्कू राम नूरेती ने अपनी स्वचालित राइफलों से तेजी से गोलीबारी की। उन्होंने साहस दर्शाया और श्री भगत गोलियों की भारी बौछार से 3-4 नक्सलियों को मारने में सफल हुए, जो तुरंत नीचे गिर गए। श्री राहुल भगत और सहायक उप निरीक्षक श्री सुक्कू राम नूरेती की तुरंत और निर्भीक जवाबी कार्रवाई के कारण नक्सलियों में घबराहट एवं भय उत्पन्न हो गया और उन्होंने भागना शुरु कर दिया। पुलिस पार्टी ने भी उनका पीछा किया और इसी बीच श्री नूरेती ने गोली भी चलाई और एक अन्य नक्सली को भी मार दिया। भागते समय नक्सली कुछ शवों/घायल व्यक्तियों को घसीट कर ले गए जिसकी पुष्टि घटनास्थल पर पाए गए खून के निशान और घसीटे जाने के निशानों से हुई। गोलीबारी बन्द होने के बाद, पुलिस पार्टी ने उस क्षेत्र की तलाशी की और 20 किलोग्राम के दो आई ई डी बरामद किए जिनको सहायक उप निरीक्षक श्री सुक्कू राम नूरेती ने घटनास्थल पर ही निष्क्रिय कर दिया। पुलिस पार्टी ने 7 जिंदा

कारतूसों सहित एक 315 बोर की देशी पिस्तौल, एक लोडेड एम एल बंदूक, दस-दस किलोग्राम के दो आई ई डी, दो बंडल तार, दो डेटोनेटर और दो हथगोले, पाँच जिंदा कारतूस और ए के 47 की 28 खाली गोलियाँ, तीन जिंदा कारतूस और एस एल आर की पंद्रह खाली गोलियाँ, एक फ्लैग गन, नक्सली साहित्य इत्यादि सहित एक पहचाने न जा सके नक्सली का शव भी बरामद किया।

इस मुठभेड़ में श्री सुक्कू राम नूरेती, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 29.01.2010 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 141-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री ताहिर सलीम खाँ
उप पुलिस अधीक्षक

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

24 मार्च, 2009 को हंडवारा के उप पुलिस अधीक्षक श्री ताहिर सलीम खाँ को मोहम्मद यूनिस खाँ पुत्र अब्दुल रहमान खाँ निवासी शालडोरी विलगाम के आवासीय मकान में एल टी गुट के पाक निवासी कोड नाम असगर रहमान नामक एक खतरनाक आतंकवादी की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। पुलिस हंडवारा ने 01 पी ए आर ए और 06 आर आर की सहायता से अभियान की शुरूआत की। उप पुलिस अधीक्षक ने एक पुलिस टीम तत्काल तैयार की और अपने पर्यवेक्षण के अधीन इसे तीन अलग-अलग समूहों में बाँट दिया। वे एक छोटी पुलिस पार्टी के साथ लक्ष्य मकान की ओर बढ़े जहाँ आतंकवादियों ने परिवार के 9 सदस्यों को बंधक बना रखा था। जैसे ही उन्होंने और उनकी टीम ने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया, तभी आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी लेकिन पुलिस पार्टी परिवार के सदस्यों को लक्ष्य मकान से सुरक्षित बाहर निकालने में सफल हो गई। इसके बाद, आतंकवादी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन उसने इनकार कर दिया और पुलिस पर अंधाधुंध गोलियाँ चला दीं। उप पुलिस अधीक्षक और उनकी पार्टी आतंकवादी के अचानक इस हमले से अपने आप को बचाने में सफल हुई और हमले का जवाब दिया। चूँकि आतंकवादी के

पास भारी मात्रा में गोलाबारूद उपलब्ध था, इसलिए यह मुठभेड़ घण्टों तक चली। उप पुलिस अधीक्षक ताहिर सलीम खाँ स्वयं वालंटियर बनते हुए और जवाबी गोलीबारी करते हुए बड़े साहस से मकान की ओर बढ़े और मकान के अंदर पहुँचने में कामयाब हो गए जहाँ उन्होंने उस आतंकवादी पर भारी हमला बोल दिया जिससे आतंकवादी के हौसले पस्त हो गए और वह घटनास्थल पर ही मारा गया।

उक्त आतंकवादी बहुत लंबे समय से राजवार और रामहल क्षेत्र में सक्रिय था और उसने उस क्षेत्र के लोगों और अग्रणी राजनीतिक कार्यकर्ताओं में आतंक फैला रखा था। लोगों ने सामान्य रूप से हंडवारा पुलिस और विशेष रूप से उप पुलिस अधीक्षक की भूमिका की प्रशंसा की।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद किए गए:-

1.	राइफल ए के 47-	01
2.	ए के मैगजीन	04
3.	ए के राउंड	20
4.	पाउच	01

इस मुठभेड़ में श्री ताहिर सलीम खाँ, उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 24.03.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 142-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. मोहम्मद अनवर-उल-हक
    उप पुलिस अधीक्षक
02. निसार अहमद
    फालोवार

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 26.10.2009 को शालीदर नासेरपोरा गाँव के खुले झाड़ीदार क्षेत्र में छिपने के एक स्थान में डिवीजनल कमांडर सहित एच एम संगठन के 03 खतरनाक आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में पुलवामा पुलिस को विशेष सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना की प्राप्ति पर, श्री अनवर-उल-हक, उप पुलिस अधीक्षक (अभियान) पुलवामा और प्रथम पैरा की एक पार्टी के साथ श्री मोहम्मद असलम, ए एस पी (अभियान) पुलवामा के नेतृत्व में एक टीम उक्त गाँव की ओर तत्काल रवाना हो गई और छिपने के लक्ष्य स्थान को घेर लिया। छिपने के स्थान में उपस्थित आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने की चुनौती दी गई किन्तु उन्होंने अभियान पार्टी पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया और इसके बाद हथगोले भी फेंकने लगे। घटनास्थल से आतंकवादियों को बचकर भाग निकलने से रोकने के लिए दो पुलिस पार्टियाँ, एक ए एस पी (अभियान) पुलवामा श्री मोहम्मद असलम की कमान के अधीन, और दूसरी उप पुलिस अधीक्षक (अभियान) पुलवामा, श्री मोहम्मद अनवर-उल-हक की कमान के अधीन गठित की गई। इसी बीच, 44 आर आर की निकटवर्ती सेना यूनिट भी घटनास्थल पर पहुँच गई और अभियान में शामिल हो गई। जब मुठभेड़ चल रही थी, तब एक अवरूद्ध आतंकवादी, जिसकी पहचान बाद में अब्बास भट उर्फ सकिब-उल-इस्लाम, डिवीजनल कमांडर, एच एम के रूप में हुई, को छिपने के स्थान के निकट देखा गया जो घेराबंदी तोड़ने के प्रयास में झाड़ियों की आड़ में रेंग कर आगे बढ़ रहा था। कांस्टेबल मुश्ताक अहमद के साथ श्री अनवर-उल-हक, उप पुलिस अधीक्षक (अभियान) पुलवामा ने पास से ही आतंकवादी पर तत्काल गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप वह मारा गया। अन्य दो आतंकवादियों, जो झाड़ियों की आड़ लेकर बचकर भागने का प्रयास कर रहे थे, को भी कांस्टेबल मुश्ताक अहमद और फालोवर निसार अहमद की सहायता से श्री मोहम्मद असलम, ए एस पी (अभियान) पुलवामा के नेतृत्व वाली एक अन्य टीम द्वारा मार गिराया गया। घटनास्थल से हथियार और गोलाबारूद भी बरामद किए गए। इस संबंध में पुलिस स्टेशन शोपियान में एक मामला एफ आई आर नं. 366/09 दर्ज है। बाद में, मारे गए आतंकवादियों की पहचान निम्न रूप में हुई:-

(i) अब्बास भट उर्फ साकिब-उल-इस्लाम (डिवीजनल कमांडर, एच एम) "क" श्रेणी पुत्र नाजिर भट निवासी शोरन गंडू, जिला डोडा।

(ii) रियाज पसवाल उर्फ शाहबाज (बटालियन कमांडर एच एम) "क" श्रेणी पुत्र गंगा पसवाल निवासी शालीडार, शोपियान।

(iii) इश्फाक भट्ट उर्फ अदनान पुत्र अली मोहम्मद भट निवासी अखल राजपोरा, पुलवामा।

उपर्युक्त तीन आतंकवादियों, विशेषकर साकिब-उल-इस्लाम डिवीजनल कमांडर (घाटी में एच एम की स्थापना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति) का मारा जाना एच एम गुट को भारी झटका है क्योंकि यह खतरनाक आतंकवादी कई हत्याओं, फिदायीन/ हथगोले फेंकने/ जबरन धन वसूली/ नागरिकों

पर अत्याचार/हथियार छीनने/नई भर्ती/दुष्प्रेरण इत्यादि में लिप्त था। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद और अन्य वस्तुएं बरामद की गईं:-

i)	ए के-56 राइफल	-01
ii)	ए के-47 राइफल	-01
iii)	ए के 74 राइफल	-01
iv)	पाउच	-03
v)	ए के मैगजीन	-14
vi)	ए के गोलाबारूद	-326 राउंड
vii)	चीनी पिस्तौल	-01
viii)	पिस्तौल मैगजीन	-01
ix)	पिस्तौल की गोली	-02
x)	रेडियो सेट (ए एल आई एन सी ओ)	-01
xi)	एफ एम ट्रांजिस्टर	-01
xii)	मोबाइल फोन	-01
xiii)	मोबाइल सिम	-04
xiv)	सैटेलाइट फोन	-01
xv)	मोबाइल चार्जर	-01
xvi)	भारतीय मुद्रा	-14800/- रूपये

इस मुठभेड़ में सर्वश्री मोहम्मद अनवर-उल-हक, उप पुलिस अधीक्षक और निसार अहमद फॉलोवर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 26.10.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 143-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री गुरमीत सिंह
हेड कांस्टेबल

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 08.05.2009 को शाम के समय सूचना प्राप्त हुई कि लश्कर-ए-तैयबा का डिवीजनल कमांडर (पाक) मोहम्मद इशाक (सलामतुल्ला) कोड अबु सुमना पुत्र मोहम्मद अरशद निवासी साइवाल पंजाब स्थानीय आतंकवादी बरकत अली कोड यासिर पुत्र अब्दुल जबर नाइक निवासी चितरीन के साथ कुछ विविलियनों को मारने के इरादे से दिफा-ढर दशमन गाँव में घुस गया है। इस पर, आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए डोडा मुख्यालय के उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय की सहायता से श्री प्रभात सिंह, एस एस पी डोडा ने एक अभियान की योजना बनाई और अभियान शुरू कर दिया। पुलिस और सी आर पी एफ/ सेना ने गाँव की घेराबंदी कर ली। आगे बढ़ते सैन्य-दलों पर छिपे हुए आतंकवादियों ने घातक हथियारों से भारी गोलीबारी शुरू कर दी जिसका पुलिस सैन्य दल द्वारा प्रभावकारी जवाब दिया गया और भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। जब पुलिस पार्टी आतंकवादियों के छिपने के विशेष स्थान के पास पहुँची, तब आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी की और 2-3 हथगोले भी फेंके। पुलिस कार्मिक इसमें चमत्कारी रूप से बच गए। पुलिस पार्टी ने आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए पोजीशन ले ली। एस एस पी डोडा श्री प्रभात सिंह ने पुलिस पार्टी को तत्काल पाँच विभिन्न समूहों में बाँट दिया। एस एस पी का पहला और मुख्य कर्तव्य आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को बचाना था। आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने और बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी गई लेकिन इसकी बजाय उन्होंने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। भारी गोलीबारी और हथगोले/अश्रु गैस के गोले फेंकने के बाद एस एस पी डोडा बंधकों को मुक्त कराने में सफल हुए और इसके बाद भीषण आक्रमण शुरू किया गया। आतंकवादियों से पुन: आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई किन्तु इसकी बजाय उन्होंने एस एस पी डोडा के नेतृत्व वाली अग्रणी पार्टी पर ए के बन्दूकों से गोलीबारी शुरू कर दी और 02 हथगोले भी फेंके। इस प्रक्रण में, मकान में आग लग गई और आतंकवादी अपने छिपने के स्थान से बाहर कूद पड़े और श्री प्रभात सिंह, एस एस पी को मारने के गंभीर प्रयत्न किए लेकिन अधिकारी ने गोलीबारी का बिलकुल पास से जवाब दिया और एक आतंकवादी को मार गिराया । इसी बीच, हेड कांस्टेबल गुरमीत सिंह उस स्थान पर रेंगकर पहुंच गए जहाँ से दूसरे आतंकवादी द्वारा लगातार गोली चलाई जा रही थी और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया।

इस मुठभेड़ में श्री गुरमीत सिंह, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 09.05.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 144-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नियाज अहमद मीर
उप निरीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 08.10.2009 को एच एम गुट के एक विदेशी आतंकवादी अर्थात् जफर अहमद माविया उर्फ अमर माविया को गुसू गाँव में जहाँगीर अहमद गनाई पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला गनाई, उमर माविया के एक घनिष्ठ सहयोगी (ओ जी डब्ल्यू) के मकान में मौजूद होने और किसी अज्ञात स्थान पर फिदायीन हमला करने की योजना बनाने के बारे में विश्वस्त सूचना प्राप्त होने पर एस ओ जी पुलवामा की पुलिस पार्टी स्थान विशेष की ओर तत्काल रवाना हो गई और उक्त गाँव की घेराबंदी कर ली। इसी बीच, 53 आर आर, 31 सी आई यू, 182 बटालियन, सी आर पी एफ और 183 बटालियन सी आर पी एफ के सैन्य दल भी इस अभियान से जुड़ गए। तलाशी अभियान के दौरान उक्त आतंकवादी ने पूर्वोल्लिखित ओ जी डब्ल्यू के मकान से तलाशी पार्टी पर गोलियाँ चला दीं। जैसे ही पुलिस पार्टी पहचान किए गए मकान के पास पहुँची उक्त आतंकवादी ने पुलिस पार्टी पर फैंकने की मंशा से हथगोला निकाल लिया। इसी बीच, ओ जी डब्ल्यू और आतंकवादी खिड़की से बाहर कूद गए। तथापि, बाहर तैनात अभियान दल विशेष रूप से उप-निरीक्षक मीर नियाज, सारजेंट कांस्टेबल फयाज अहमद और एस पी ओ एजाज अहमद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उक्त आतंकवादी को जिंदा पकड़ने का प्रयास किन्तु आतंकवादी उन पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाता रहा। पुलिस पार्टी ने धैर्य बनाए रखा और गोलीबारी का जवाब दिया जिसके परिणामस्वरूप वह आतंकवादी मारा गया। उस आतंकवादी के फिदायीन हमला करने की तैयारी के मद्देनजर, सभी सावधानियाँ बरतने के बाद, बम डिस्पोजल स्क्वैड और अन्य विशेषज्ञों को एक यथोचित दूरी से काम पर लगाया गया था। आतंकवादी के शरीर पर बँधे आर डी एक्स के पाउचों को जला दिया गया। तत्पश्चात् 01 ए के राइफल, 02 ए के मैगजीन 16 राउंड, 02 हथगोले, लगभग 25-30 कि.ग्रा. आर डी एक्स (घटनास्थल पर नष्ट किया गया), तार के साथ 01 ड्राई बैटरी और 01 मोबाइल फोन (नोकिया 1100) बरामद किए गए। मारा गया आतंकवादी कई सिविलियनों की हत्याओं में लिप्त था। उसकी मौत एंच एम गुट के लिए एक भारी झटका थी और यह पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है।

इस मुठभेड़ में श्री नियाज अहमद मीर, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 08.10.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 145-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री शिव कृष्ण
उप निरीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 18.04.2009 को अब्दुल समद निवासी बागला भरत, तहसील-डोडा के मकान में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर उप-निरीक्षक शिव कृष्ण के नेतृत्व में अभियान दल डोडा ने उस क्षेत्र की घेराबंदी कर ली और तलाशी अभियान चलाया गया। आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया किन्तु उन्होंने घर के भीतर से अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया जिसका प्रभावकारी ढंग से जवाब दिया गया और आतंकवादियों के बचकर भाग निकलने की संभावनाओं को कम करने के लिए उस क्षेत्र की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई। आतंकवादियों को उलझाए रखा गया और पुलिस पार्टियों को दो से तीन समूहों में अन्दरूनी घेराबंदी में चारों और तैनात कर दिया गया। एक पार्टी का नेतृत्व उप-निरीक्षक शिव कृष्ण मकान के सामने की ओर से कर रहे थे और दूसरी पार्टी का नेतृत्व हेड कांस्टेबल गुरमीत सिंह कर रहे थे जिन्होंने मकान के पीछे की ओर से सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर दिया और उस ओर से आतंकवादियों का बचकर भाग निकलना असंभव बना दिया। मुठभेड़ घण्टों तक चली किन्तु सफलता नहीं मिली। उप निरीक्षक शिव कृष्ण उस दरवाजे के पास पहुँचे जहाँ से आतंकवादी गोलीबारी कर रहे थे और हथगोले फेंके और आतंकवादियों पर अपने सर्विस हथियार से गोलियों की बौछार कर दी जिसके परिणामस्वरूप दो खूंखार आतंकवादी अर्थात् निसार अहमद मलिक कोड शाहबाज पुत्र गुलाम हैदर मलिक निवासी बागला भरत, तहसील डोडा, ग्रेड- सी, एल ई टी गुट और मोहम्मद रफी कोड अबू खोबीब पुत्र गुलाम हुसैन गुज्जर निवासी नगनी गाड केशवन किश्तवार ग्रेड "ए" एल ई टी मारे गए, जबकि एक ओ जी डब्ल्यू महिला अर्थात् जहीदा बानू पुत्री अब्दुल समीद निवासी बागला भरत, जो आतंकवादियों के साथ थी, भी घायल हो गई और बाद में उसकी जिला अस्पताल डोडा में मौत

हो गई। यह सफल अभियान अपनी किसी क्षति के बिना उच्च शिखर पर पहुँचकर समाप्त हुआ और यह सब उप निरीक्षक शिव कृष्ण और हेड कांस्टेबल गुरमीत सिंह के विशिष्ट पराक्रम से ही सम्भव हुआ। मारे गए दोनों आतंकवादी भरत/केशवन क्षेत्र में वर्ष 2007 से सक्रिय थे और प्रतिबंधित एल ई टी गुट से संबद्ध थे। वे उग्रवाद से संबंधित कई गतिविधियों में लिप्त थे। मारे गए आतंकवादियों से निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद बरामद हुए:-

1.	राइफल ए के	-02
2.	ए के मैगजीन	-03
3.	हथगोला	-01

इस मुठभेड़ में श्री शिव कृष्ण, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 18.04.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 146-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. भगीरथ कुमार
कांस्टेबल

02. अमीन ओराओन
कांस्टेबल

03. शिप्रयानुस खालखो
कांस्टेबल

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

चैनपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बानालाट वन क्षेत्र के निकट भयानक हमले के लिए एकत्र हुए सी पी आई (माओवादी) के सशस्त्र दस्ते के खिलाफ दिनांक 11.01.2008 को लगभग 1330 बजे मुख्यालय में अपराध संबंधी बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक पलानाऊ को सूचना प्राप्त होने पर तत्काल रणनीति बनाई गई।

विद्यमान दुर्गम पहाड़ियों, ऊबड़-खाबड़ भूभाग और घने जंगलों के बावजूद बड़ी संख्या में माओवादी सशस्त्र दस्ते को देखते हुए सशस्त्र बल और सी आर पी एफ, 13वीं बटालियन के साथ भगीरथ कुमार, अमीन ओराओन और शिप्रयानुस खालखो तत्काल आगे बढ़े और लगभग 1600 बजे उस क्षेत्र में पहुँच गए। इसी बीच खतरनाक हथियारों से लैस माओवादी आते हुए देखे गए जिन्होंने पुलिस बल को देखकर गोलीबारी शुरू कर दी और मारने के लिए गोलियों की बौछार कर दी किन्तु भगीरथ कुमार, अमीन ओराओन और शिप्रयानुस खालखो ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए और अपनी सावधानी, दूरदर्शिता और पेशेवर कौशल को बनाए रखते हुए जीवन और सरकारी हथियारों की रक्षा के लिए बल को इस गोलीबारी का भारी जवाब देने का निदेश दिया। इसके बाद सशस्त्र और सक्रिय माओवादियों का खात्मा करने के लिए गोलीबारी शुरू की गई जिसके परिणामस्वरूप स्वेच्छाचारी माओवादियों के हौसले पस्त हो गए और उन्होंने पुलिस बल पर रूक-रूककर और कभी-कभी भारी गोलीबारी करते हुए अंधेरे, ऊबड़-खाबड़ भूभाग और घने जंगल का फायदा उठाते हुए पीछे लौटना शुरू कर दिया। ऐसी भयंकर मुठभेड़ के दौरान और गंभीर खतरे में भगीरथ कुमार, अमीन ओराओन और शिप्रयानुस खालखो और सी आर पी एफ ने कुहनियों के बल रेंगकर उग्रवादियों का पीछा किया जब कई माओवादियों के नाम और घायल विद्रोहियों की चीखें सुनाई दीं।

श्री सुरेश प्रसाद ने अन्य संस्तुत व्यक्तियों के साथ भयग्रस्त माओवादी गुट को उस क्षेत्र में बहुत पीछे की ओर लौटने और पराजित होने पर अपने तीन मृत सदस्यों (जिनकी बाद में पहचान हुई) को छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 12.01.2008 को प्रात: तलाशी के दौरान हथियार, कारतूस, कई नक्सली वस्तु, नकद धनराशि, यूनीफॉर्म, साहित्य भी जब्त की गई। तदनुसार जब्त की गई वस्तुओं की सूची तैयार की गई और तीन मृत विद्रोहियों की भी पहचान कर ली गई।

सर्व/श्री सुरेश कुमार, भगीरथ कुमार, अमीन ओराओन और शिप्रयानुस खालखो ने अपनी जान की बाजी लगाकर अग्रणी उग्रवादियों पर बुरी तरह प्रहार करके अत्याधुनिक हथियारों की सहायता से माओवादियों पर विजय प्राप्त की जो अन्य पुलिसकर्मियों के लिए एक मील का पत्थर है। गोलीबारी का सामना करते हुए शौर्यपूर्ण कार्रवाई, नेतृत्व का गुण प्रदर्शित करते हुए सुरेश प्रसाद, भगीरथ, अमीन ओराओन और शिप्रयानुश खालखो ने निश्चित रूप से उत्कृष्ट सत्यनिष्ठा साबित की है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री भगीरथ कुमार, कांस्टेबल, अमीन ओराओन, कांस्टेबल और शिप्रयानुस खालखो, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.01.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 147-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. पंकज कंबोज
पुलिस अधीक्षक

02. रामबृक्ष राम
कांस्टेबल

03. बिनय कुमार
कांस्टेबल

04. राणा जंग बहादुर सिंह
कांस्टेबल

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

उप-निरीक्षक अनवर अली खाँ कार्यालय प्रभारी चौपारन पुलिस स्टेशन को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि 40-50 की संख्या में प्रतिबंधित एम सी सी आई-1 (सी पी आई माओवादी) उग्रवादियों का एक पूरा दस्ता कोलेश्वरी जोन के सब-जोनल कमांडर इंदल जी के नेतृत्व में अपने एरिया कमांडर सहदेव यादव और अन्य लोगों के साथ बीडी के पत्तों के ठेकेदारों से लेवी वसूलने के लिए गाँव-चापी (बाराचाटी पुलिस स्टेशन, जिला-गया), गाँव-मोर्निया, डूरागढ़ा, डोडिया की तरफ गाँव-जमुनिआतारी पहुँच गया है। यह सूचना प्राप्त होते ही ओ/सी चौपारन पुलिस स्टेशन में पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को सूचना दे दी। पंकज कम्बोज, पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग सूचना का सत्यापन करने और उसके बारे में कार्रवाई करने हेतु अपने अंगरक्षकों अर्थात् रामबृक्ष राम, बिनय कुमार और राणा जंगबहादुर सिंह के साथ चौपारन ओ0एस0 पहुँच गए। सत्यापन और कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग पंकज कम्बोज ने अपने नेतृत्व में निरीक्षक सी आर पी एफ एस0सी0 कसाना, सी आर पी एफ, उप निरीक्षक, बिभन दास, उप

निरीक्षक अनवर अली खाँ, ओ0सी0 चौपारन पुलिस स्टेशन और जिला पुलिस के अंगरक्षक/कांस्टेबल, जे ए पी और सी आर पी एफ की एक टीम गठित की । चौपारन पुलिस स्टेशन में हजारीबाग पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्रीफ किए जाने के बाद पूरी टीम ने लगभग 1600 बजे वाहन से प्रस्थान किया और डोडिया की तरफ जमुनीयातारी गाँव की सीमा पर पहुँच गई। सभी वाहन वापस चले गए और टीम हजारीबाग पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्धारित की गई योजना/दिशा के अनुसार जमुनियातारी में घुस गई। पूरी टीम को दो अलग-अलग टीमों में विभक्त कर दिया गया । दोनों टीमें सावधानी से जमुनियातारी गाँव के बगल से आगे बढ़ गईं। एम0सी0सी0आई0 के लगभग 40-50 उग्रवादी प्रतिबंधित हथियारों सहित और मिलिटरी यूनीफॉर्म में बैठक कर रहे थे।जमुनियातारी गाँव के निकट दोनों पुलिस पार्टियों के पहुँचने के दौरान उग्रवादियों ने पुलिस को देख लिया। नक्सली सावधान हो गए और उन्होंने हजारीबाग पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। अपनी जान खतरे में देखकर पुलिस अधीक्षक हजारीबाग, पंकज कंबोज ने जवाब में गोली चलाने का आदेश दे दिया और नक्सलियों को गोलीबारी बंद करने की चेतावनी दी किंतु नक्सली अधाधुंध गोलियाँ चला रहे थे। इस संकटपूर्ण स्थिति में, पंकज कम्बोज, पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग, उप निरीक्षक अनवर अली खाँ, ओ/सी चौपारन पुलिस स्टेशन निरीक्षक सी आर पी एफ-22 डी कम्पनी, एस.सी. कसाना और उप-निरीक्षक बिभन दास देश के प्रति समर्पित सेवा का प्रदर्शन करते हुए बहादुर अंगरक्षकों रामबृक्ष राम, बिनय कुमार और राणा जंगबहादुर सिंह के साथ चुपके से आगे बढ़े और नक्सलियों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी जारी रखी। बहादुर अधिकारियों ने कांस्टेबलों को नियंत्रित गोलीबारी करने का निदेश देते हुए अपनी ए के 47 राइफल/पिस्तौल/रिवॉल्वर से गोलीबारी जारी रखी। लगभग 02-03 घण्टे बाद नक्सलियों ने गोलीबारी बंद कर दी। उग्रवादियों की ओर से गोलीबारी रोक दिए जाने पर पुलिस की तरफ से भी तत्काल गोलीबारी बंद कर दी गई और पूरी सावधानी के साथ नक्सललियों की गतिविधियों को कुछ मिनट तक देखने के बाद संयुक्त पार्टी उग्रवादियों के बचकर निकलने के स्थान की ओर बढ़ गई और घेराबंदी एवं तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान नक्सली युवाओं के दो शव मिले। पूरे अभियान में हथियार और गोलाबारूद तथा बड़ी संख्या में अन्य नक्सली सामग्री जैसे कि .315 राइफल (रेगुलर)-01, .315 बोर के कारतूस-28 राउंड, .303 बोर-49 राउंड, 09 एम एम -06 राउंड, बिंडोलिया-02, चार्जर-01, बड़ी मात्रा में नक्सली साहित्य, एस एल आर राइफल का ब्लैक साइड पार्ट (ग्रीक)-01, सत्तू (एक प्रकार का खाद्य व्यंजन) -03 पैकेट, चादर (बेड शीट)-01 (हरे रंग की), कैप-02, बेल्ट-01 (ब्लैक कलर), बैग-01 (काले रंग का स्टाइल बैग), बैग-01 (नारंगी रंग का), बैग-1 (नीला रंग), वैसेल कोड-02 (नीला रंग), फ्यूज वायर के साथ डेटोनेटर, फाइन-90 (राइफल साफ करने का तेल)-01, सी डी कैसेट-02, बैटरी सेट चार्जर-01, फुल पैंट (पुरानी और मटमैले रंग की) -01 पीच, शर्ट (पुरानी आसमानी रंग की)-01 बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री पंकज कंबोज, पुलिस अधीक्षक, रामबृक्ष राम, कांस्टेबल, बिनय कुमार, कांस्टेबल और राणा जंगबहादुर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 24.05.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 148-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. अनुरंजन किसपोट्टा
उप पुलिस अधीक्षक

02. जय प्रकाश सिंह
उप निरीक्षक

03. राजेन्द्र कुमार दुबे
उप निरीक्षक

04. अनिल कुमार सिंह
उप निरीक्षक

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 21.04.2007 को क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर उप निरीक्षक ललित कुमार और उप निरीक्षक जय प्रकाश सिंह आई आर बटालियन और विशेष कार्य बल (एस टी एफ) के 42 पुलिस कार्मिकों के साथ उस क्षेत्र की ओर गए। गाँव-गाँव में जाकर लम्बी दूरी तक गश्त के दौरान सूचना एकत्र करते समय उन्हें पता चला कि उग्रवादियों का एक दल चंदाली गाँव में ठहरा हुआ है। सूचना का सत्यापन करने के लिए पहाड़ों और जंगल से पैदल गुजरते हुए जब वे चंडाली गाँव की सीमा में पहुँचे, तब उन पर अचानक गोलियाँ चला दी गईं। स्थिति को भाँपते हुए उप निरीक्षक ललित कुमार ने सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए अपनी पुलिस पार्टी को तत्काल पोजीशन लेने और रूक-रूककर जवाबी गोलीबारी करने का निदेश दिया और साथ ही फोन पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराते हुए अतिरिक्त बल भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने एक अन्य उप निरीक्षक जय प्रकाश के साथ दूरभाष पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार अतिरिक्त बल आने की प्रतीक्षा करते हुए पुलिस पार्टी को चारों ओर फैलाकर पूरे गाँव को घेर लिया क्योंकि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि

उग्रवादी गाँव में ही थे। इसी बीच उप निरीक्षक ललित कुमार की सूचना प्राप्त होने पर, उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनुरंजन ने नेतृत्व के उत्कृष्ट गुणों का प्रदर्शन करते हुए 22 कांस्टेबलों वाले अतिरिक्त बल की एक टीम को एकत्र किया और जामुआ पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी एवं उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह और प्रभारी अधिकारी मुफस्सिल पुलिस स्टेशन, उप निरीक्षक राजेन्द्र कुमार दुबे के साथ चंदाली गाँव की तरफ दौड़ पड़े और वहाँ सही समय पर पहुँच गए जहाँ उपर्युक्त अधिकारियों ने उप पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोट्टा के नेतृत्व और समर्थ मार्गदर्शन में अनुशासनात्मक और संगठित रूप से उग्रवादियों के छिपने के स्थान के निकट पहुंचना शुरू कर दिया। घेराबंदी के और निकट पहुँचने के परिणामस्वरूप उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और एक हथगोला भी फेंका। उग्रवादी न केवल स्वचालित हथियारों का प्रयोग कर रहे थे बल्कि उन्होंने सुरक्षित पक्के मकान में सुरक्षित पोजीशन ले रखी थी जिसके दोनों तरफ खुले मैदान थे और तीसरी तरफ सड़क थी जहाँ से पुलिस पक्ष के हताहत होने और क्षति पहुंचने की हर संभावना थी। तथापि, अपने अधिकारियों को जान की परवाह न करते हुए ड्यूटी के लिए बहादुरी से लड़ते देखकर पूरी पुलिस पार्टी में अद्भुत नैतिक साहस और जोश भर गया और उन्होंने उग्रवादियों के हमले का मिलकर ऐसा उपयुक्त जवाब दिया कि उनमें से न केवल दो उग्रवादी मारे गए बल्कि छह उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया और एक लूटी हुई रेगुलर पुलिस 303 राइफल और दो स्वचालित पिस्तौलें और दो देसी पिस्तौल तथा गोलाबारूद के 75 जिंदा राउंडों सहित अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त उग्रवादी साहित्य भंडार, यूनीफार्म आदि और उनके द्वारा वसूले गये तीस हजार रूपये नकद भी बरामद किए गए।

यह पूरी भीषण मुठभेड़ कई घण्टों तक चली और उग्रवादियों की ओर से कुल 100-125 राउंड गोलियाँ चलाई गईं। इसके उत्तर में पुलिस पार्टी ने केवल 97 राउंड गोलियाँ चलाईं और कई आपराधिक मामलों में लिप्त पहचान किए गए दो कुख्यात उग्रवादियों, जो पी0एल0जी0ए0 के एरिया और सहायक एरिया कमांडर थे, को न केवल मारने में सफल हुए बल्कि अपनी तरफ किसी के हताहत अथवा घायल हुए बिना बड़ी मात्रा में हथियारों और जिंदा गोलाबारूद, उग्रवादी साहित्य तथा उग्रवादियों द्वारा लेवी के रूप में वसूली गई 33,000/- रूपये की धनराशि के साथ-साथ कई आपराधिक मामलों में लिप्त छह उग्रवादियों को पकड़ने में भी कामयाब हुए।

निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद/वस्तुएँ बरामद की गईं:-

i) .303 बोर पुलिस राइफल एआरएस नं0 6/48 पी एफ 22441-1
ii) 7.65 बोर स्वचालित पिस्तौल-02
iii) देसी पिस्तौल-2
iv) .303 बोर कारतूस-41
v) 7.65 बोर कारतूस-31
vi) .315 बोर कारतूस-02

vii) .38 बोर कारतूस-01

viii) चार्जर-5

ix) .303 बोर के खाली कारतूस-28

x) .315 बोर कारतूस-06

xi) 33000/- रूपये नकद

xii) हरे रंग की वर्दी 6, एक पी एल जी ए मोनोग्राम सहित

xiii) कारे रंग की बेल्ट-06

xiv) टोपी (खाकी रंग)-06, एक टोपी में पी एल जी ए मोनोग्राम सहित

xv) बिंडोलिया-1

xvi पिस्तौल हॉलिस्टर-01

xvii ऑडियो कैसेट-02, सी डी-32

xviii) पंफलेट, मैगजीन, किताबें, बैठकों के ब्योरे के कागजात, लेवी, ब्यौरा पेपर, पी एल जी ए कम्पनी ड्रिल बुक्स, नक्सल पैड, नक्सल रसीद बुक, नक्सल हैंडबुक, बैटरी, स्लेट, बैग, दवाइयाँ, ब्रश इत्यादि।

इस मुठभेड़ में एक उग्रवादी जीतू महतो उर्फ शंकर दा पुत्र स्वर्गीय बोधी महतो, गाँव तेहरवासी, पुलिस स्टेशन-नवाडीह, जिला बोकारो और एक अन्य उग्रवादी कुंजी मिस्त्री पुत्र सुकर मिस्त्री, गाँव-नवाडीह टोला-बिहादुरपुर, पुलिस स्टेशन डुमरी, जिला गिरिडीह उत्तरी डुमरी एरिया कमिटि के कुख्यात एरिया और सहायक एरिया कमांडर मारे गए और दोनों ओर अन्य कोई घायल अथवा हताहत नहीं हुआ।

पूर्वोक्त वर्णन निश्चित रूप से नामित व्यक्तियों के अनुकरणीय साहस, दृढ़ निश्चय, सर्वोच्च बलिदान की भावना, सूझबूझ, नेतृत्व की योग्यता और हिम्मत तथा अत्यधिक विपरीत और कठिन परिस्थिति में भी टीम के रूप में संगठित रूप से पूर्ण अनुशासन में उनकी कार्य पद्धति को प्रदर्शित करता है। उप निरीक्षक ललित कुमार ने उग्रवादियों के छिपने के स्थान का पता लगाने के बाद उग्रवादियों की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी का सामना करते हुए और अपना साहस खोए बिना और उत्कृष्ट सूझबूझ तथा उच्च स्तर के नेतृत्व गुण का प्रदर्शन करते हुए एक तरफ अपने अधीनस्थों को पोजीशन लेने और धीरे-धीरे जवाबी गोलीबारी करने का आदेश दिया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी घटना के बारे में मोबाइल फोन पर तत्काल सूचित किया तथा अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया और इसकी प्रतीक्षा करते समय अपनी पुलिस पार्टी को चारों ओर फैल जाने और पूरे गाँव को घेरने और अतिरिक्त पुलिस बल के पहुँचने तक न्यूनतम जवाबी कार्रवाई करने तथा दुश्मन को उलझाए रखने का और अनुशासित पेशेवर तरीके से कार्य करने, अपने वरिष्ठ अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोट्टा के वहाँ पहुँचने पर उनके आदेश का पालन करने और उग्रवादियों का सफाया करने के

लिए उनके योग्य नेतृत्व तथा निदेश के तहत कार्य करने के लिए कहा। उप निरीक्षक जय प्रकाश सिंह प्रभारी अधिकारी एवं उप निरीक्षक मुफस्सिल पुलिस स्टेशन राजेन्द्र कुमार दुबे और जामुआ पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी एवं उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने भी इसी उद्देश्य अर्थात् अभियान में सफलता की प्राप्ति के लिए ऐसे ही गुणों का प्रदर्शन किया और इसी प्रकार सक्रिय रूप से भाग लिया। उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनुरंजन किसपोट्टा ने सूचना प्राप्त होने के बाद अपने बल के साथ साथ घटनास्थल पर सही समय पर तत्काल पहुँचकर पूरा चार्ज ले लिया और पूरे पुलिस बल का प्रभावकारी ढंग से नेतृत्व करते हुए और न्यूनतम बल के साथ और पुलिस पार्टी में किसी के हताहत अथवा घायल हुए बिना सफलतापूर्वक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से उसकी अधिकतम क्षमता का उपयोग किया तथा अनुकरणीय साहस और फील्ड में सच्चे नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपने सैन्य दलों में आत्मविश्वास उत्पन्न किया और पूरी पुलिस पार्टी का मनोबल बनाए रखा ताकि वे उग्रवादियों का सफलतापूर्वक सफाया कर सकें और साथ ही पूरे अभियान का इतनी रणनीतिपूर्वक समन्वय किया कि अभियान में किसी के हताहत हुए बिना न्यूनतम गोलीबारी करके भी सफलता प्राप्त हुई। शेष पुलिस पार्टी ने अनुशासन में रहकर, टीम के रूप में कार्य किया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया और अन्यों के लिए आदर्श बनकर उनमें आत्मविश्वास और जोश उत्पन्न कर दिया जिससे वे वीरता से लड़े और अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान की।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अनुरंजन किसपोट्टा, उप पुलिस अधीक्षक, जय प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक, राजेन्द्र कुमार दुबे, उप निरीक्षक और अनिल कुमार सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 21.04.2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 149-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. जितेन्द्र कुमार सिंह　　(वीरता के लिए पुलिस पदक)
उप निरीक्षक

02. कृष्ण कुमार महतो (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
उप निरीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 24.10.2010 की मध्य रात्रि में पुलिस लाइन, राँची के श्री के0के0 महतो, उप निरीक्षक को उस क्षेत्र में अपने सशस्त्र दस्ते के साथ सी पी आई माओवादी के जोनल कमांडर, कुंदन पहान की गतिविधि के बारे में पूर्व सूचना के आधार पर एक विशेष नक्सल-रोधी अभियान में शामिल होने के लिए कहा गया। इस सूचना पर श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक, प्रभारी अधिकारी मूरी ओ0पी0 रांची ने पुलिस बल का नेतृत्व और श्री के0 के0 महतो ने जोन्हा के दिनेश टिर्की चौक (यह स्थान सी पी आई माओवादियों के प्रभुत्व वाला घने जंगलों, पहाड़ियों और छोटी-छोटी नदियों से घिरा हुआ है) पर राँची-पुरूलिया रोड पर एक तलाशी अभियान का नेतृत्व किया। लगभग 0200 बजे तलाशी अभियान के दौरान एक मोटरसाइकिल आई और जब मोटरसाइकिल को रूकने के लिए कहा गया, तब उस पर सवार लोग वाहन को छोड़कर भाग गए। जब वे मोटरसाइकिल की तलाशी ले रहे थे तभी एक कार उनकी ओर आती हुई दिखाई दी। इस बार भी कार में बैठे दोनों लोगों ने भागने का प्रयास किया लेकिन इस बार पुलिस पार्टी ने उनका पास की झाड़ियों तक पीछा करके उन्हें पकड़ लिया। जब श्री जितेन्द्र कुमार सिंह और श्री के0 के0 महतो उनसे पूछताछ कर रहे थे, तभी मैरिज पार्टी के लेबल वाला एक अन्य यात्री वाहन पुलिस बल की ओर आया। पुलिस अधिकारियों ने इस वाहन को भी रूकने के लिए कहा लेकिन वाहन चालक ने पुलिस नाकाबंदी से बलपूर्वक भागने का प्रयास किया परन्तु अचानक की गई पुलिस कार्रवाई के कारण ड्राइवर ने अपना वाहन घबराहट में पास मे खड़े पुलिस वाहन से टकरा दिया। तथाकथित मैरिज पार्टी वाले वाहन में बैठे लोग, जो कोई नहीं और बल्कि कुंदन पाहन और भारी हथियारों से सुसज्जित दस्ते के सदस्य जैसे कि विशाल दा, किशोर दा, विक्रम महतो, कर्मकांत मुंडा और पहचाने न जा सके 14-15 उग्रवादी थे, उस वाहन से उतरे और पास की ही झाड़ियों और गड्ढों में पोजीशन ले ली और अपने स्वचालित हथियारों से पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और उन पर कई हथगोले भी फेंके। पुलिस पार्टी के नेताओं, श्री जितेन्द्र कुमार सिंह और के0 के0 महतो ने कोई समय गँवाए बिना तुरंत पोजीशन ले ली और अपने अधीनस्थों को गोलीबारी शुरू करने और माओवादियों की ओर से अचानक किए गए इस हमले का जवाब देने का आदेश दे दिया। डेढ़ घण्टे तक भीषण गोलीबारी हुई और इस अवधि के दौरान के0 के0 महतो और जितेन्द्र कुमार सिंह ने न केवल अनुकरणीय साहस दर्शाया बल्कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दी और अपने अधीनस्थों को बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित किया जिसके परिणामस्वरूप पुलिस पार्टी को कोई क्षति नहीं हुई और कोई हताहत भी नहीं हुआ जबकि उन्हें उस समय तक कोई अन्य पुलिस सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, माओवादियों ने गालियाँ चलाना बंद कर दिया और अतिरिक्त पुलिस बलों, जिसका नेतृत्व सत्येन्द्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक, प्रभारी अधिकारी अंगरहा पुलिस स्टेशन और अजीत पीटर डुनडुंग, उप पुलिस

अधीक्षक, मुख्यालय, राँची कर रहे थे, को आता देख बचकर पास के जंगल में भाग गए। युद्ध विराम के बाद, पुलिस बलों ने उस क्षेत्र में तलाशी और गहन छानबीन अभियान शुरू किया। उन्हें हरी वर्दी पहने एक माओवादी का शव मिला और निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की गयी:-

1. मैगजीन सहित 01 रेगूलर इंसास राइफल और 05 जिन्दा कारतूस सहित आर एन सी-65 जिस पर अर्सिनल नं0 16824012 आर एफ एल 2005 अंकित था।
2. फाइन लाइन कारतूसों वाली मैगजीन सहित 01 रेगूलर एस एल आर राइफल एटीफल
3. 01 रेगूलर 303 पुलिस राइफल, जिस पर अर्सेनल नं0 एम 476-1948 था।
4. प्रत्येक में 20 गोलियों वाली 04 मैगजीन, कुल 80 गोलियाँ
5. 01 नोकिया हैंडसेट
6. डोरा सेल की मोबाइल बैटरी -2 नग
7. इंसास राइफल की 10 खाली मैगजीनें
8. मोटोरोला वायरलेस सेट
9. एस एल आर की 10 खाली मैगजीन
10. हीरो होंडा सी डी डॉन मोटर साइकिल नं. एच जे-01 एफ-9914
11. मटीज कार नं0 बीआर-16 एन 1919
12. हथगोला-01
13. नोकिया मोबाइल-01, माइक्रोमैक्स सेट-01, सैमसंग मोबाइल-01

जीप नं0 जे0एच 01 एल-5330 के यात्री से बरामद की गई वस्तुएँ

i) 5.56 इंसास राइफल के 18 जिंदा कारतूसों और एस एल आर के 15 जिंदा कारतूसों सहित ब्लैक कमांडो ड्रेस
ii) तीन वायरलेस एन्टीना सहित नक्सली साहित्य और यूनीफॉर्म, हथियारों को साफ करने के लिए उपकरण, कमांडो ड्रेस, बर्तन
iii) 01 कम्पास, टाटा इंडिकॉम मोबाइल -01, नोकिया मोबाइल -05
iv) 10420/-रूपये
v) सिम-46 और 03 बैग

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक और कृष्ण कुमार महतो, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 25.10.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 150-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री श्रीधर (मरणोपरान्त)
एपीसी

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

30 मई, 2010 को सी पी आई, के0 आर0 कंठराज को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17, शिरूर, बिन्दूर, उप्पुंडा, किरिमंजेश्वर, नावुंडा और कुंडापुर को कवर करते हुए कुंडापुर उप संभाग की रात्रि कालीन गश्त के पर्यवेक्षण की ड्यूटी करनी थी। तदनुसार, उन्होंने ड्रावइर श्रीधर के साथ अपराह्न 11:00 बजे बिंदूर से रात्रि कालीन गश्त शुरू की।

31 मई 2010 को पूर्वाह्न 03.00 बजे कुंडापुरा पुलिस स्टेशन से एक वायरलेस मेसेज प्राप्त हुआ कि पहचाने न जा सके दो व्यक्तियों ने कुंडापुरा शहरी क्षेत्र में नायक पेट्रोल बंक पर हमला कर दिया है। अपराधियों ने बस क्लीनर पर चाकू से हमला कर दिया था जिससे उसके गाल और गर्दन पर चोट पहुँची थी और अपराधी जबरदस्ती उसका मोबाइल फोन और एक बटुआ, जिसमें 500 रूपये थे, ले भागे थे। इसके अलावा अपराधियों ने एक अन्य व्यक्ति को सड़क पर चाकू और लोहे की छड़ से धमकाया था और उसका मोबाइल फोन छीन लिया था। चूँकि अपराधी हथियारों से लैस थे और खतरनाक थे, अत: रात्रिकालीन गश्त कर रहे पुलिस अधिकारियों को वायरलेस पर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने और अपराधियों के पकड़ने की सलाह दी गई।

उपर्युक्त संदेश प्राप्त होने पर, सी पी आई, के0 आर0 कंठराज और ड्राइवर श्रीधर, जो उस समय गश्त ड्यूटी पर किरिमंजेश्वर (लगभग 20 किमी.) के निकट थे, ने समय गवाँए बिना शीघ्र कुंडापुर की ओर चल दिए और लाल बहादुर शास्त्री सर्किल पहुँच गए। वहाँ पूर्वाह्न लगभग 04:00 बजे उन्होंने सहायक उप निरीक्षक सुब्बा0 बी को वायरलेस पर शीघ्र बैक-अप के लिए अनुरोध करते हुए सुना कि उन्होंने अपराधियों को रिंग रोड पर देखा है और वे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 की तरफ संगम ब्रिज के निकट मेन रोड पर भाग रहे हैं। सी पी आई के. आर. कंठराज और ड्राइवर श्रीधर ने अपनी जीप तत्काल संगम ब्रिज की तरफ दौड़ा दी। जैसे ही वे घटनास्थल के निकट पहुँचे, उन्होंने दोनों अपराधियों –एक अपराधी को एक लंबा चाकू भाँजते हुए और दूसरे को लोहे की छड़ लिए देखा। पुलिस की जीप देखकर अपराधी ने बचकर भाग निकलने के प्रयोजन से नगरपालिका डम्पिंग यार्ड के पुराने दरवाजों की तरफ दौड़ पड़े। सी पी आई के0 आर0 कंठराज तत्काल जीप से कूदे और चिल्लाकर अपराधियों से रूकने को कहा और

उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। चूंकि वे उन पर भारी पड़ रहे थे इसलिए एक अपराधी अचानक लम्बा चाकू भांचते हुए सी पी आई के0 आर0 कंठराज की ओर दौड़ा और उन पर चाकू से हमला कर दिया। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने बहादुरी से अपराधी को पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। इसी बीच ड्राइवर श्रीधर अपराधी को पकड़ने में सी पी आई के0 आर0 कंठराज की सहायता करने के लिए उनकी ओर दौड़े। उसी समय दूसरा अपराधी ड्राइवर श्रीधर की ओर पीछे से दौड़कर आया और एक लम्बा चाकू उनकी पीठ में घोंप दिया। ड्राइवर श्रीधर ने अपराधी का बहादुरीपूर्वक मुकाबला किया और अन्त में अपनी जान गंवा दी। उसी क्षण सी पी आई कंठराज, जिन्हें भी चोटे लगी थीं, ने साहस दर्शाया और अपराधियों पर गोली चलाने के लिए अपनी पिस्तौल निकाल ली। ऐसा करते समय, दुर्भाग्य से पिस्तौल के कौकिंग मैकेनिज्म में खराबी आ गई और पिस्तौल से गोली नहीं चलाई जा सकी। अपराधियों ने उनसे पिस्तौल छीनने की कोशिश की और इस हाथापाई में पिस्तौल नीचे गिर गई। तभी अपराधियों ने पिस्तौल उठाई और भाग गए। सी पी आई के0 आर0 कंठराज ने, जिन्हें गंभीर चोटें लगीं थीं, हिम्मत नहीं हारी और कर्तव्य की भावना को तरजीह देते हुए साहसपूर्वक अपराधियों का पीछा किया। उन्होंने सहायता के लिए अन्य पुलिस कार्मिकों अर्थात् सहायक उप निरीक्षक सुब्बा, पी0 सी0 प्रकाश, पी0 सी0 विजय कुमार और पी0 सी0 सुरेश को बुलाया। उनकी सहायता के लिए कुछ सिविलियन भी घटनास्थल पर पहुँच गए। इस समय तक उन्होंने अपराधियों का बचकर भागना विफल करने के लिए उन्हें घेर लिया था और अंततः अन्तर-राज्य हिंसक लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पूर्वोक्त अपराधी केरल राज्य के हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

1. रघु, 28 वर्ष, पिता का नाम: दासन, निवास: कल्लोट्टू, कांडीमाने मारादाइपालम, मट्टानूर, जिला: कन्नूर, राज्य: केरल और

2. राजेश उर्फ पाडाक्कुडी उर्फ राजू, आयु-20 वर्ष, पिता का नाम: नारायणन, निवास: राजीव निवास, कोलारी मारादाइपालम, माट्टानूर, जिला: कन्नूर, राज्य: केरल।

उनके खिलाफ केरल और कर्नाटक राज्य में चोरी, लूटपाट, हमला, हत्या, हत्या के प्रयास के लगभग 11 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उनके विरुद्ध दर्ज ये 11 मामले सिद्ध करते हैं कि वे कुख्यात अन्तर-राज्य अपराधी हैं। अभी वे उडुपी सब-जेल में बंद हैं। यह मामला ए सी जे (जूनियर डिवीजन) और जे एम एफ सी, कुंडापुरा के सी सी नं0 1799/2010 में विचाराधीन है।

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री श्रीधर, ए पी सी ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 31.05.2010 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 151-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सीता राम (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

कांस्टेबल सीताराम पदलकर ने वर्ष 1996-97 में मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। इन्हें खण्डवा और बुरहानपुर में तैनात किया गया था। जिला खण्डवा और बुरहानपुर साम्प्रदायिक रूप से अति संवेदनशील जिले हैं और सिमी गतिवधियों के गढ़ हैं। कांस्टेबल सीताराम ऐसे साम्प्रदायिक तत्वों विशेष रूप से सिमी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आसूचना एकत्र करने के लिए जोरशोर से कार्य कर रहे थे। उन्होंने सिमी कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए अनेक बढ़िया स्रोत विकसित कर लिये थे। सिमी कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने की जिम्मेदारी जिस टीम को सौंपी गई थी, वे उसके महत्वपूर्ण सदस्य थे। उनकी अति महत्वपूर्ण आसूचना तथा समय पर दी गई जानकारी के आधार पर दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को पुलिस स्टेशन खण्डवा में प्रतिबंधित सिमी के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था और एक मामला संख्या 202/208 धारा 153 क के तहत दर्ज किया गया था। गिरफ्तार किए गए प्रमुख अभियुक्त महबूब उर्फ गुड्डू, अहमद उर्फ अमजद, जफर, मोहम्मद खलील, शेख मुख्तार और खलील चौहान थे। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी में कांस्टेबल सीताराम ने अहम भूमिका निभायी थी। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें नकद पुरस्कार भी दिया गया था।

कांस्टेबल सीताराम अपने कार्य के प्रति अत्यधिक प्रेरित और समर्पित थे और जानकारी लेने में उनका स्थानीय लोगों के साथ सम्पर्क होने की वजह से उनका चयन मध्य प्रदेश पुलिस की एटीएस इकाई में हुआ था। गुप्त जांच-पड़ताल, निगरानी, साक्ष्यों के संग्रह और एटीएस में सौंपे गए कार्य को उन्होंने बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से निभाया। उनकी सूचना के आधार पर, दिनांक 20-10-2009 खजराना क्षेत्र से प्रतिबंधित सिमी संगठन के 5 प्रमुख अभियुक्तों अर्थात मोहम्मद शफीक, युनूस, साजिद, अशरद और फिरोज को गिरफ्तार किया गया था। एक मामला संख्या 05/09 यू ए पी ए अधिनियम की धारा 147, 148, 153 क और 3(10)13 के तहत दर्ज किया गया था। इन पांच अभियुक्तों में से दो अभियुक्त अर्थात मोहम्मद शफीक और युनूस गुजरात में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाके में वांछित थे।

इसी तारतम्य में, सिमी के राज्य सचिव इनामुर रहमान को दिनांक 03/11/2009 को जबलपुर में गिरफ्तार किया गया था और एक मामला संख्या 6/09 धारा 153क, 120 भा.द. संहिता और 3(10) (13) यूएपीए के तहत दर्ज किया गया था। सीताराम ने उपर्युक्त दोनों मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसके लिए उन्हें 25,000/- रूपए का नकद ईनाम भी दिया गया था।

दिनांक 28.11.2009 को खण्डवा में बकरीद मनायी जा रही थी। खण्डवा में सिमी की गतिविधियों की नियमित आसूचना एकत्र करने के लिए एटीएस यूनिट को तैनात किया गया था। कांस्टेबल सीताराम भी सिमी के सदस्यों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। लगभग 12 बजे अपराह्न "तीन पुलिया" रेलवे अण्डरब्रिज पर एक व्यक्ति ने उसे रोका और उससे बातचीत करने लगा। कुछ समय के बाद दो और व्यक्ति उसके साथ मिल गए और कुछ देर बाद उन्होंने सीताराम के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। कांस्टेबल सीताराम ने खूंखार हमलावरों की दो गोलियों से घायल होने के बावजूद अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर और स्वयं से पहले ड्यूटी को महत्व देते हुए अपनी सर्विस रिवाल्वर निकाली और हमलावरों पर गोली चला दी। इसी बीच, हमलावरों ने उस पर दो और राउण्ड फायर किए। सीताराम ने अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए उनको मार गिराने के लिए हमलावरों पर जवाबी फायर किया। वह हमलावरों से तब तक लड़ते रहे जब तक कि धराशायी नहीं हो गए। सीताराम की त्वरित और यथोचित कार्रवाई ने हमलावरों को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया और इस प्रकार अनेक लोगों को हताहत होने से बचा लिया।

अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध विधिविरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1967 की धारा 15(क) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। जांच-पड़ताल पर यह पाया गया कि खतरनाक आग्नेयास्त्रों से लैश तीन सशस्त्र हमलवारों ने उनको घेर लिया था और उन पर फायर किया था। कांस्टेबल सीताराम ने महान कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन करते हुए उनका मुकाबला किया और उनकी गोलीबारी का साहस के साथ प्रत्युत्तर दिया । श्री सीताराम ने स्वयं से ज्यादा अपने कर्तव्य को महत्व देते अत्यधिक सराहनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपनी सर्विस पिस्टल से उनकी गोलीबारी का जवाब दिया और कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने जीवन का कुर्बान किया और गोली लगने से घायल होने की वजह से घटना के 40 मिनट के अन्दर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। परन्तु यदि उन्होंने साहस और अनुकरणीय कर्तव्यनिष्ठा को प्रदर्शन न किया होता तो जनता के अनेक निर्दोष लोग उन खूंखार हमलावरों की धुवांधार गोलीबारी का शिकार हो गए होते।

कांस्टेबल सीताराम ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उच्च कोटि की भावना और संवदेनशीलता प्रदर्शित की। उन्होंने अपने समस्त दायित्वों का पालन समर्पण और कठिन संघर्ष के साथ किया। उन्होंने खण्डवा जिला में सिमी नेटवर्क का भण्डाफोड करने और उनका ध्वन्स करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस मुठभेड़ में स्व. श्री सीताराम, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 28.11.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 152-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री प्रेम कुमार दीक्षित
अपर पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 19 मार्च, 2000 को 13.30 बजे, श्री पी.के. दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक, (डकैती-रोधी) भिण्ड को स्वयं के द्वारा सृजित एक विश्वस्त मुखबिर के माध्यम से एक सटीक जानकारी मिली कि ग्राम रामपुर, पुलिस स्टेशन नयागांव की घाटियों में टी-3 राजू कुशवाहा गैंग की 4 सशस्त्र टुकड़ियां मौजूद हैं जो सरसई गांव से किसी के अपहरण की योजना बना रहे हैं। उन्होंने एस पी, भिण्ड श्री डी. श्रीनिवास राव से परामर्श करने के पश्चात तत्काल कार्रवाई शुरु की और उनके मार्गदर्शन में इस सशस्त्र डकैतों के गिरोह को पकड़ने की योजना बनायी। श्री दीक्षित ने उपलब्ध बल को संगठित किया और रामपुरा पहुंच गए तथा उस बल को दो दलों में विभाजित किया। पहले दल में श्री पी.के. दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक ए/डी, एस एच ओ, नयागांव, तथा पुलिस स्टेशन, नयागांव के ए एस आई, हेड-कांस्टेबल और एस ए एफ एवं डी ई एफ के कांस्टेबल शामिल थे। दूसरे दल का नेतृत्व डीएसपी, मुख्यालय, भिण्ड श्री यशपाल सिंह राजपुर ने किया जिसमें एस एच ओ उमरी, हेड कांस्टेबल और डी ई एफ तथा एस ए एफ उमरी के कांस्टेबल शामिल थे। मुखबिर द्वारा दिनांक 19.03.2000 को 13.30 बजे के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार, जब तलाशी अभियान के लिए एरिया को घेर लिया गया तो श्री दीक्षित ने रामपुरा गांव की "सुआ की करार" की घाटी में 4 सशस्त्र डकैतों को देख लिया। उन्होंने तुरन्त उनको आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा किन्तु आत्मसमर्पण करने के बजाय गैंग ने श्री दीक्षित और उनकी पार्टी पर भारी गोलीबारी झोंक दी। श्री दीक्षित बाल-बाल बचे और तुरन्त उन्होंने अपनी पोजीशन ली। उन्होंने डकैतों को पुन: आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दीं किन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ। एक खूंखार डकैत ने अपनी पोजीशन ली और श्री दीक्षित पर भारी गोलीबारी कर दी। वे गोलीबारी से डरे नहीं और अपवनी जान की परवाह न करते हुए

तुरन्त आगे बढ़ने लगे और घुटनों के बल चलते हुए उस आक्रमक डकैत के पास पहुंच गए जिसने श्री दीक्षित पर दुबारा भारी गोलीबारी की जिसमें गोली से घायल होने से वे बाल-बाल बचे। श्री दीक्षित ने भी आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी शुरु की। इसी बीच, दूसरे डकैत भी आगे बढ़ रही पुलिस पार्टी को रोकने के लिए पार्टी सं. 1 और 2 पर गोलियां चलाते रहे। दोनों ओर से चल रही गोलीबारी के दौरान श्री दीक्षित ने इस प्रतिकूल स्थिति का सामना बड़ी ही सूझबूझ एवं साहस तथा जीवन की परवाह न करते हुए किया। उन्होंने अपने कर्तव्य से परे इस जोखिम का सामना किया और लगातार गोलीबारी करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहे। इसके प्रत्युत्तर में बदमाशों ने श्री दीक्षित पर निशाना लगाकर दुबारा फायर किया और यदि वे वहां से आगे न निकल गए होते तो बदमाशों की गोली श्री दीक्षित के सिर पर लगी होती, परन्तु बन्दूकों की गोलीबारी से भयभीत हुए बिना वे डकैतों की ओर आगे बढ़ते रहे जो भारी गोलीबारी की आड़ में बच निकलने की कोशिश कर रहे थे। श्री दीक्षित सबसे आगे थे, आत्मरक्षा में बहुत ही नियंत्रित गोलीबारी कर रहे थे और एक क्षण भी गवांए बिना आगे बढ़ते रहे और जिसके फलस्वरूप एक कुख्यात डकैत को मार गिराने में कामयाब हुए जिसकी पहचान बाद में, इन्दे उर्फ इन्दल सिंह कुशवाहा के रूप में हुई जिस पर 5,000/-रूपए का ईनाम था। इस प्रकार, श्री दीक्षित ने अपने कर्तव्य निर्वहन से परे जाकर अनुकरणीय साहस ओर नेतृत्व का प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने दुस्साहसियों के समक्ष आकर उनसे सीधे टक्कर ली। हालांकि, तीन डकैत नदी-घाटियों का फायदा उठाकर भाग गए और उन्हें नहीं पकड़ा जा सका। टी-3 राजू कुशवाहा के गैंग का मध्य प्रदेश के भिण्ड, ग्वालियर और मोरैना में और उत्तर प्रदेश के जालौन एवं इटावा जिलों में तथा दिल्ली में आतंक था। दिनांक 13.02.2000 को भिण्ड शहर में राजू कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद, इन्दल सिंह पुत्र लालजीत सिंह कुशवाहा, जो राजू कुशवाहा का अत्यन्त विश्वस्त लेफ्टीनेन्ट और सेकन्ड कमाण्डर था, इस बचे गुट का मुखिया बन गया था।

इस जोरदार मुठभेड़ में सर्वाधिक खूंखार डकैत इन्दे उर्फ इन्दल सिंह कुशवाहा, जो राजू कुशवाहा का सेकण्ड इन कमाण्ड था, और बदमाशों का सरदार था, को मार गिराया गया। इस डकैत के खात्मा से सारा गैंग बिखर गया और उसके बचे-खुचे बदमास निकट भविष्य में इस गुट के पूर्णत: समाप्त होने की वजह से इधर-उधर भाग गए। मुठभेड़ स्थल से दैनिक उपयोग की बहु-प्रोजनीय वस्तुओं के साथ दो 12 बोर बन्दूकें और 11 जिन्दा कारतूस तथा 32 खाली खोखे बरामद किए गए।

इस अभियान के समस्त घटनाक्रम में, जो करीब एक घण्टा चला, श्री पी.के. दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक (डकैती-रोधी), भिण्ड की भूमिका उच्चकोटि की थी और यह उनकी व्यक्तिगत बहादुरी, और अनुकरणीय नेतृत्व युक्त उच्चकोटि की कर्तव्य निष्ठा ही थी जिसकी वजह से ऐसे खूंखार अन्तराज्यीय गिरोह का सफाया हुआ और उनके द्वारा उसे मार गिराया गया। इसके फलस्वरूप, भिण्ड जिला और शहर दोनों में सार्वजनिक उत्सव मनाया गया और प्रेस

तथा जनता दोनों ने इसकी खूब प्रशंसा की और इस अभूतपूर्व त्वरित पुलिस कार्रवाई की सराहना की।

श्री पी.के. दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक (डकैती-रोधी) भिण्ड ने अपने कर्तव्य का निर्वहन अत्यन्त वीरता और अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह न करते हुए किया है। इस मुठभेड़ में अपनी जान को गंभीर खतरे का सामना करते हुए उन्होंने बुद्धिमतापूर्ण नेतृत्व, दृढ़ निश्चय और उल्लेखनीय पहल का भी परिचय दिया जिसमें राजू कुशवाहा गैंग के विश्वसनीय लेफ्टीनेंट इन्दे उर्फ इन्दल सिंह को मार गिराया गया था।

इस मुठभेड़ में श्री प्रेम कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.03.2000 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 153--प्रेज/2011-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. श्री पी. रमेश सिंह
राइफलमैन

02. एल. जॉतिन कुमार सिंह
राइफलमैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 31 अगस्त, 2010 को एनगरियन हिल्स रेंज के सार्वजनिक क्षेत्र और इसके आस-पास 7/8 सशस्त्र उग्रवादियों के मौजूद होने के संबंध में 28, असम राइफल्स से प्राप्त सूचना और निजी स्रोतों से उसकी पुष्टि होने के आधार पर श्री वी. निगंसेन, ए एस पी/सी डी ओ, थाऊबाल की कमान में थाऊबाल पुलिस कमाण्डो और 28वीं असम राइफल्स की एक संयुक्त टीम

उग्रवादियों की किसी भी गैर-कानूनी और हिंसक गतिविधि को रोकने के लिए करीब 2010 बजे उक्त क्षेत्र की ओर रवाना हुई।

संयुक्त टीम सामरिक बिन्दुओं को कवर करते हुए घात लगाकर बैठ गई और कुछ देर के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र में खोजबीन आरम्भ की गई। लगभग 2045 बजे संयुक्त टीम को एक विशेष जगह में कुछ गतिविधि का आभास हुआ और उन्होंने उस ओर टार्च जलाकर यह जानना चाहा कि यह क्या था और संदिग्ध लोगों को ललकारा। पहचान बताने के लिए उनकी आवाज का जवाब अचानक सर्च लाइट वाली दिशा में स्वचालित हथियारों से की गई गोलियों की बौछार के रूप में दिया गया। आ रही गोलीबारी से उग्रवादियों की दिशा की पुष्टि होने पर, ए एस पी/सी डी ओ द्वारा राइफलमैन पी. रमेश सिंह, राइफलमैन एल. जॉतिन कुमार और राइफलमैन एन. शैलेश (सभी सी डी ओ/थाऊबाल के थे) को संदिग्ध उग्रवादियों की दिशा की ओर चुपचाप बढ़ने का संकेत दिया गया। इस बीच, हवलदार केशोर जीत सिंह और 28वीं असम राइफल्स के साथ शेष टीम ने इनको फायरिंग कवर देना शुरु किया। उग्रवादियों द्वारा हर दिशा की ओर छुट-फुट फायरिंग की गई किन्तु इसके बावजूद, संयुक्त टीम ने जल्दबाजी न करते हुए उसका बहादुरी के साथ जवाब दिया।

कुछ क्षण के पश्चात, अपनी सुरक्षा की बिलकुल परवाह न करते हुए गोलीबारी के बीच अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए तीन सीडीओ कार्मिक-राइफलमैन रमेश सिंह, राइफलमैन एल. जॉतिन कुमार और राइफलमैन शैलेश घुटनों के बल बढ़ते हुए गोलीबारी कर रहे उग्रवादियों के निकट पहुंच गए और सामरिक दृष्टि से लगातार गोलीबारी करते हुए उग्रवादियों की ओर बढ़ते गए और एक उग्रवादी को हिंलरेंज की झाड़ियों में घेर लिया और इसके पश्चात चली गोलीबारी में मौके पर ही उग्रवादी को मार गिराया। तब उग्रवादियों ने संयुक्त टीम के घेरे से बच निकलने के लिए अंधेरे का फायदा उठाया। यह गोलीबारी की जंग करीब 20 (बीस) मिनट तक चली। गोलीबारी रुकने के पश्चात, संयुक्त टीम ने सर्चलाइट से पूरे क्षेत्र की सघन तलाशी की और निम्नलिखित सामान बरामद किया:-

1. एक यू एस निर्मित स्थिम एण्ड वेसन 9 एम एम पिस्टल।
2. एक मैगजीन
3. 9 एम एम गोलाबाररूद के छह जिन्दा राउण्ड
4. एक चीन निर्मित हथगोला
5. 9 एम एम गोलाबारुद के चार खाली खोखे।
6. ए.के. सीरीज के ग्यारह खाली खोखे।

मौके पर औपचारिकताओं को पूरा करके यह सारा सामान करीब 2130 बजे कब्जे में ले लिया गया।

मृतक की पहचान बाद में अवांग सेकमई सोबल लेईकेई के माओइरैंगथेम नानाओ सिंह उर्फ थॉमस उर्फ सनाऊबाल उम्र 24 पुत्र एम. राजेन उर्फ धोजोबी सिंह के रूप में हुई जो प्रतिबंधित यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ) का एक स्वयंभू कारपोरल था। वह 28वें बैच का एक खतरनाक प्रशिक्षित कॉडर था और उसकी सेवा संख्या 1728 थी। स्रोत रिपोर्ट से यह पुष्टि हुई कि उसे कुछ काडरों के साथ इस संगठन के गिरते हुए मनोबल को बढ़ाने के लिए सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए थाऊबाल क्षेत्र में नियुक्त किया गया था।

इसका उल्लेख मामले की एफ आई आर सं. 50(8) 2010 वाई पी के पुलिस स्टेशन, धारा 307/34 भा.द.संहिता, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 25 (1-सी) आयुध अधिनियम और 16(1) (ख)/20 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 04 के तहत किया गया है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री पी. रमेश सिंह, राइफलमैन और एल. जॉतिन कुमार सिंह, राइफल मैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 31.08.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 154-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एल. बिक्रमजीत सिंह
   जमादार
2. एल. मोहिन्द्रो सिंह
   कांस्टेबल
3. जंगखोलाल बैटे
   राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

थोंगजू पार्ट-।। (कोइराऊ) गांव के सार्वजनिक क्षेत्र में रिवोल्युशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर पी एफ) के कुछ सशस्त्र कॉडरों, जिनका इरादा संभवत: सुरक्षा बलों पर हमला करने और गैर-मणिपुरी लोगों को निशाना बनाने का था, के मौजूद होने के संबंध में प्राप्त एक विश्वसनीय

जानकारी के आधार पर, सी ओ डी, इम्फाल पश्चिम की एक संयुक्त टीम, जिसमें 5 (पाँच) पार्टियां शामिल थीं, दिनांक 18.11.2010 को लगभग 2.30 बजे अपराह्न प्रतिबंधित संगठन की गैर-कानूनी गतिविधि को रोकने के लिए उक्त क्षेत्र की ओर रवाना हुई।

करीब 3.30 बजे अपराह्न टीम को तीन टीमों में विभाजित किया गया और थौंगजू पार्ट-II के मुख्य-मुख्य ठिकानों की तलाशी शुरु की गई। जमादार बिक्रमजीत के अधीन चल रही टीम गांव के मध्यवर्ती हिस्से के मुख्य-मुख्य ठिकानों में तलाशी कर रही थी जबकि दूसरी टीम, इसके उत्तरी और दक्षिणी ओर की तलाशी कर रही थी। उनकी टीम ने दो व्यक्तियों को बांस की कोठी, जो पूर्वी ओर एक ऊंचे टीले (पल्ली) पर खड़ी थी, की ओट से कोइराऊ लाऊकोन की ओर छिपकर भागने का प्रयास करते हुए देखा। ज्यों ही जमादार बिक्रमजीत सिंह के नेतृत्व वाली कमाण्डो टीम ने उन्हें रुकने के लिए कहा तो उन्होंने सुरक्षा बलों को चकमा देकर भागना शुरु कर दिया। उनकी टीम तुरन्त उनका पीछा करने लगी और जब उक्त टीम उनके नजदीक पहुंचने वाली थी तो वे बांस की कोठी के पश्चिमी दक्षिण की ओर कूद गए और अचानक अपने हथियारों से कमाण्डो टीम की ओर गोलियां चलानी शुरु कर दी। तत्काल, उक्त टीम ने पूर्वी ओर के ऊंचे टीले में कवर लेते हुए तत्परता के साथ जवाबी गोलीबारी की। इस प्रकार, इस गोलीबारी की जंग, जो लगभग 8 मिनट तक चली, में जमादार, एल. बिक्रमजीत सिंह सी ओ डी/इम्फाल के कांस्टेबल एल. मोहिन्द्रो सिंह और राइफलमैन जंगखोलाल बैटे के साथ बिना झिझके हुए इंच-इंच करके घुटनों के बल उनकी ओर बढ़ने लगे क्योंकि गोलियां उनके सिर के ऊपर से होकर जा रही थीं। उग्रवादियों की ओर से हो रही लगातार गोलीबारी के सामने झाड़ी की ओर उनके बढ़ने की प्रक्रिया में वे कमाण्डो पूर्णत: खुले में आ गए थे क्योंकि उनकी ओट (कवरेज) के लिए कोई प्रत्यक्ष वस्तु नहीं थी। तथापि, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर जमादार, एल. बिक्रमसिंह ने मोर्चे पर रहकर टीम का नेतृत्व किया जबकि कांस्टेबल एल. मोहिन्द्रो सिंह और राइफलमैन जंगखोलाल बैटे ने भी अपने कमाण्डर का पग-पग पर साथ दिया। उनकी कवरिंग फायर की ओट में जमादार एल. बिक्रमसिंह लगातार गोलियां चलाते हुए बिना रूके आगे बढ़ते रहे और कांस्टेबल एल. मोहिन्द्रो सिंह और राइफलमैन जंगखोलाल बैटे ने भी हर-पल उग्रवादियों के विरुद्ध जोरदार हमला जारी रखा। जब कमाण्डो बांस की कोठी के पूर्वी छोर के पास पहुंच गए तो उन्हें अपने शारीरिक कवरेज का कुछ लाभ मिला और फिर गोलीबारी की जंग छिड़ गयी। इस प्रकार, जब एक उग्रवादी, कमाण्डो पर फायर करने के लिए ऊपर उठा तो उसके उठते ही उसे मार गिराया गया जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अन्य उग्रवादी घने बांस के झुरमुटों की ओर जाने वाले धान के खेत के पास वाली नाली के सहारे बच निकलने में कामयाब हो गए।

मुठभेड़ के बाद गहन तलाशी की गई और मुठभेड़ स्थल की तलाशी करने पर निम्नलिखित हथियार एवं गोलाबारुद मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए:-

(क) एक 9 एम एम कैलिबर पिस्टल जिस पर ग्लॉक संख्या एच आर ए-170 अंकित था (आस्ट्रेलिया निर्मित)

(ख) 9 एम एम गोलाबारुद के 3 जिन्दा राउण्ड

(ग) 9 एम एम कैलिबर की एक मैगजीन

(घ) एक चीन निर्मित हथगोला

(ड.) 9 एम एम गोला-बारुद के चार खाली खोखे।

मारे गए उग्रवादी की पहचान बाद में, चिन्गा मथक नामेइराकपम लेईकेई के एन. गैंगबम औनित उर्फ ओमान उर्फ एन्थोनी सिंह (42 वर्ष) पुत्र एन जी. बीरामुंगोल सिंह के रूप में हुई जो प्रतिबंधित संगठन आर पी एफ (रिवोल्युशनरी पीपल्स फ्रंट) के डिवीजन संख्या VI का एक स्वयंभू कमाण्डर था और सचिव के पद पर था। पुलिस रिकार्ड से पता चला कि वह मणिपुर राज्य में गैर-मणिपुरी लोगों को निशाना बनाने में मास्टर माइन्ड था।

इसका उल्लेख मामले की एफ आई आर संख्या 242(11), 10 सिंगईमेई पुलिस स्टेशन, धारा 307/34 भा.द. संहिता, 25 (1-सी) आयुध अधिनियम, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और 20 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत किया गया है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री एल. बिक्रमजीत सिंह, जमादार, एल. मोहिन्द्रो सिंह, कांस्टेबल और जंगखोलाल बैटे, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 18.12.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 155-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का दूसरा बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01.	बी. लुनथांग वाइफेई उप निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का दूसरा बार)
02.	ख. कुंजे सिंह राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

बिष्णुपुर जिला के लोइबोल खुनाऊ गांव के सार्वजनिक क्षेत्र में कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (मिलिटरी काउंसिल) नामक एक अभिनिषिद्ध संगठन के सशस्त्र कॉडर जो धन उगाही करने और मंहगें हैण्डसेट (मोबाइल) फोन के लिए सरकारी कर्मचारियों और जनता को धमकाने जैसी विद्रोही एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे थे और जिला पुलिस कमाण्डो अथवा किसी सुरक्षा बल पर मौका मिलने पर घात लगाने/हमला करने की गुप्त योजना बना रहे थे, के मौजूद होने के संबंध में एक विशिष्ट और विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक, बिष्णुपुर जिला श्री के. जयन्त सिंह के समग्र पर्यवेक्षण में बिष्णुपुर पुलिस के कमाण्डो तथा 4/8 जी.आर. (सेना) के कार्मिकों के एक संयुक्त बल ने तत्काल और संक्षिप्त सार्जिकल/सी.आई. अभियान चलाने की योजना बनायी।

तदनुसार, एस.आई. लुनथांग वाइपेई के नेतृत्व में संयुक्त बल दिनांक 13.12.2009 को करीब 4.30 बजे अपराह्न (16.30 बजे) जिला मुख्यालय से लोइबोल खुनाऊ के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर, संयुक्त बल अपनी-अपनी भूमिका/सामरिक पोजीशन के लिए जहां-तहां फैल गया। जब 4/8 जी आर (सेना) के कार्मिकों ने लोइबोल खुनाऊ के सार्वजनिक क्षेत्र का बाहरी घेरा डालकर घेराव कर लिया तो बिष्णुपुर जिला पुलिस के कमाण्डो ने लक्षित क्षेत्र की ओर सामरिक दृष्टि से आगे बढ़ना शुरु किया। जब एस.आई.बी. लुनथांग वाइपेई के नेतृत्व में आगे बढ रहे कमाण्डोज अन्तर-ग्रामीण कच्ची सड़क, जो सादू चिरू जल-प्रपात तक जाती है, से होकर लक्षित क्षेत्र के नजदीक पहुंच रहे थे तो उन पर उग्रवादियों द्वारा दो दिशाओं से घात लगाकर हमला कर दिया गया। प्राकृतिक अवसंरचना के कारण भाग्य ने उनका साथ दिया और वे सीधा जमीन पर लेट गए और कुछ सेकण्ड पड़े रहे। हालांकि, उग्रवादियों की ओर से चल रही गोलियां उनके ऊपर से होकर निकल रहीं थीं, फिर भी एस आई बी. लुनथांग वाइपेई और राइफलमैन ख. कुन्जे सिंह ने जोखिमपूर्ण परिस्थिति के बावजूद और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए घुटनों के बल चलते हुए आगे बढ़ना शुरु किया और एक टीले पर अपनी पोजीशन ली और सर्विस ए.के. राइफलों से जवाबी गोलीबारी करनी प्रारम्भ की। उग्रवादियों के विरुद्ध की जा रही उनकी धुंवाधार गोलीबारी ने, उनमें से एक उग्रवादी को झाड़ी छोड़कर बेहतर पोजीशन लेने/लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सूखे गड्ढ़े (नाला) की ओर भागने के लिए मजबूर कर दिया। तत्काल, एस आई बी. लुनथांग वाइपेई और राइफलमैन ख. कुंजे सिंह ने शस्त्रों से लैश उग्रवादी पर जोरदार फायरिंग की और उसे मौके पर ही ढ़ेर कर दिया। कमर में छद्म (कैमाऊफ्लैग) मैगजीन पाउच लपेटे हुए मारे गए उग्रवादी की पहचान बाद में कोन्थाऊजाम लाइरेन्खुन, इम्फाल के कोन्थाऊजाम सोमोरेन्द्रो सिंह उर्फ ब्वॉय 21 (वर्ष) पुत्र के. टेम्बा सिंह के रूप में हुई जो के सी पी (एम.सी.) का एक स्वयंभू लाँस कारपोरल था। शव के बगल में एक ए.के. 56 राइफल, ए.के. गोलाबारुद के (10) दस जिन्दा राउण्डों सहित एक मगजीन, एक केनवुड रेडियो (वॉयरलेस) सेट और ए.के. गोलाबारुद के 12 (बारह), खाली खोखे पाए गए थे।

इसके साथ ही, कुछ कदम की दूरी पर मौजूद दूसरे उग्रवादी ने लेथोड गन और अन्य अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके जोरदार हमला किया। यह जोरदार हमला एस आई बी. लुनथांग वाइपेई और राइफलमैन ख. कुंजे सिंह, जो अन्य कमाण्डो के आगे चल रहे थे, और जो उग्रवादियों के लिए खतरनाक थे, पर था। एस आई बी. लुनथांग वाईपेई और राइफलमैन ख. कुंजे सिंह जो उग्रवादियों की भारी गोलीबारी में फंस गए थे, ने अपनी जोखिमपूर्ण एवं विषम परिस्थिति के बावजूद बहादुरी के साथ संघर्ष शुरु किया। इस नाजुक स्थिति में, हवलदार मो. समादुर रहमान और राइफलमैन एस. कमेई नामक अन्य कमाण्डो ने अपनी सर्विस एल एम जी का प्रयोग करते हुए अधिकतम कवर फायर मुहैया कराकर उग्रवादियों के विरुद्ध जबरदस्त हमला बोल दिया। इसके साथ-साथ उन्होंने हर प्रकार की परम्परागत एवं उग्रवाद-रोधी रणनीतियों का प्रयोग करते हुए यह संघर्ष जारी रखा जो लगभग 15/20 मिनट तक चला। इन वीरों की गोलीबारी की ताकत और जाबाँज कमाण्डो के सामने टिकने में अक्षम हो जाने पर वे उग्रवादी अंधेरे का फायदा उठाकर घने जंगलों वाली छिद्रिल पहाड़ी की ओर भागने लगे। इसके बावजूद कमाण्डो ने कुछ दूरी तक उनका पीछा किया गया किन्तु अनावश्यक रूप से हताहत होने से बचने के लिए उनका पीछा करना छोड़ना पड़ा। इसके पश्चात् कमाण्डो ने मुठभेड़ स्थल और उसके आस-पास के क्षेत्रों की छानबीन करने का अभियान शुरु किया। उग्रवादियों द्वारा ट्रांजिट/अस्थायी कैम्प के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली एक छप्परनुमा झोपडी को नष्ट करने के पश्चात उक्त अभियान पूरा हो गया। झोपड़ी के अंदर, कमाण्डो को एक थैला मिला जिसमें एक डायरी और मोबाइल सिम कार्ड तथा अन्य सामरिक सामान थे। इसके पश्चात, झोपड़ी को पूर्णत: नष्ट कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, वहां से मैगजीन में 10 जिन्दा राउण्ड्स के साथ एक ए.के. 56 राइफल 3 (तीन) जिन्दा लेथोड बम सहित एक लेथोड़ गन भी बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री बी. लुनथंग वाईपेई, उप निरीक्षक तथा ख. कुंजे सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का दूसरा बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 13.12.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 156-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का पांचवा बार/वीरता के लिए पुलिस पदक का चौथा बार/वीरता के लिए पुलिस पदक का तीसरा बार/वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	एम. सुधीर कुमार मेइतेई निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिए पदक का चौथा बार)
2.	पी. संजय सिंह उप निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिए पदक का पांचवां बार)
3.	जी. थैंगम्पाऊ निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिए पदक का प्रथम बार)
4.	बी. लुनथांग वाइपेई उप निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिए पदक का तीसरा बार)
5.	डी. रोबिनसन जमादार	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
6.	जी. जिंगाऊथांग हवलदार	(वीरता के लिए पुलिए पदक का प्रथम बार)
7.	थोंगखोसेई ताउथांग राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
8.	डी. जेम्स माओ राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
9.	एम. खुम्पसुआंखई राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 01.10.2009 को लगभग 1000 बजे पूर्वाह्न (10.00 बजे) बिष्णुपुर जिला पुलिस मुख्यालय को इस आशय की एक विश्वस्त आसूचना जानकारी प्राप्त हुई कि कांगलेई याओल कन्ना लुप (मिलिटरी डिफेंस फोर्स) संक्षेप में के वाई के एल (एम.डी.एफ.) के भारी मात्रा में

हथियारों से लैस कॉडर/उग्रवादी वहां से उत्तर-पश्चिम की ओर लगभग 20 मील की दूरी पर टिंगकई खुलेन और टिंग साई खुनाऊ में देखे गए हैं। जानकारी प्राप्त होने पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिष्णुपर श्री के. जयन्त सिंह ने ओ.सी. बिष्णुपुर पुलिस कमाण्डो और निरीक्षक एम. सुधीर कुमार मेइतेई को जानकारी का सत्यापन करने का निर्देश दिया और तदनुसार, कार्रवाई हेतु प्रस्थान किया। इंस्पेक्टर एम. सुधीर कुमार मेइतेई ने तत्काल 73वीं माउन्टेन बिग्रेड के अधीन आने-वाले 21वें सेमी-कामण्डो के समन्वय से उक्त सशस्त्र कॉडरों/उग्रवादियों के विरुद्ध आक्रामक/सी.आई. अभियान शुरु करने की एक व्यापक योजना तैयार की। तदनुसार, दिनांक 01.10.2009 को लगभग 6.00 बजे अपराह्न (1800 बजे) दूसरी आई आर बटालियन के एस.आई.जी. थैंगमपाऊ और जे.सी. जेम. डी. रॉबिन्सन के नेतृत्व में बिष्णुपुर पुलिस कमाण्डो ने 21वीं पैरा-कमाण्डो की एक आक्रामक टीम के साथ मिलकर बिष्णुपुर जिला मुख्यालय से पैदल ही प्रस्थान किया और ओइनम, केइनाऊ, बुंगटे चिरू, थांगबुक को पार करते हुए टिंगकई खुलेन एवं टिंगकई खुनाऊ की ओर चल पड़े और दिनांक 02.10.2009 को सूर्योदय से पहले/तड़के सुबह टिंगकई खुलेन पहुंच गए। टिंगकई खुलेन पहुंचने पर उन्हें यह जानकारी मिली कि वे सशस्त्र कॉड़र/उग्रवादी लोइबोल गांव की ओर चले गए हैं। उन्होंने तत्काल, टिंगकई खुलेन से प्रस्थान किया और लेइबोल की ओर चल पड़े।

लेइबोल गांव के नजदीक खेती हट पहुंचने के पश्चात, उन्हें फिर यह जानकारी मिली कि सशस्त्र कॉडर/उग्रवादी लोइबोल गांव से चले गए हैं और पूर्व की ओर जल-प्रपात और वारिओचिंग की ओर बढ़ गए हैं। भागकर जा रहे सशस्त्र कॉडरों/उग्रवादियों को पकड़ने के लिए कमाण्डो को टिंगकई खुलेन की ओर वापस आना पड़ा।

3. दिनांक 03.10.2009 को लगभग 6.00 बजे अपराह्न (1800 बजे) बिष्णुपुर जिला पुलिस मुख्यालय में एक तत्काल सूचना मिली कि वही सशस्त्र कॉडर/उग्रवादी लोइबोल गांव से उतरकर जल-प्रपात (वाटरफाल) और वारोइचिंग पहुंच गए हैं तथा उनमें से कुछ उग्रवादियों के एक मारुति कार में सवार होकर लेईमारम गांव की ओर वहां तैनात सुरक्षा बलों पर घात लगाकार हमला करने के लिए आने की सभावना है। इस गंभीर जानकारी/सूचना के प्राप्त होने पर श्री एम. सुधीर कुमार मेइतेई, ओ.सी. बिष्णुपुर पुलिस कमाण्डो ने तत्काल अपने कार्मिकों को सशस्त्र कॉडरों/उग्रवादियों के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सतर्क किया और एस.आई. पी. संजय सिंह के अधीन एक कमाण्डो टीम को प्रश्नगत जगह पहुंचने तथा लेइमारम गांव की ओर आने वाले व्यक्तियों और वाहनों की तलाशी और जांच करने के लिए कहा। जब बिष्णुपुर पुलिस कमाण्डो के उप निरीक्षक पी. संजय सिंह और उनके साथी लेइमारम शान्ति बाजार के निकट एक स्थान पर पहुंचे, तो उस समय इतना अंधेरा हो चुका था कि वे बारोइचिंग क्षेत्र से आ रही मारुति कार को बड़ी मुश्किल से देख सके। उन्होंने कार पर झपट्टा मारा और तत्काल उन तीनों को देख लिया जो सम्भवत: के वाई के एल (एम डी एफ) के कॉडर थे। कमाण्डो टीम से अनजान, मारुति कॉर के पीछे कुछ दूरी पर डी आई टाटा वाहन में चल रहे उसी गुट के सशस्त्र कॉडरों ने अचानक भारी तादाद में हताहत करने तथा आसानी से बचकर निकल भागने के उद्देश्य

से कमाण्डो टीम पर अपने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी। जिंगाऊथंग नामक एक हवलदार के सीने पर गोली लगने से वे बुरी तरह घायल हो गये। दूसरे नागरिक को भी लेइमारम सड़क के दाहिनी ओर नाले पर सशस्त्र कॉडरों/उग्रवादियों की गोली लगी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरम्भ में ही हताहत होने के बावजूद उप निरीक्षक पी. संजय सिंह के नेतृत्व में कमाण्डो टीम ने भाग रहे सशस्त्र काडरों को, लगातार गोलीबारी करके मुठभेड़ में उलझा लिया और इस प्रकार उन्हें लेईमारम शान्ति बाजार से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बनाए रखा। मुठभेड़ के बीच एक को छोड़कर शेष सशस्त्र कॉडर/उग्रवादी डी आई टाटा वाहन से कूद गए और अपनी पोजीशन लेकर कमाण्डो के ऊपर गोलियां चलाने लगे। डी आई टाटा वाहन से सशस्त्र कॉडरों/उग्रवादियों के तितर-बितर फैलने के दौरान मिले मौके का फायदा उठाकर उप-निरीक्षक पी. संजय सिंह ने हवलदार जिंगाऊथंग (घायल) जो सड़क के किनारे चित्त पड़े थे, के साथ सड़क पर घुटने के बल चलते हुए लेइमारम शान्ति बाजार के पास एक ऊंचे टीले के निकट पोजीशन ली और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी सर्विस ए.के. असाल्ट राइफलों से जबावी गोलीबारी शुरु कर दी। उक्त मुठभेड़ में, उन्होंने, एक सशस्त्र कॉडर/उग्रवादी को मार गिराया था और उक्त डी आई – टाटा वाहन से एक एम-16 राइफल और गोला-बारुद के सात राउण्ड भी बरामद किए थे। शेष सशस्त्र काडरों/उग्रवादियों द्वारा कमाण्डो पर भी गोलियाँ चलायी जा रही थी। लेइमाराम शान्ति बाजार में पुलिस कमाण्डो और सशस्त्र काडरों/उग्रवादियों के बीच चल रही गोलीबारी का पता चलने पर निरीक्षक एम. सुधीर कुमार मेइतेई, ओ.सी. बिष्णुपुर पुलिस कमाण्डो, जो पहले दिन से ही आक्रामक/सी.आई. अभियान का समन्वय कर रहे थे, तुरन्त उप-निरीक्षक वी. लुनथांग वाइपेई और उनके साथियों के साथ मुठभेड़ स्थल की ओर गए। घटनास्थल पर पहुंचकर, उन्होंने हवलदार जिंगाउथंग, जो छाती पर सशस्त्र काडरों/उग्रवादियों की गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए थे, को वहां से निकालकर नजदीकी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फिर उस दूरी तथा स्थान का अनुमान लगाया जहां से उनकी ओर गोलियां आ रही थीं।

और अधिक समय गवांए बगैर, निरीक्षक एम. सुधीर कुमार, मेइतेई, उप निरीक्षक बी. लुनथांग वाइपेई और राइफलमैन जेम्स माओ अपने-अपने वाहनों पर चढ़े और लेइमारम शान्ति बाजार से पश्चिम की ओर लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक स्थान की ओर गए और वहाँ अपने वाहनों से कूद गए। यद्यपि, वे सड़क पर किसी प्रकार की प्राकृतिक ओट (कवर) के न होने की वजह से बिल्कुल खुले में आ गए थे, तथापि वे सूखे नाले की ओर लुढ़कते हुए गए और वहां अपनी-अपनी पोजीशन ले ली। सशस्त्र कॉडरों/उग्रवादियों के अत्याधुनिक हथियारों से फायर की जा रहीं गोलियां तेजी से सनसनाती हुई आ रही थीं, किन्तु निरीक्षक एम. सुधीर कुमार मेइतेई, ओ.सी. बिष्णुपुर पुलिस कमाण्डो, उप निरीक्षक बी. लुनथांग वाइपेई और राइफलमैन डी. जेम्स माओ ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर और अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी सर्विस ए.के. राइफलों से उन हमलावर सशस्त्र कॉडरों/उग्रवादियों पर गोलियों की बौछार शुरु कर दी जो पहले से ही सुरक्षित पोजीशनों पर थे। सशस्त्र कॉडरों/उग्रवादियों की ओर से किए जा रहे लेथोड बम धमाकों, असाल्ट राइफलों और मशीनगनों की तड़ातड़ हो रही

गोलीबारी की कानों को सन्न कर देने वाली आवाज से भयभीत एवं घबराए बिना जुझारू कमाण्डो ने उन्हें ऐसी घमासान मुठभेड़ में उलझा लिया जो लगभग 5/10 मिनट तक चलती रही। चूंकि सूर्यास्त हो चुका था इसलिए वहां गहरा अंधकार था और भीषण गोलीबारी के सन्नाटे के क्षण को काबू करते हुए उप-निरीक्षक बी. लुनथांग वाइपेई और राइफलमैन डी. जेम्स माओ कच्ची सड़क के साथ घुटनों के बल चलते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे और रूक-रूक कर गोलीबारी करते हुए उस स्थान के पास पहुंच गए जहां से सशस्त्र कॉडर/उग्रवादी उन पर तीव्र हमला कर रहे थे। इसके तत्काल, बाद बचे-खुचे दुश्मनों का सफाया करने के अभियान के दौरान, उन्हें गोलियों से छलनी एक सशस्त्र कॉडर/उग्रवादी का शव, छद्मवारण में परिश्रान्त अवस्था में ढ़लान पर मिट्टी से सना हुआ मिला और इसके साथ-साथ उन्होंने एक यूनिवर्सल मशीन गन (यू एम जी), एक थैला जिसमें ए.के. गोला-बारुद के बेल्ट में लगे 277 (दो सौ सतहत्तर) राउण्ड, एक ए.के. ब्रीच ब्लॉक और एक चीन निर्मित हथगोला और ए.के. गोला-बारुद के खाली खोखे, लेथोड बम (जिन्दा एवं खाली खोखे), और ए.के. गोला-बारुद के फायर किए गए प्रक्षेपक भी बरामद किए। इसी बीच घायल हो गए हवलदार जिंगाऊथांग को चिकित्सा उपचार हेतु विष्णुपुर पुलिस कमाण्डो की दूसरी प्रबलित टीम द्वारा आर आई एम एस अस्पताल, लैम्फेल पाट, (इम्फाल) ले जाया गया। जैसा कि कहावत है कि "बहादुर के साथ भाग्य होता है" ये पुलिस कमाण्डो मौत के जबड़े से बचकर निकल आए क्योंकि उन्होंने एक बहादुरीपूर्ण एवं भीषण चुनौती का सामना किया था। ये लगातार गोलीबारी करते रहे और भाग रहे सशस्त्र काडरों/उग्रवादियों का तक तब तक पीछा करते रहे जब तक कि वे जान बचाने के लिए वहां से रफूचक्कर नहीं हो गए। अन्ततः, सशस्त्र कॉडर/उग्रवादी टिंगकई खुनाऊ की ओर भाग गए। यह ऐसे हुआ कि उप-निरीक्षक जी. थैंगमपाऊ और जमादार रोविन्सन के नेतृत्व में पुलिस कमाण्डो टीम ने दिनांक 01.10.2009 को 73-माउन्टेन ब्रिग्रेड के अधीन 21-पैरा कमाण्डो की क्रैक टीम के साथ पैदल ही बिष्णुपुर जिला पुलिस मुख्यालय छोड़ दिया था और दिनांक 03.10.2009 को जब वे टिंगकई खुलेन से नीचे की ओर आ रहे थे तब वे वापस लौट रहे सशस्त्र कॉडरों/उग्रवादियों के आड़े आ गए। जब कमाण्डो टिंगकई खुलेन/खुनाऊ पोनी फार्म एरिया के नजदीक पहुंचे तो वापस लौट रहे सशस्त्र कॉडरों/उग्रवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरु कर दी। इस स्थिति में, उप निरीक्षक थैंगमपाऊ, जे सी. जमादार, रोबिन्सन, राइफलमैन एम. खुपसुआंकई झाऊ और राइफलमैन थांगखोसेई ताऊथांग, जो मोर्चे पर सबसे आगे थे, ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर जवाबी गोलीबारी की। इसके पश्चात, कमाण्डो और सशस्त्र कॉडरों/उग्रवादियों के बीच घमासान मुठभेड़ शुरु हो गई जो लगभग 10/15 मिनट तक चली। इसके पश्चात मुठभेड़ स्थल पर बचे-खुचे दुश्मनों का सफाया करने का अभियान चलाया गया जिसमें पोनी फार्म एवं हाईटप मखोंग के निकट टिंगकई खुनाऊ की ढ़लान पर दो सशस्त्र काडरों/उग्रवादियों के छद्मावरण में परिश्रान्त शव पाए गए जिनके शरीर पर बहुत सारी गोलियां लगी थीं।

पोनी फार्म एवं हाईटप मखोंग के निकट टिंगकई खुनाऊ में मिले दो शवों के पास से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारुद भी पाए गए (बरामद किए गए):-

(i) एक ए.के. असाल्ट राइफल, 7.62 ए.के. गोलाबारुद के (10) दस जिन्दा राउण्ड के साथ ए.के. की दो मैगजीनें

(ii) यू बी जी एल युक्त एक ए-4 असाल्ट राइफल, 5.56 एम एम राउण्ड के तेरह जिन्दा राउण्ड युक्त एक मैगजीन, एक 40 एम एम यू बी जी एल जिन्दा राउण्ड और दो यू बी जी एल फायर किए हुए खोखे। बाकी सशस्त्र कॉडर/उग्रवादी टिंगकई के दक्षिण-पश्चिम की ओर बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गए क्योंकि वह क्षेत्र अंधेरे और घने जंगलों वाला था। उपर्युक्त तीन मुठभेड़ों के दौरान के.वाई.के.एल. (एम डी एफ) के तीन (3) खूंखार काडरों को गिरफ्तार किया गया था और के वाई के एल (एम डी एफ) के चार (4) सशस्त्र काडरों को अलग-अलग जगहों अर्थात लेईमारम, शान्ति बाजार और पोनी फार्म के निकट टिंगकई खुनाऊ में मार गिराया गया था।

शवों की पहचान निम्नलिखित के रूप में की गई :-

(i) वाहेंगबम ललितो सिंह (41) वर्ष पुत्र नील कमल सिंह निवासी थिनुनगेई माखन लेइकई, जिला विष्णुपुर,

(ii) लेईसंगथेम लाखन उर्फ गुलापी (27) वर्ष पुत्र एल. इटोचा सिंह निवासी लैंगमेईडांग मामांग लेइकेई, जिला थाऊबल,

(iii) खुराइजाम सुन्दर उर्फ लक्पा सिंह (19) वर्ष पुत्र खुराइजाम सोमेन्द्रो सिंह निवासी पुखाओ आहालुप, जिला इम्फाल पूर्व और

(iv) खुन्द्राकपाम सुरजीत सिंह (22) वर्ष पुत्र ख. जुगिन सिंह निवासी काकचिंग इरूप मापल, जिला थाउबल। ये सभी के.वाई.के.एल. (एम डी एफ) के कॉडर थे जो एस/एस सार्जेन्ट मेजर उत्तम और एस/एस कारपोरल बाराजाओ सिंह की कमान के अधीन योद्धा गुट (फाइटिंग ग्रुप) से सहबद्ध थे।

के.वाई.के.एल. के तीन खूंखार काडर, जिन्हें लेईमारम और शान्ति बाजार मुठभेड़ों के दौरान गिरफ्तार किया गया था, निम्नलिखित हैं:-

(i) हिजाम प्रियो कुमार सिंह उम्र 38 वर्ष, पुत्र एच. अतोयैमा सिंह निवासी नाओरेमथांग सैमुसंग लैरेम्बी लेइकेई, जिला पश्चिम इम्फाल,

(ii) यामबेम बीरेन सिंह उम्र 36 वर्ष पुत्र (स्व.) वाई कृति सिंह निवासी बासीखोंग कोंगबा इरोंग, जिला पूर्वी इम्फाल और

(iii) लैखराम थानिन सिंह उर्फ मुतेन उम्र 18 वर्ष पुत्र एल. तोंजिंग सिंह निवासी तुमुखोंग मयाई लेइकेई, जिला पूर्वी इम्फाल जिसका भूमिगत आर्मी नं. 749 है।

इसके साथ-साथ, मुठभेड़ में मारे गए के.वाई.के.एल. (एम डी एफ) के चार उग्रवादियों और गिरफ्तार किए गए तीन सशस्त्र कॉडरों से अन्य सामान के साथ-साथ निम्नलिखित हथियार और गोला बारुद बरामद किए गए: (i) एक एम-16 राइफल, 5.56 एम.एम. गोलाबारुद के सात राउण्ड युक्त एक मैगजीन (ii) एक यूनिर्सल मशीन गन (यू एम जी) और एक थैला जिसमें ए.के. गोलाबारुद के बेल्ट में चढ़े 277 जिन्दा राउण्ड, एक ए.के. ब्रीच ब्लॉक और एक चीन निर्मित हथगोला था (iii) एक ए.के. 56 असाल्ट राइफल, ए.के. की 2 मैगजीनें, 7.62 ए.के. गोला बारुद के दस जिन्दा राण्ण्ड (iv) यू बी जी एल (अण्डर बैरल ग्रेनेड लांचर) के साथ ए-4 असाल्ट राइफल, 5.56 एम एम राउण्ड के तेरह जिंदा राउण्ड की एक मैगजीन, एक 40 एम एम यू बी जी एल जिन्दा राउण्ड और दो फायर किए हुए यू बी जी एल के खोखे (v) एक सफेद रंग की मारुति कार-800 जिसका रजिस्ट्रेशन नं. एम एन-01 एम-3291 है (vi) एक डिक्टा-फोन टेप रिकार्डर - पैनासोनिक, जापान निर्मित, एक सोनी साइबर शॉट डिजिटल कैमरा जिस पर डी एस सी-एन-2 अंकित है उसकी मेमोरी स्टिक पी आर ओ, डी वी ओ, 1 जी बी, मेमोरी कार्ड में के.वाई.के.एल. (एम डी एफ) के सशस्त्र कॉडरों के फोटोग्राफ।

6. इस मुठभेड़ के परिणामस्वरूप, भूमिगत संगठन विशेष रुप से के.वाई.के.एल. (एम डी एफ) को एक जोरदार झटका लगा। इसका उल्लेख एफ आई आर मामला सं. 76(10)09 एन बी एल पुलिस स्टेशन में धारा 121/121-ख/307/427 भा.द.संहिता, 25(1-ग) आयुध अधिनियम, 20/16 विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम और 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री एम. सुधार मेइतेई, निरीक्षक, पी. संजय सिंह, उप-निरीक्षक, जी. थैंगमपाऊ, निरीक्षक, बी. लुनथांग, वाइपेई, उप-निरीक्षक, डी. रॉबिन्सन, जमादार, जी. जिंगाऊथांग, हवलदार, थौंगखोसेई ताउथांग, राइफलमैन, डी. जेम्स माओ, राइफलमैन तथा एम. खुम्पसुआंखई, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का पांचवा बार/पुलिस पदक का चौथा बार/पुलिस पदक का तीसरा बार/पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 03.10.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 157-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का 5वां बार/वीरता के लिए पुलिस पदक का 2रा बार/वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	एम. सुधीर कुमार मेइतेई निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का 5वां बार)
2.	जी. थैंगमपाऊ निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का दूसरा बार)
3.	दैहो पोखरेहो हवलदार	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	एम. इंगोचा सिंह हवलदार	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
5.	टी आंगटे मारिंग कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
6.	मो. हसन अली राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

विगत कुछ महीनों में मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में उग्रवादियों द्वारा भारी फिरौती के लिए चुनिंदा सरकारी कर्मचारियों के अपहरण की कुछेक घटनाएं हुईं। दिनांक 13.09.2010 को एक महिला फिजीशियन डॉ. आर.के. जॉयमती देवी और एक स्टाफ नर्स कु. डब्ल्यू. कबिता देवी का मेकोला सार्वजनिक चिकित्सा केन्द्र से सरकारी ड्यूटी का निर्वहन करते समय बंदूक की नोक पर दिन-दहाड़े अपहरण कर लिया गया था। दुबारा दिनांक 20.09.2010 को ओनीनाम जुगिन्द्रो सिंह (48) पुत्र ओ. रूद्र सिंह, निवासी लेईमापोकपाम अवांग लेइकेई का उसके घर से इसी तरीके से अपहरण कर लिया गया था। सी डी ओ, विष्णुपुर द्वारा संदिग्ध क्षेत्रों में तत्काल बचाव

अभियान शुरु करके पीड़ितों की जान को तो बचा लिया गया परन्तु उग्रवादी बिष्णुपुर की भू-आकृतिक संरचना का फायदा उठाकर बचकर निकल गए।

सी डी ओ यूनिट, बिष्णुपुर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप, एक विश्वसनीय स्रोत से यह सूचना प्राप्त हुई कि घाटी के प्रतिबंधित संगठन – कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी-मिलिटरी टास्क फोर्स, संक्षेप में के.सी.पी. (एम.टी.एफ) के लगभग 10 उग्रवादी कुछ वरिष्ठ कॉडरों, जो फिरौती के लिए लोगों का अपहरण करने के लिए कुख्यात थे, के नेतृत्व में युमनाम खुनाऊ ममांग पाट, जो नामबोल पुलिस स्टेशन से लगभग 7 (सात) कि.मी. की दूरी पर है, के सार्वजनिक क्षेत्र में एक फिश फार्म में रूके हुए हैं। जब वे किसी बड़ी आपराधिक घटना की योजना बना रहे थे, तभी दिनांक 05.10.2010 को करीब 9.00 बजे अपराह्न (21 बजे) सी डी ओ यूनिट, बिष्णुपुर को तत्काल एक सूचना मिली कि इशोक ग्राम पंचायत के उप प्रधान श्री आर.के. ओपेन्द्रो सिंह के छोटे भाई आर..के. सनायैमा सिंह का चार सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा उनके घर से अपहरण कर लिया गया है और वे उन्हें युमनाम खुनाऊ मामांग पाट की ओर ले गए हैं। तत्काल सी डी ओ यूनिट, बिष्णुपुर के प्रभारी अधिकारी, निरीक्षक एम. सुधीर कुमार मेइतेई ने एक संक्षिप्त एवं प्रभावी योजना तैयार की। योजना के अनुसार, सी डी ओ, बिष्णुपुर की तीन टीमों को तत्काल विभिन्न रास्तों से उक्त पाट (लेक) की ओर प्रस्थान करना था।

सी डीओ, बिष्णुपुर की एक टीम जिसमें ओ सी, डी ओ, बिष्णुपुर निरीक्षक एम. सुधीर कुमार मेइतेई और उनके जवान तथा निरीक्षक जी. थैंगमपाऊ, हवलदार दैहो, हवलदार, एम. इंगोचा सिंह, कांस्टेबल, टी आंगटे मारिंग, राइफलमैन, मो. हसन अली शामिल थे, करीब 10.00 बजे अपराह्न (22 बजे) इशोक गांव होते हुए युमनाम खुनाऊ ममांग पाट के सार्वजनिक क्षेत्र में पहुंच गई और उस फिश फार्म का पता लगाया जहां उग्रवादियों के ठहरे होने की आशंका थी। जब वे फिश फार्म के उत्तरी दिशा की ओर घेरा डाल रहे थे, तभी उन पर उग्रवादियों द्वारा लहराती हुई लम्बी घास (फ्लेटिंग टाल ग्रास) पर बनी झोपड़ी की दिशा से घात लगाकर हमला कर दिया गया। आगे बढ़ रही सी डी ओ टीम जमीन पर लेट गई और अपनी ए.के. 47 सर्विस राइफल से गोलियों की बौछार करते हुए उन पर जवाबी गोलीबारी की। चूंकि जवाबी गोलीबारी, उग्रवादियों की गोलीबारी को नहीं रोक पा रही थी, इसलिए निरीक्षक जी. थैंगमपाऊ, हवलदार एल. अमरजीत, कांस्टेबल, टी. आंगटे मारिंग और राइफलमैन मो. हसन युक्तिपूर्वक और सावधानी के साथ चारों और फैल गए और पूर्व की ओर फिश फार्म के चारों ओर बने एक रिंग बांध तक घुटनों के बल चलते हुए पहुंच गए और भीषण गोलीबारी की जंग शुरु कर दी। निरीक्षक जी. थैंगमपाऊ और अन्य कर्मियों द्वारा की जा रही धुंवांधार गोलीबारी से उत्पन्न स्थिति को भांपकर, निरीक्षक सुधीर कुमार मेइतेई, हवलदार दैहो, हवलदार इंगोचा और राइफलमैन पहाड़ी ने फिश फार्म की सामरिक उत्तरी दिशा को कवर किया और रिंगबांध पर अपनी पोजीशन लेकर जबरदस्त हमला बोल दिया। इसके बाद उन्होंने झोपड़ी के नजदीक पहुंचने की कोशिश की किन्तु उग्रवादियों, जो झोपड़ी के पास एक खाई में अपनी पोजीशन लिए हुए थे,

ने सी डी ओ की ओर फायरिंग करना जारी रखा। उग्रवादियों की सुभेद्य मारक रेंज के बावजूद, आगे बढ़ रहे सी डी ओ अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर सामान्य ड्यूटी से परे जाकर लगभग 30 मिनट तक उग्रवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ करते रहे और अन्ततः झोपड़ी की ओर से आ रही गनफायर की दनदनाती आवाजें रूक गईं। दोनों ओर से गोलीबारी के शान्त हो ज़ाने पर सीडीओ द्वारा युमनाम खुनाऊ ममांग पाट में और उसके आस-पास एक व्यापक और विस्तृत तलाशी अभियान शुरु किया गया। सी डी ओ को झोपड़ी के पास गोलियों से घायल 4 (चार) शव मिले। इस प्रकार, इशॉक नगर के श्री आर.के. सनायैमा, जिन्हें भारी-फिरौती के लिए इन मारे गए उग्रवादियों द्वारा अगवा कर लिया गया था, को लहराती हुई लम्बी घास की निकटवर्ती झांड़ियों से सुरक्षित बचा लिया गया और नामबोल पुलिस स्टेशन के माध्यम से उन्हें उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार और गोला-बारूद इत्यादि बरामद किए गए थे :-

(क) 9 एम एम पिस्टल – 02

(ख) 9 एम एम मैगजीनें – 02

(ग) 9 एम एम जिन्दा गोला-बारुद – 09 राउण्ड

(घ) चीन निर्मित हथगोला – 01

(ङ) लैथोड गन – 40 एम एम – 01

(च) नोकिया हैण्ड सेट और उसके साथ सिम कार्ड सं. 8014547041

मारे गए उग्रवादी, प्रतिबंधित संगठन के सी पी (एम टी एफ) – सुनील गुट के कॉडर थे और युमनाम खुनाऊ ममांग पाट में तथा इसके आस-पास सक्रिय थे। शवों की पहचान निम्न के रूप में की गई:

(क) लैशराम अंगंगमाचा सिंह उर्फ ननाऊ, 28 पुत्र (स्व.) एल. अंगंघाल सिंह निवासी वाहेगंखुमान मायेई लेइकेई जिला पश्चिम इम्फाल, मणिपुर ।

(ख) अंगोम प्रेमानन्द सिंह उर्फ ननाऊ (28) पुत्र ए. आर्के सिंह निवासी ताऊबाल अवांग लेइकेई, बिष्णुपुर जिला, मणिपुर ।

(ग) निगथाऊजाम मनाओबी सिंह 45 पुत्र (स्व). एन. टोटो उर्फ तोम्बी सिंह निवासी ताऊबाल अबांग लेइकेई, बिष्णुपुर जिला, मणिपुर ।

(घ) अथोकपाम राजेन सिंह (24) पुत्र नोबिन सिंह निवासी हुईकाप अवांग लेइकेई, जिला पूर्वी इम्फाल, मणिपुर ।

शवों का दावा, उनके संबंधियों द्वारा धार्मिक रीतिरिवाजों/प्रथाओं को पूरा करने के लिए, किया गया था। तलाशी अभियान में के सी पी (एम टी एफ) सुनील घटक के गिरफ्तार किए गए कॉडर निम्नलिखित हैं:-

(क) युमनाम थेम उर्फ फजाबा सिंह (24) पुत्र वाई. रनीत सिंह, निवासी यूरोपोक मयेयी लेइकेई, जिला पश्चिम इम्फाल, मणिपुर।

(ख) समजेतसाबम प्रदीप उर्फ पंडित मेइतेई (25) पुत्र एस. अनाऊ मेइतेई निवासी ऊचों येरीपॉक, जिला पूर्वी इम्फाल, मणिपुर।

जांच-पड़ताल पर यह पता चला कि मुठभेड़ में मारे गए चारों कॉडर मेकोला पी एच सी से डॉ. आर.के. जयमती और स्टाफ नर्स कु. डब्ल्यू. कविता देवी और सामाजिक कल्याण विभाग, मणिपुर सरकार के कर्मचारी लेइमापोकपाम के श्री ओइनाम जुगिंद्रो सिंह का अपहरण करने में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त थे।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री एम. सुधीर कुमार, मेइतेई, निरीक्षक, जी. थैंगमपाऊ, निरीक्षक, दैहो पोखरेहो, हवलदार, एम. इंगोचा सिंह, हवलदार, टी. आंगटे मारिंग,कांस्टेबल और मो0. हसन अली, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का 5वां बार/ पुलिस पदक का दूसरा बार/पुलिस पदक का प्रथम बार और पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 05.10.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 158-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का दसूरा बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	के. बोबी सिंह उप निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का दूसरा बार)
2.	एन. टोमबॉय कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 26.12.2009 के निर्णायक दिन लगभग 1.30 बजे एक विश्वस्त जानकारी प्राप्त हुई कि बंधक बनाए गए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच गया है ओर उसे खुदेंगथाबी पहाड़ियों में कहीं पर देखा गया है। इम्फाल पश्चिम कमाण्डो यूनिट के उप-

निरीक्षक के. बोबी को तत्काल दो अन्य टीमों के साथ उस क्षेत्र में जाने और बंधक को बचाने का अनुदेश दिया गया। तदनुसार, एक योजना तैयार की गई और टीमों को विभक्त कर दिया गया। हवलदार जी. अमित शर्मा (इम्फाल पश्चिम कमाण्डो यूनिट) के नेतृत्व में आधी टीम को खुदेंगथाबी पहाड़ी के बीचों-बीच घने जंगलों से होकर चढ़ने का अनुदेश दिया गया ताकि अपहरणकर्ताओं के पहाड़ी की चोटी से बचकर निकल भागने के रास्ते को रोका जा सके। जबकि उप निरीक्षक के. बोबी के नेतृत्व में आधी टीम सूझबूझ के साथ पहाड़ी की तलहटी के क्षेत्र की ओर चलने लगी। अचानक, सौ फीट की दूरी पर एक पुरूष ने घनी झाडी के अंदर से "कनबियो-कनबियो" (बचाओ-बचाओ) की आवाज लगायी। सतर्क होकर और अचम्भे के साथ उप निरीक्षक के. बोबी सूझबूझ के साथ उस स्थान की ओर दौड़े और एक व्यक्ति को घुटनों के बल बैठे और अपनी आंखे बंद किए हुए "कनबियो-कनबियो" (बचाओ-बचाओ) की बार-बार आवाज लगाते हुए पाया। अपहरणकर्ताओं के वहां मौजूद होने के किसी संकेत के लिए चारों तरफ देखने और संतुष्ट होने के पश्चात उप-निरीक्षक के. बोबी उसके पास पहुंचे और उस बंधक नामत: ओकेन्द्रो सिंह को बचा लिया।

एक बंधक को मुक्त करा लेने के साथ यह अभियान और जोखिमपूर्ण हो गया। इसलिए पुलिस को तत्परता पूर्वक कार्रवाई करनी थी और तेजी से आगे बढ़ना था तथा दूसरे बंधक को बचाना था क्योंकि यदि अपहरणकर्ताओं को यह मालूम हो जाता कि एक बंधक को बचा लिया गया है तो दूसरे बंधक का जीवन ज्यादा खतरे में पड़ जाता। इस प्रकार, यह अभियान सारी रात जोरदार तरीके से चलाया गया और पहाड़ी क्षेत्र के चारों ओर के सभी संभावित कट-ऑफ क्षेत्रों को सील कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक/आई डब्ल्यू (अभियान) द्वारा एकत्रित स्रोत रिपोर्टों से यह जानकारी मिली कि दूसरे बंधक को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और वह अपहरणकर्ताओं के साथ है। बंधक व्यक्ति के शारीरिक गठन और उसके द्वारा पहने कपड़ों के रंग के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) द्वारा टीम के कमाण्डरों को उनके वायरलेस सेटों तथा मोबाइल फोनों के माध्यम से सावधानीपूर्वक ब्रीफ किया गया। यह अभियान दिनांक 27.12.2009 को अगले दिन भी चलता रहा।

दिनांक 28 दिसम्बर, 2009 की सुबह में, एक विस्तृत तलाशी (कॉम्बिंग) अभियान शुरु किया गया और इसे इकपाल गांव में तथा इसके आस-पास चलाया गया। जब तलाशी अभियान इकपाल गांव के क्षेत्र में चल रहा था, तभी डॉ. ए.के. झालाजीत, अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), उप-निरीक्षक के. बोबी और उनकी टीमों ने कैप्टन संदीप (39 असम राइफल्स) के साथ मपाओ चोटी को पार किया और उन्होंने सेनापति जिले के अन्तर्गत आने वाले मपाओ खुलेन और निकटवर्ती मपाओ तंगखुल गांव के संदिग्ध क्षेत्रों की तलाशी की। 39-असम राइफल्स के कैप्टन संदीप और इम्फाल पश्चिम कमाण्डो की एक टीम को उस क्षेत्र में फिर से अभियान चलाने का दायित्व लेने का आदेश दिया। इसके पश्चात डॉ. ए.के. झालाजीत, अपर पुलिस अधीक्षक/आई डब्ल्यू (अभियान) के नेतृत्व में उप-निरीक्षक के. बोबी के साथ तीन टीमें दक्षिण

की ओर मपाओ थंगल की ओर आगे बढ़ीं। दिनांक 28.12.2009 को करीब 6.10 बजे अपराह्न, जब वे मपाओ थंगल गांव की ओर बढ़ रहे थे तभी यह संक्षिप्त सूचना मिली कि अपहरणकर्ता उस बंधक व्यक्ति को साथ लेकर मपाओ थंगल गांव के टेढ़े-मेढ़े, रास्ते दक्षिण की ओर पुलिस टीम के आगे-आगे जा रहे हैं। समय गवांए बगैर अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) के अधीन वह टीम वैकल्पिक पहाड़ी की तलहटी के रास्ते को पकड़कर आगे बढ़ने लगी ताकि अपहरणकर्ताओं को मार्ग में ही रोका जा सके। उप निरीक्षक के. बोबी और उनकी टीम डॉ. झालाजीत की टीम को पोजीशन लेने के लिए समय देने हेतु धीरे-धीरे बढ़ रही थी।

कुछ देर पश्चात, जब कमाण्डर (डॉ. ए.के. झालाजीत, अपर पुलिस अधीक्षक/अभियान) की टीम द्वारा उनके बच निकलने के सभी संभावित रास्तों को रोक दिया गया तो उप निरीक्षक के. बोबी को दक्षिण की ओर से सूझबूझ के साथ अपहरणकर्ताओं का पीछा करने और उन्हें चुनौती देने का अनुदेश दिया गया। तब, मपाओ थंगल गांव पहुंचने से ठीक 200 मीटर की दूरी पर उप निरीक्षक के. बोबी द्वारा चांदनी के उजाले में सम्भवत: असाल्ट राइफल जैसे हथियार लिए हुए 6/7 लोगों को देखा गया। यह तब और स्पष्ट हो गया, जब उत्साही उप निरीक्षक के. बोबी ने पंजों के सहारे उनके ही मार्ग पर चलते हुए नजदीक से यह देखा कि स्वचालित असाल्ट राइफलें और छोटे हथियार लिए हुए कुछ युवक एक व्यक्ति (जिसके हाथ पीछे बंधे थे) को पैदल घसीटते हुए लिए जा रहे थे। उस व्यक्ति का शारीरिक गठन और कपड़े पूर्णतया कमाण्डर द्वारा बताए गए अनुसार मिलता जुलता था। तब ए.के. झालाजीत कमाण्डर को अद्यतन जानकारी दी गई। बंधक की पहचान उसके कपड़ों और शारीरिक गठन से की गई जिसके बारे में पहले ही सभी लोगों को बताया गया था और उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। कमाण्डर डॉ. झालाजीत ने उप निरीक्षक बोबी को उस समय कार्रवाई करने के लिए कहा जब अपहरणकर्ता और बंधक व्यक्ति उस मार्ग के ठीक मोड़ पर पहुंच जाएं। उस विशेष मोड़ पर सूझबूझ के साथ उप-निरीक्षक के. बोबी द्वारा बंधक व्यक्ति के पीछे चल रहे व्यक्तियों को ललकारा गया, जबकि बंधक के आगे चल रहे अपहरणकर्ताओं को सामने से उसी समय ए.के. झालाजीत, अपर पुलिस अधीक्षक/आई डब्ल्यू (अभियान) द्वारा कांस्टेबल नोंगथोनबम टोमबॉय (इम्फाल पश्चिम कमाण्डो) के साथ अपहरणकर्ताओं को तैयारी का कोई मौका दिए बगैर ललकारा गया। इस प्रकार, अपहरणकर्ताओं को भौचक्का कर दिया गया। दोनों अधिकारियों द्वारा पहले ललकारकर और फिर अपहरणकर्ताओं पर हमला करके पूर्णत: समन्वयात्मक तरीके से और एक ही साथ कार्रवाई कर दी गई, और जब अपहरणकर्ताओं ने गोलीबारी शुरु की तो यह एक भीषण गोलीबारी की जंग में तब्दील हो गई। उसी समय अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और बंधक को झुककर आगे समीपवर्ती नाले में ओट लेने की आवाज लगाकर स्वयं उस गोलीबारी के बीच जाकर उसे बचा लिया। यह मुठभेड़ जो लगभग 10/15 मिनट तक चली करीब 6.30 बजे अपराह्न समाप्त हुई। लगभग 2/3 कॉडर पहाड़ी भू-भाग, झांड़ियों और शाम के समय का फायदा उठाकर बचकर भागने में कामयाब हो गए। जब गोलीबारी बंद हो गई तो बंधक व्यक्ति को आवाज लगाई गई/बाहर निकाला गया और उसे सुरक्षित अभिरक्षा में ले लिया गया। इसके

पश्चात, उस क्षेत्र की पूर्णरूपेण तलाशी की गई और वहां से दो शव मिले। एक ए.के. 56 राइफल शव के दक्षिण की ओर पड़ी दिखाई दी और एक पिस्टल दूसरे शव के निकट थोड़ी उत्तर की ओर पड़ी हुई दिखाई दी। मुठभेड़ स्थल के आस-पास अलग-अलग कैलीबर के कुछ खाली खोखे फैले हुए भी देखे गए थे।

दक्षिणी ओर ए.के.-56 राइफल के साथ पड़े शव की पहचान बाद में विधिविरुद्ध के सी पी (एम सी) संगठन के एस/एस सार्जेन्ट थाउडैम तोइबी सिंह (24 वर्ष) पुत्र थ. कुमार निवासी मयांग इम्फाल अनिलोंगबी, इम्फाल पश्चिम जिला के रूप में हुई। उत्तर की ओर पिस्टल के साथ पड़े दूसरे शव की पहचान नहीं हो सकी और कानून के अनुसार इम्फाल नगरपालिका द्वारा दावा न किए गए शव के रूप में उसका अंतिम संस्कार किया गया।

तीन दिन तक लगातार चला यह शारीरिक और मानसिक थकान से पूर्ण तलाशी अभियान सफलतापूर्वक पूरा हुआ और इसमें डॉ. ए.के. झालाजीत, अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), उप निरीक्षक के. बोबी और कांस्टेबल नोंगथोमबम टामेबॉय सिंह, ये सभी इम्फाल पश्चिम कमाण्डो यूनिट के थे, ने बंधक व्यक्ति के जीवन की अनिश्चितता के बीच इस सफलतापूर्ण तलाशी एवं बचाव अभियान में मानसिक दृढ़ता, इच्छाशक्ति तथा दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया। उनके उच्च कोटि के साहस, नि:स्वार्थ दृष्टिकोण और कर्तव्य-निष्ठा की वजह से न केवल बंधक को बचाया गया बल्कि दो अपहरणकर्ताओं को मार गिराया गया।

उनका कृत्य उनकी पेशेवरता और उनकी बहादुरी तथा दृढ़ निश्चय के वीरतापूर्ण प्रदर्शन की मात्रा को उजागर करता है। यदि उन्होंने यह जोखिम न लिया होता, जो मौके पर लिया गया एक बहुत ही कठिन निर्णय था, तो उस बंधक को नहीं छुड़ाया जा सकता था और उसे अपहरणकर्ताओं द्वारा मार दिया गया होता।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री के. बोबी सिंह, उप निरीक्षक और एन. टोमबॉय, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का दूसरा बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 28.12.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 159-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. बिक्रमजीत सिंह
   उप निरीक्षक
2. बलविन्दर सिंह
   हेड कांस्टेबल
3. शेर सिंह
   हेड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

सहायक उप निरीक्षक (उप-निरीक्षक स्थानीय रैंक) बिक्रमजीत सिंह, हेड कांस्टेबल बलविन्दर सिंह और हेड कांस्टेबल शेर सिंह ने पुलिस स्टेशन समराला में भा.द.संहिता की धारा 307/353/332/186/148/149/411/412, आयुध अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत दर्ज मामला - एफ आई आर सं. 180 दिनांक 29.06.2010 में असाधारण साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है। इस मामले में दिनांक 29.06.2010 को पुलिस पार्टियां अनाज मण्डी, चावा रोड़, समराला में मौजूद थी। करीब 12.30 बजे अपराह्न ए एस आई बिक्रमजीत सिंह को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 5 अभियुक्त वाहन संख्या पी बी-05पी-3258 काले रंग की जाइलो, जिसे उन्होंने दो दिन पूर्व ही अमृतसर से चुराया है और वाहन संख्या पीबी-07 बीएल-0085 सफेद रंग की स्विफ्ट डी जायर, जो चोरी की है, में हैं और सभी व्यक्ति वहां जाइलो वाहन को बेचने के लिए आए हैं। वे नया बस स्टैंण्ड, समराला में ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार भी हैं। इस सूचना पर, ए एस आई बिक्रमजीत सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ नया बस स्टैण्ड पर छापा मारा। जब यह पार्टी बस स्टैण्ड में घुसी तो वहां काले रंग के एक वाहन संख्या पी बी-05-पी-3528 को बस स्टैण्ड के उत्तर की तरफ खड़ा देखा गया जिसमें पांच व्यक्ति बैठे हुए थे। उस वाहन को पुलिस पार्टियों द्वारा अपने-अपने वाहनों से घेर लिया गया। स्वयं को पुलिस पार्टियों द्वारा पूर्णत: घिरा हुआ देखकर, वाहन की स्टिअरिंग सीट पर बैठे व्यक्ति और उसके साथ कण्डक्टर की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपनी-अपनी पिस्टलों से पुलिस पार्टियों पर फायरिंग करनी शुरु कर दी और इस प्रकार पुलिस पार्टियों और बदमाशों के बीच मुठभेड़ शुरु हो गई। ए एस आई बिक्रमजीत सिंह ज़मीन पर लेटकर घुटनों के बल अपराधियों की ओर बढ़ने लगे, जो उनकी ओर फायरिंग कर रहे थे और गोलियों की परवाह किए बगैर बहादुरी के साथ आगे बढ़े और एक अपराधी के हाथ को मरोड़ते हुए उसे पिस्टल के साथ पकड़ लिया। हेड कांस्टेबल बलविन्दर सिंह उस अभियुक्त की ओर बढ़े जो ड्राइवर की ओर से फायरिंग कर रहा

था और शीशे को तोड़ते हुए बड़ी फुर्ती के साथ उसे .32 बोर की पिस्टल के साथ पकड़ लिया। इस मुठभेड़ में उपयुक्त जाइलो वाहन का ड्राइवर मंजीत सिंह, हेड कांस्टेबल शेर सिंह सं. 526/पी टी एल और हेड कांस्टेबल बलविन्दर सिंह सं. 1434, पटियाला घायल हो गए। इस मामले में ए एस आई (एस आई स्थानीय रैंक) बिक्रमजीत सिंह ने पुलिस पार्टियों को ब्रीफ किया, उन्हें प्रोत्साहित किया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर असाधारण साहस, दृढ़ता और बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए गोलीबारी के बीच अभियुक्त को पकड़ लिया। कर्तव्य के निर्वहन में यह उत्कृष्ट निष्ठा एवं समर्पण तथा उनके द्वारा प्रदर्शित साहस और वीरता का एक उदाहरण है। अपराधियों से एक जाइलो वाहन सं. पी बी-05-पी-3258 तथा .32 बोर के दो रिवाल्वर बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री बिक्रमजीत सिंह, उप निरीक्षक, बलविन्दर सिंह, हेड कांस्टेबल और शेर सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 29.06.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 160-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री राजिन्दर सिंह
उप पुलिस अधीक्षक

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

श्री एच0 एस0 सिद्धू, आई0 पी0 एस0, एस एस पी, जालंधर अन्य अधिकारियों के साथ पुलिस स्टेशन प्रभाग संख्या 2 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/365/342/454/511/506 और आयुध अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत दर्ज एफ आई आर संख्या 123 से संबंधित मामले की कार्यवाही के सिलसिले में मकान संख्या 105, आदर्श नगर, जालंधर में मौजूद थे। इस मामले में एक सात साल की आशना नामक बच्ची को भारी मात्रा में शस्त्रों से लैस एक खतरनाक अपराधी द्वारा बंधक बना लिया गया था। सभी संबंधित लोगों ने बच्ची की सलामती

के साथ रिहाई के लिए 11 घण्टे से अधिक तक बातचीत की किन्तु यह बातचीत विफल रही। श्री हरप्रीत सिंह सिद्धू, आई पी एस ने स्थिति का आकलन किया और बच्ची को बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसके लिए उन्होंने पुलिस कार्मिकों को दो ग्रुपों में बांटा और इनका नेतृत्व श्री सज्जन सिंह चीमा, पीपीएस और राजिन्दर सिंह, पीपीएस ने किया, जिन दोनों को इस कार्य का उत्तरदायित्व दिया गया था। हरप्रीत ने व्यक्तिगत रूप से उनको ब्रीफ किया और दोनों पार्टियों को तैनात किया। उन्होंने स्वयं ए0के0 -56 राइफल ली और एक हवादान (वेन्टीलेटर) पर अपनी पोजीशन ली जहां से अभियान के क्षेत्र में कुछ दिखाई दे रहा था। उनका संवदेनशील कार्य-अपराधी को उलझाए रखना और बच्ची को बचाने से पहले अपराधी द्वारा उसको कोई नुकसान पहुंचाने से रोकना था। इस कार्य को बिल्कुल अंधेरे में किसी भी नाइट विजन डिवाइस की मदद लिए बगैर पूरा करना था। इस समय अपराधी ने एक चेतावनी दे रखी थी कि यदि उसकी मांगे नहीं पूरी की गईं तो वह दो मिनट के अन्दर बच्ची को मार-डालेगा। इस पर हरप्रीत ने उस पर हमला करने का अन्तिम निर्णय लिया। अपनी पोजीशन से, हरप्रीत ने अपराधी को ललकारा जिस पर अपराधी ने उन्हें मारने के इरादे से हरप्रीत पर दो फायर किए। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर उन्होंने धैर्य बनाए रखा और अपराधी पर कारगर जवाबी गोली चलायी और उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया। श्री सज्जन सिंह चीमा और श्री राजिन्दर सिंह हेड-कांस्टेबल पुष्प बाली, हेड कांस्टेबल जसविन्दर सिंह और अन्य जाबाजों के साथ सेकण्ड भर में ही सशस्त्र अपराधी के कमरे में जबरदस्ती घुस गए। उन पर उस अपराधी द्वारा फायर किए गए किन्तु अत्यन्त जोखिम और सशस्त्र अपराधी के बिल्कुल नजदीक होते हुए भी उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उच्च कोटि के अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और अपराधी को मार गिराते हुए बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य को महत्व दिया। दृढ़तापूर्ण एवं बहादुरी की कार्रवाई में श्री राजिन्दर सिंह ने स्वयं पर अत्यन्त निकट से फायर किए जाते समय भी अपनी 9 एम एम पिस्टल से जवाबी फायरिंग की। इस समय हरप्रीत ने पुलिस पार्टी पर खतरे को समाप्त करने के लिए दुबारा फायर किया। हेड कांस्टेबल पुष्प बाली और हेड कांस्टेबल जसविन्दर सिंह ने निर्भीकता के साथ सशस्त्र अपराधी को दबोच लिया और उससे हथियार छीन लिए तथा उसे मार गिराया। इसके पश्चात, फुर्ती के साथ कार्रवाई करते हुए हरप्रीत, राजिन्दर सिंह पुष्प बाली, जसविन्दर सिंह ने बच्ची को सही-सलामत बचा लिया तथा उसे सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। मारे गए सशस्त्र अपराधी से एक .38 कैलिबर का रिवाल्वर और 2 जिन्दा राउंड, 3 फायर किए गए कारतूस, एक .315 कैलिबर की पिस्टल, एक जिन्दा राउण्ड और एक फायर की गई कारतूस बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में श्री राजिन्दर सिंह, उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 16.10.2003 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 161-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, राजस्थान पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी के नाम और रैंक

श्री चन्द्र भान, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल।

सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 9 जून, 2010 को चार लुटेरे पुलिस स्टेशन सूरजगढ़, जिला झुंझनू के अन्तर्गत आने वाले बलोडा गांव स्थित बैंक आफ बड़ौदा की शाखा में घुस गए। उन्होंने हथियार दिखाकर बैंक के अधिकारियों को धमकाया और वहां से 4,15,458 रूपए लूट लिये वे लुटेरे बैंक कर्मचारियों को धमकाते हुए लूटी हुई नकदी के साथ अपनी स्विफ्ट कार से फरार हो गए। कांस्टेबल चन्द्रभान, जो वहां उस क्षेत्र में पहले से मौजूद थे, को एस एच ओ, सूरजगढ़ द्वारा उस बैंक लूटपाट, कार के ब्यौरे और लुटेरों की पहचान के बारे में सूचित किया गया। चन्द्रभान ने अतुल्य पहल का प्रदर्शन किया और स्थानीय ग्रामवासियों की मदद से उस सड़क पर प्रभावकारी अवरोध खड़ा कर दिया जहां से लुटेरों के आने की सम्भावना थी। उसने अपराधियों के किसी भी तरफ बचकर निकल भागने की संभावना को रोकने के लिए सड़क के बीचोंबीच अपनी मोटर साइकिल पार्क करके अत्यन्त सूझबूझ और कल्पना शक्ति का प्रदर्शन भी किया। कुछ देर बाद, जब वह स्विफ्ट कार उस सड़क पर आयी तो कांस्टेबल चन्द्रभान ने लुटेरों को रुकने के लिए कहा। जैसे ही कार ड्राइवरों ने गेट खोला, कांस्टेबल ने कार ड्राइवर की गर्दन पकड़ ली। ड्राइवर ने कार चलाने की कोशिश की किन्तु उसने उसे कार को आगे नहीं ले जाने दिया। जो लुटेरा ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था, उसने हाथ में अपनी पिस्टल निकालकर कांस्टेबल चन्द्रभान को ललकारा। अपनी जान की परवाह न करते हुए, कांस्टेबल ने ड्राइवर पर अपनी पकड़ बनाए रखी किन्तु इसी बीच अन्य लुटेरों ने बहादुर कांस्टेबल पर फायर कर दिया। गम्भीर रूप से घायल होते हुए भी कांस्टेबल चन्द्रभान ने उसको अपनी मजबूत पकड़ से बचकर नहीं जाने दिया। फायर करने के पश्चात, 3 लुटेरे भाग गए जबकि चौथे लुटेरे को घायल कांस्टेबल ने बचकर भागने नहीं दिया। इसके बाद चन्द्रभान ने एसएचओ को उस मार्ग के बारे में भी सूचित किया जहां से वे लुटेरे खेतों की ओर भाग गए थे। इसके पश्चात, गांव वालों की मदद से

एस एच ओ ने चारों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे बैंक से लूटी गई भारी मात्रा में नकदी बरामद की। गम्भीर रूप से घायल कांस्टेबल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस प्रकार, कांस्टेबल चन्द्रभान ने अपनी जान की बाजी लगाकर अकेले उन सशस्त्र लुटेरों से लड़ते हुए वीरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। कांस्टेबल चन्द्रभान ने अपने विभाग और जन-सेवा के लिए अपने अमूल्य जीवन का बलिदान कर दिया। लुटेरों से निम्नलिखित हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए:-

1. तीन भरी हुई देशी पिस्टल
2. एक पिस्टल
3. दस कारतूस
4. 4,15,458 रूपए

इस मुठभेड़ में श्री चन्द्र भान, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 09.06.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 162-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. राम सूरत सोनकर,
   उप निरीक्षक
2. भानु प्रताप सिंह
   उप निरीक्षक

<u>सेवा का विवरण जिसके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 01.08.2008 को श्री राम सूरत सोनकर, उप निरीक्षक, फिरोजाबाद को इण्डियन गैस एजेन्सी, टुण्डला में कुख्यात आपराधिक गैंग दुर्गेश जाटव के मौजूद होने के बारे में विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई। श्री सोनकर उपलब्ध फोर्स के साथ तत्काल वहां के लिए रवाना हुए। वहां यह

पता चला कि वह गैंग दो पल्सर बाइकों पर इटमदपुर की ओर चला गया है। पुलिस पार्टी तत्काल इटमदपुर की ओर रवाना हुई। उन्होंने वायरलेस के माध्यम से पुलिस स्टेशन, टुण्डला और इटमदपुर को उस गैंग को घेरने के लिए भी सूचना पहुंचा दी। श्री सोनकर के नेतृत्व में जब पुलिस पार्टी इटमदपुर- बरहान रोड़ पर सवायी गांव पहुंची तो उन्होंने श्री भानुप्रताप सिंह, उपनिरीक्षक, पुलिस स्टेशन, इटमदपुर को एक सशस्त्र कांस्टेबल के साथ सड़क पर सतर्क पाया। जब वे अपराधियों को घेरने की अगली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर रहे थे तभी उस गैंग के 03 लोग सवायी गांव के ठीक आगे एक संकरे रास्ते से भागने लगे। उनका पीछा श्री बृजेन्द्र शर्मा, उप निरीक्षक के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी द्वारा किया जा रहा था। दूसरी बाइक पर सवार शेष 03 अपराधियों को श्री भानुप्रताप सिंह, उप निरीक्षक द्वारा एक कांस्टेबल के साथ सामने से घेरा गया और श्री सोनकर, उप निरीक्षक ने 02 कांस्टेबलों के साथ उनको सड़क के पीछे की ओर से घेरा। उनमें से एक अपराधी ने उप-निरीक्षक सोनकर की पार्टी पर फायर किया जबकि अन्य 02 अपराधियों ने उप निरीक्षक भानुप्रताप सिंह और उप निरीक्षक सोनकर पर उन्हें जान से मारने के इरादे से फायर किया। उप निरीक्षक भानुप्रताप सिंह और उप निरीक्षक सोनकर ने अत्यन्त साहस का प्रदर्शन किया और अपराधियों को आत्म समर्पण करने के लिए कहा। अपराधियों ने गालियां देना शुरू कर दिया और 9 एम एम कारबाइन से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया । अपनी जान को भारी खतरा देखकर, श्री सोनकर ने पीछे से और श्री भानुप्रताप सिंह ने सामने से आत्म रक्षा में अपराधियों पर प्रभावकारी फायर किया जिसके परिणामस्वरूप, एक अपराधी जान से मारा गया और दूसरा घायल हो गया। तीसरा अपराधी घायल अपराधी को साथ लेकर भाग गया। मृतक अपराधी की पहचान बाद में खूंखार अपराधी दुर्गेश जाटव के रूप में हुई जिस पर 20,000/- रूपए का नकद इनाम था।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री राम सूरत सोनकर, उप निरीक्षक और भानुप्रताप सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 01.08.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 163-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अजय प्रकाश त्रिपाठी,
हेड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 30 मार्च, 2010 को एस टी एफ टीम को कुख्यात डकैत इजाज की गतिविधि के बारे में एक सूचना मिली कि वह पुलिस थाना – गुडंबा, लखनऊ के तहत स्कॉर्पियो क्लब रोड से होकर गढ़ी चौक तिहारा से रसूलपुर सादत जाने वाला है। तत्काल सब-इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल अजय प्रकाश, हेड कांस्टेबल शैलेन्द्र कुमार और अन्य लोगों के साथ एस टी एफ की टीम स्कॉर्पियो क्लब तथा रसूलपुर सादत गांव के पास पहुँची। लगभग दोपहर 3.25 बजे एक व्यक्ति को धीरे-धीरे स्कॉर्पियो क्लब की ओर से पैदल आते देखा गया। मुखबिर ने इजाज के रूप में उसकी पुष्टि कर दी। उसे पुलिस द्वारा ललकारा गया और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। अपराधी ने तुरन्त अपने कमर में रखी हुई पिस्तौल निकाल ली और पुलिस दल पर गोली चला दी। एस टी एफ टीम बाल-बाल बच गई। इजाज ने गाली-गलौज शुरु कर दी और जंगल की ओर भाग गया। उसने पुलिस दल पर गोलीबारी जारी रखी। एस टी एफ टीम ने उसे जिंदा पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरु कर दिया। खूँखार अपराधी इजाज पुलिस दल पर उन्हें मारने के इरादे से निरन्तर गोलीबारी करता रहा। टीम के सदस्य जमीन पर लेट गए और निरन्तर गोलीबारी को चकमा देते हुए बाल-बाल बच गए। हेड कांस्टेबल अजय प्रकाश तथा हेड कांस्टेबल शैलेन्द्र कुमार ने अदम्य साहस एवं बहादुरी का परिचय देते हुए, अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए कोई और चारा न देखकर, अपने जान की परवाह किए बगैर उसके नजदीक पहुँच गए और आत्मरक्षा में गोली चलाई। इस भीषण मुठभेड़ के दौरान इजाज को गोली से मार गिराया गया।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोलाबारुद बरामद किए गए हैं:-

(क)	.32 बोर की फैक्टरी निर्मित पिस्तौल	-	1
(ख)	जिंदा कारतूस	-	3 चक्र
(ग)	32 बोर के खाली खोखे	-	2

इस मुठभेड़ में श्री अजय प्रकाश त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 30.03.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 164-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, उत्तराखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जयमाल सिंह नेगी
इंस्पेक्टर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 26 अक्टूबर, 2010 को 12:15 बजे ग्रीन पार्क कॉलोनी, रूड़की की श्रीमती मुशरत नामक एक महिला ने टेलिफोन पर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस स्टेशन को जानकारी दी कि ओरियन्टल बैंक के पीछे उसके इलाके में सशस्त्र व्यक्तियों के एक समूह द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इंस्पेक्टर जयमाल सिंह नेगी, थाना प्रभारी, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन, रूड़की तत्काल कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को लेकर घटनास्थल की ओर चल पड़े और घटनास्थल की ओर जाते वक्त उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जानकारी दी।

जब इंस्पेक्टर जयमाल सिंह नेगी और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उनके सामने जो दृश्य था वह अत्यन्त भयानक और उत्तेजनापूर्ण एवं अस्तव्यस्त था। एक मकान की छत पर उस्मान पुत्र जब्बाद, अकील पुत्र उस्मान और आदिल पुत्र उस्मान के साथ आबिद पुत्र जब्बाद मौजूद था और उसने उन्मत्त होकर भीड़ की ओर एक बंदूक तान रखी थी। यह हथियार 12 बोर की एक दोनाली बंदूक थी जो कारतूसों से भरी हुई थी। आबिद के मकान के पास, झबरेरा पुलिस स्टेशन के नगला खुबदा गांव का मुज्जामिल पुत्र मकसूदल हसन नामक एक व्यक्ति, जो इस समय गंगानहर पुलिस स्टेशन हाऊस (कोतवाली), रूड़की, हरिद्वार के अन्तर्गत रूड़की शहर की पुरानी तहसील इलाके में रह रहा था, गोलियों से छलनी होकर खून से लथपथ पड़ा था।

आबिद ने मुज्जमिल को गोली मारी थी और पीड़ित की सहायता करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उसके पास नहीं जाने दे रहा था। वह उन्मत्त होकर चिल्ला रहा था, साथ ही साथ, भीड़ को गंभीर परिणामों की धमकी देकर कह रहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति घायल की तरफ आने और उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करेगा तो वह उसे तुरन्त मार देगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति घायल मुज्जमिल की ओर बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहा था।

ऐसी परिस्थिति में, इंस्पेक्टर नेगी साहसपूर्वक भूतल के एक दरवाजे से अकेले मकान के अंदर घुसे और अपनी टीम के अन्य सदस्यों को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहीं छोड़ दिया। अत्यन्त निर्भीकता और साहस का प्रदर्शन करते हुए तथा अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि वे केवल "लाठी" और एक सर्विस रिवाल्वर से लैस हथियारबंद थे, इंस्पेक्टर नेगी ने स्थिति का सामना करने में अपने आग्नेयास्त्र की बजाय "लाठी" के प्रयोग को प्राथमिकता दी ताकि अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति हताहत न हो। इंस्पेक्टर नेगी चोरी-छुपे छत पर पहुँच गए और बिजली जैसी गति से आगे बढ़कर अपनी "लाठी" से आबिद को कब्जे में ले लिया और इस प्रक्रिया में उससे उसकी बंदूक भी छीन ली। इससे पहले कि आबिद के सहापराधी वहाँ से भाग जाते, उन्होंने अपने सर्विस रिवाल्वर से उनको निशाने पर लेकर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया।

मीडिया और जन समुदाय ने इंस्पेक्टर जयमाल सिंह नेगी की साहसिक एवं बहादुरीपूर्ण कार्रवाई की अत्यन्त सराहना की, जिन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर बहादुरी का परिचय दिया और साथ-ही-साथ समानान्तर क्षति को रोकने के लिए अत्यन्त सावधानी बरती, अकेले ही आबिद को निहत्था बना दिया और किसी तरह का खून-खराबा किए बगैर आबिद के अन्य सहापराधियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया।

इस मुठभेड़ में श्री जयमाल सिंह नेगी, इंस्पेक्टर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 26.10.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 165-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. अर्जुन सिंह ठाकुरी (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
   राइफलमैन
2. गोपाल कृष्ण क्षेत्री (वीरता के लिए पुलिस पदक) (मरणोपरान्त)
   राइफलमैन

3. लाल बहादुर प्रधान (वीरता के लिए पुलिस पदक)
लांस नायक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 15 फरवरी, 2010 को लगभग शाम 5 बजे, भारी मात्रा में हथियारों से लैस अस्सी (80) आतंकवादियों वाले सी पी आई (माओवादी) के एक दल ने सिल्दा ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुलिस कैम्प पर हमला कर दिया। यह कैम्प पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में बिनपुर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत सिल्दा में स्थित है। हमले के समय उस कैम्प में 38 ई एफ आर जवान मौजूद थे।

माओवादियों ने चारों ओर से कैम्प पर हमला बोल दिया। वे साथ-ही-साथ लगातार कैम्प पर हथगोले बरसाते रहे और उन्होंने संतरियों तथा ई एफ आर कर्मियों को निशाना बनाकर गोलियां चलानी शुरु कर दी जो दिनभर की ड्यूटी के बाद आराम कर रहे थे। यह हमला इतना अचानक और बेरहम था कि जवान पूर्णत: सकते में आ गए। उन्हें जवाबी हमला तथा कार्रवाई करने का बहुत कम समय मिला।

राइफलमैन अर्जुन ठाकुरी, ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स, द्वितीय बटालियन अग्रिम चौकी पर संतरी की ड्यूटी कर रहा था। जब हमला हुआ तब अर्जुन ठाकुरी की ओर दो दिशाओं से गोलियां बरसीं। आतंकवादियों की ओर से भारी गोलीबारी के बावजूद, राइफलमैन अर्जुन ठाकुरी ने संयम बनाए रखा और आतंकवादियों की ओर गोलियां दागीं। आतंकवादियों द्वारा संतरी अर्जुन ठाकुरी को निशाना बनाकर एक हथगोला फेंका गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं। परन्तु वह घबराया नहीं और कुछ मिनटों तक आतंकवादियों पर गोलियां दागता रहा। आतंकवादियों की गोलियों से गिरने तक उसने तीन माओवादी आतंकियों को मार गिराया। राइफलमैन अर्जुन ठाकुरी ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। हथगोले से हमले में घायल होने के बावजूद, वह आतंकवादियों से लड़ता रहा और उनके सशस्त्र दल के तीन प्रमुख सदस्यों को मार गिराया। लगभग दस मिनटों तक चली भीषण लड़ाई के बाद, अर्जुन ठाकुरी आतंकवादियों के हाथों मारा गया। राइफलमैन अर्जुन ठाकुरी ने पुलिस कैम्प की सुरक्षा करने तथा अपने साथी पुलिसकर्मियों की जान बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

राइफलमैन गोपाल कृष्ण क्षेत्री, ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स, तीसरी बटालियन माओवादी हमले के समय पीछे की चौकी पर संतरी की ड्यूटी कर रहा था। माओवादी आतंकवादियों ने कैम्प की ओर हथगोला फेंका और साथ-ही-साथ संतरी पर गोली चलाई। वह हथगोला के हमले से बाल-बाल बच गया और उसने आतंकवादियों के हमले को निष्प्रभावी करने के लिए तुरन्त उनकी ओर गोलियां चलानी शुरु कर दी। राइफलमैन गोपाल कृष्ण क्षेत्री उस समय तक आतंकवादियों से

लड़ता रहा जब तक कि उसे गोली नहीं लग गई। राइफलमैन गोपाल कृष्ण क्षेत्री द्वारा की गई गोलीबारी में एक माओवादी आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया था। वह अपनी अंतिम सांस तक अदम्य साहस एवं वीरता से आतंकवादियों के साथ लड़ता रहा। अंतत: उसने कर्त्तव्य निर्वहन तथा दूसरों की जान बचाने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया।

लांस नायक लाल बहादुर प्रधान, ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स, दूसरी बटालियन माओवादी हमले के समय अपने तंबू में आराम कर रहा था। अचानक उसने अपने तंबू के एक कोने से तेज धमाके की आवाज सुनी। कुछ ही क्षणों के अंदर दो तंबूओं में आग लग गई। लांस नायक लाल बहादुर प्रधान के कंधे में छर्रे से जख्म हो गया। अपने जख्म के बावजूद, उसने अपनी सर्विस राइफल उठाई और तंबू से बाहर आ गया। उसने तंबू से थोड़ा अलग हटकर अपना मोर्चा संभाला और आतंकवादियों की ओर गोली चलाना शुरु कर दिया। वह कुछ क्षणों तक गोलीबारी करता रहा जब तक कि दुश्मन की गोली उसे नहीं लग गई। घायल होने के बावजूद, उसने अपनी राइफल से एक आतंकवादी को मार गिराया। वह आतंकवादियों से तब तक लड़ता रहा, जब तक कि उसका गोला-बारुद पूर्णरूपेण समाप्त नहीं हो गया। बुरी तरह से घायल हो जाने और गोला बारुद के बिना असहाय होने पर लांस नायक लाल बहादुर प्रधान अपने साथी पुलिस कर्मियों के शरीरों के बीच अचेत होकर लेट गया। माओवादी उन्हें मृत समझकर जिंदा छोड़कर चले गए। बाद में उसे बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। लांस नायक लाल बहादुर प्रधान ने बहादुरी का उत्कृष्ट कार्य किया और कर्त्तव्य के प्रति समर्पण दिखाया।

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह ठाकुरी, राइफलमैन, स्वर्गीय श्री गोपाल कृष्ण क्षेत्री, राइफलमैन और श्री लाल बहादुर प्रधान, लांस नायक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 15.02.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 166-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री चन्द्र शेखर बर्धन,
पुलिस उपाधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 25.07.2010 को लगभग 1700 बजे, श्री चन्द्र शेखर बर्धन, पुलिस उपाधीक्षक (अपराध), पश्चिम मेदिनीपुर को गोलतूड़ पुलिस थाने के अन्तर्गत कायमा मेटाला के घने जंगल में भूटा बास्के उर्फ सिधू सोरेन, बुरू तथा अन्य के नेतृत्व के तहत सी पी आई (माओवादी) के 25-30 हथियारबंद गुरिल्ला काडरों की उपस्थिति और पुलिस बल को मारने के बाद उनके अस्त्र-शस्त्र को लूटने के लिए पुलिस स्टेशनों तथा अन्य संस्थाओं पर हमला करने की गुप्त बैठक करने की योजना बनाने के बारे में विश्वसनीय एवं सटीक जानकारी मिली।

इस जानकारी के आधार पर श्री चन्द्र शेखर बर्धन, जो राज्य कमाण्डो बलों, अधिकारियों तथा गोलतूड़, पुलिस थाने के बलों की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, द्वारा विधिवत योजना तैयार करने के बाद एक विशेष तलाशी एवं अवरोध अभियान शुरु किया गया। इस अभियान में उनके साथ डी सी श्री उदय दिरयाउशी की कमान में 202 बटालियन, सी आर पी एफ की चार टीमें थी।

बल की सम्पूर्ण टुकड़ी ने दिनांक 25.07.2010 को 22.30 बजे मेदिनीपुर पुलिस लाइन छोड़ दिया और उन्हें पूर्व-निर्धारित स्थान पर पहुँचा दिया गया जो गोलतूड़ सारंगा में खरबंगा जंगल के पास मेदिनीपुर से लगभग 75 कि.मी. दूर था। पहुँचाए गए स्थान से श्री चन्द्र शेखर बर्धन, डिप्टी एस पी (अपराध) के नेतृत्व में टुकड़ियों ने भारी वर्षा के बीच घने जंगल के अंदर लगभग 7-8 कि.मी. की दूरी पर अपने लक्ष्य की ओर कुशलतापूर्वक पैदल चलना शुरु कर दिया। डिपटी एस पी (अपराध) के नेतृत्व में टुकड़ियाँ लगभग 03.30 बजे लक्षित स्थान के नजदीक पहुँच गईं और पाया कि झाड़ियों के अंदर पोलिथीन शीट के दो कामचलाऊ कैम्प बने हुए हैं। यह भी देखा जा सकता था कि कैम्पों की सुरक्षा हथियारबंद संतरियों द्वारा की जा रही थी। हथियारबंद गुरिल्ला माओवादी की गतिविधि को देखा जा सकता था। तत्कालीन डिप्टी एस पी (अपराध) ने तत्काल हथियारबंद दस्ते के सदस्यों को पकड़ने के लिए अगली कार्रवाई की योजना तैयार की। तब उन्होंने कुशलतापूर्वक कैम्प की ओर आगे बढ़ते हुए टीम का नेतृत्व किया और कैम्पों के चारों ओर घेरा डाल दिया। कैम्पों की ओर पुलिस बल को आगे बढ़ता देखकर, पुलिस बलों को मारने के इरादे से माओवादियों ने अत्याधुनिक हथियारों से लगतार गोलीबारी शुरु कर दी, क्योंकि माओवादियों ने पेड़ों एवं प्राकृतिक ढांचे के पीछे पनाह ले रखी थी। बलों पर विभिन्न दिशाओं से गोलीबारी की जा रही थी और उसी समय माओवादियों ने कई आई ई डी धमाके कर दिए। ऐसा लग रहा था कि श्री चन्द्र शेखर बर्धन और उनकी टीम को आगे बढ़ता देखकर माओवादियों ने तत्काल कई दलों में अपनी घात लगा ली थी। शिविरों के अंदर और चारों तरफ उपस्थित व्यक्तियों ने "माओवाद जिन्दाबाद" "जौथावाहिनी के खोतोम करो" के नारे लगाने शुरु कर दिए। तब डिप्टी एस पी (अपराध) ने शेष बलों को अपनी रणनीतिक स्थिति में बने रहने का आदेश दिया और वे कांस्टेबल शंभू साहा और कांस्टेबल सुकुमार मेता, 202 एस ए एफ के 5-6

व्यक्तियों वाली एक छोटी टीम के साथ शिविरों की ओर आगे बढ़ने लगे। डिप्टी एस पी (अपराध) के नेतृत्व में बलों का दृढ़-निश्चय के साथ आगे बढ़ना हथियारबंद माओवादी काडरों की भारी मात्रा में गोलीबारी और श्रृँखलाबद्ध आई ई डी बम धमाकों से नहीं रूक पाया। इसमें डिप्टी एस पी (अपराध) ने अद्वितीय साहस और पेशेवर कुशलता का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्हें कांस्टेबल शंभू साहा और कांस्टेबल सुकुमार मेता तथा अन्य बलों का भी समर्थन हासिल था।

डिप्टी एस पी (अपराध) पर गोली चलाए जाने पर, उन्होंने अपने लोगों को माओवादी हमले का जवाब देने हेतु गोली चलाने का आदेश दिया और उन्होंने स्वयं अपनी सर्विस ए के-47 राइफल से 25 चक्र गोलियां चलाईं। सी आर पी एफ दल ने भी घात का जवाब देने के लिए गोलियां चलानी शुरु कर दी। श्री चन्द्र शेखर बर्धन ने भारी गोलीबारी के बीच होते हुए भी, अत्यधिक निजी जोखिम के बावजूद और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी सम्पूर्ण टीम का नेतृत्व करते हुए माओवादियों की पोजीशन की ओर आगे बढ़े।

अचानक प्राकृतिक आड़ में छिपे एक नक्सली ने सी टी/जी डी आशीष कुमार तिवारी पर गोली चला दी और वे जमीन पर गिर गये। अपनी टुकड़ी के सदस्य को गोली लगता देखकर, डिप्टी एस पी (अपराध) उसकी सहायता के लिए आगे बढ़े और उसे सुरक्षित स्थान की तरफ खींच लिया। उन्होंने चिकित्सा उपचार हेतु जख्मी कांस्टेबल को बाहर निकालने के लिए समस्त आवश्यक कार्रवाई की। जब 6 माओवादियों के मारे जाने के बाद गोलीबारी की रफ्तार में कमी आई, तब डिप्टी एस पी (अपराध) ने क्षेत्र में और उसके आसपास विधिवत एवं गहन खोज तथा तलाशी शुरु करने का निर्णय लिया। तलाशी के दौरान 5 पुरूषों एवं 1 महिला का शव और भारी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारुद और विस्फोटक बरामद हुआ था।

मारे गए 6 माओवादियों में से एक व्यक्ति की बाद में भूटा बास्के उर्फ सिधू सोरेन के रूप में पहचान की गई थी। इसके अलावा यह भी पाया गया था कि पी ओ से बरामद किए गए हथियारों में से, एक एस एल आर (आर्सनल नं. 18056008) राइफल जमबोनी पुलिस थाना के अन्तर्गत गिधनी में पुलिस पार्टी के एल आर पी पर हमला कर दिनांक 8.11.09 को माओवादी द्वारा लूटी गयी थी, एक इन्सास (आर्सनल नं. 16514978) राइफल दिनांक 15.2.2010 को सी पी आई (माओवादी) द्वारा लूटी गयी थी जब उन्होंने बिनपुर पुलिस थाना के अन्तर्गत सिल्दा पुलिस शिविर पर हमला किया था और एक पिस्तौल (16707415) संकरैल पुलिस थाना से लूटी गयी थी जब सी पी आई (माओवादी) ने दिनांक 20.10.09 को संकरैल पुलिस थाना पर हमला किया था और 01 एस आई तथा 01 ए एस आई को मार दिया था।

सम्पूर्ण कार्रवाई में श्री चन्द्र शेखर बर्धन, पुलिस उपाधीक्षक (अपराध), पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि उन्होंने विश्वसनीय एवं सटीक जानकारी हासिल की, सम्पूर्ण कार्रवाई की कुशलतापूर्वक योजना बनाई, आपातकाल में दृढ़ एवं सही निर्णय लेकर अच्छे चरित्र, अत्यन्त साहस, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमताओं और उत्कृष्ट

वीरतापूर्ण कार्य का परिचय दिया तथा अपने विधि-सम्मत वास्तविक एवं उत्कृष्ट दायित्व का निर्वहन किया।

इस मुठभेड़ में श्री चन्द्र शेखर बर्धन, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 26.07.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 167-प्रेज/2011-राष्ट्रपति असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. जुक्ति प्रसाद गौतम
   नायब सूबेदार
2. थोकचोम देवेन सिंह
   राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

नायब सूबेदार जुक्ति प्रसाद गौतम, सेना मेडल और राइफलमैन थोकचोम देवेन सिंह एक त्वरित कार्रवाई दल का हिस्सा थे।

दिनांक 20 फरवरी, 2010 को, उनापाल गांव (आर एम 4949) में आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में विशिष्ट जानकारी के आधार पर एक लघु टीम अभियान शुरु किया गया था। 23.20 बजे, जूनियर कमीशन्ड आफिसर ने दूर से आतंकवादियों की गतिविधि को भांपा। अपनी स्थिति की अक्षमता को समझते हुए, चोरी-छुपे एक तीव्र युक्ति से नायब सूबेदार जुक्ति प्रसाद गौतम अपने साथी राइफलमैन थोकचोम देवेन सिंह के साथ उनके नजदीक गए और अदम्य साहस से संदिग्ध व्यक्तियों को ललकारा। आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी के साथ प्रत्युत्तर दिया। दोनों साथियों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर, अद्वितीय युद्धकौशल का प्रयोग किया और अतिसंयम का परिचय देते हुए रेंगकर आतंकवादियों के बाजू तक पहुँच गए

तथा आड़रहित पोजीशन से स्वचालित हथियारों के साथ उन्हें व्यस्त रखा। इसके परिणामस्वरूप, निम्नलिखित हथियारों/गोला-बारुदों/अन्य सामग्रियों की बरामदगी के साथ-साथ के वाई के एल के दो खूंखार आतंकवादियों का सफाया हो गया:-

क)	बोनट सहित ए के-56 राइफल	-	1
ख)	पिस्तौल	-	2
ग)	ए के – 56 मैगजीन	-	2
घ)	ए के – 56 राउण्ड	-	27
ड.)	ए के-56 खाली खोखे	-	24
च)	पिस्तौल मैगजीन	-	2
छ)	9 एम एम राउण्ड	-	3
ज)	9 एम एम के खाली खोखे	-	14
झ)	चीनी हथगोला	-	2
)	नोकिया मोबाइल	-	1
ट)	पाकेट डायरी	-	1
ठ)	101/-रूपए सहित बटुआ	-	1

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जुक्ति प्रसाद गौतम, नायब सूबेदार और थोमचोम देवेन सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 20.02.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 168-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी नाम और रैंक</u>

श्री रोशन गुरूंग
राइफलमैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 18 दिसम्बर 2009 को, एयरटेल के प्राधिकारियों से धन उगाही करने के लिए के सी पी (एम सी) के उग्रवादी समूह द्वारा एयरटेल के 2 अधिकारियों का अपहरण कर लिया गया

था। दिनांक 26 दिसम्बर 2009 को, कुशल आयोजना के बाद, 39 असम राइफल्स की डेल्टा एवं ब्रावो कम्पनी की दो टुकड़ियों ने मपाओ खुलेन गांव में कुछ संदिग्ध झोपड़ियों की घेराबंदी कर ली। कैप्टन संदीप श्रीधरन के तहत डेल्टा कम्पनी एवं इम्फाल वेस्ट कमाण्डो का एक लघु दल झोपड़ी की ओर आगे बढ़ा। प्रथम बंधक को छुड़ा लिए जाने के बाद, टुकड़ियाँ जोखिमपूर्ण पहाड़ी तराई में 76 घंटे से अधिक समय तक पैदल आतंकवादियों को ढूढ़ती और उनका पीछा करती रहीं। राइफलमैन रोशन गुरूंग सशस्त्र बलों की उच्च प्रथाओं का प्रदर्शन करते हुए सम्पूर्ण कार्रवाई के दौरान अपने कम्पनी कमाण्डर के साथ काम करते रहे। दिनांक 28 दिसम्बर 2009 को दूसरे बंधक को छुड़ा लिए जाने के बाद, संयुक्त सैन्य-टुकड़ियां गोलीबारी की लड़ाई में संलग्न हो गईं। उनमें से एक आतंकवादी को मार दिए जाने के बाद, बाकी आतंकवादियों ने बच निकलने के उद्देश्य से अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। कैप्टन संदीप श्रीधरन ने उनका पीछा करना शुरु कर दिया, साथ ही राइफलमैन रोशन गुरूंग ने अपने साथी कैप्टन संदीप श्रीधरन को सटीक गोलीबारी का कवच प्रदान किया और भाग रहे आतंकवादी को मार गिराने में उनकी सहायता की। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप दो बंधकों को छुडा लिया गया, दो खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया गया और हथियार एवं गोला-बारुद की बरामदगी हुई। मुठभेड़स्थल से निम्नलिखित मदों की बरामदगी हुई थी:-

मारे गए –दो आतंकवादी ।

बरामद किए गए – ए के 56 राइफल-01, मैगजीन ए के 56 – 01, जिंदा कारतूस ए के 56 – 15, एफ सी सी ए के 56 -20, एम 20 पिस्तौल-01, मैगजीन पिस्तौल-01, जिंदा कारतूस 9 मि.मी. पिस्तौल-05 तथा एफ सी सी 9 मि.मी. पिस्तौल-10

इस मुठभेड़ में श्री रोशन गुरूंग, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 28.12.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 169-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	बजरंगी कांस्टेबल	(मरणोपरान्त)
2.	अरूप दास कांस्टेबल	(मरणोपरान्त)
3.	विष्णु पुरी कांस्टेबल	

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 6 अगस्त, 2010 को रतियापाड़ा फॉरवार्ड स्टैण्डिंग पैट्रोल लोकेशन के सब इंस्पेक्टर रतनेश्वर डेका के नेतृत्व में 12-सदस्यीय गश्ती दल एन बी सी सी के श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए लगभग 0900 बजे शिविर से चला।

कांस्टेबल अरूप दास और कांस्टेबल बजरंगी क्रमश: स्काउट नं. एक एवं दो के रूप में गश्ती दल की अगुवाई कर रहे थे और युक्तिपूर्वक एक-दूसरे को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे थे जबकि कांस्टेबल विष्णु पुरी उनके पीछे चल रहे थे। चूंकि भू-भाग पहाड़ी था और घने जंगल से घिरा हुआ था, इसलिए गश्ती दल के सभी सदस्य संरचना के अनुसार उचित दूरी बनाकर चल रहे थे। लगभग 0920 बजे, जब गश्ती दल तकरीबन 800 मीटर तय करने के बाद एक दोहरी टेकरी के नजदीक पहुँचा, तब घात लगाए हथियारबंद आतंकवादियों ने अचानक स्वचालित हथियारों से उन पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी और साथ ही एक आइ ई डी का धमाका किया, जिसके परिणामस्वरूप कांस्टेबल अरुप दास और कांस्टेबल बजरंगी गोली/छर्रे से बुरी तरह घायल हो गए।

आइ ई डी धमाके और भारी गोलीबारी से प्रारंभ में गश्ती दल सकते में आ गया। परन्तु अपना संयम खोए बिना, गश्ती दल के सदस्यों ने तत्काल मोर्चा संभाला और आतंकवादियों की लक्षित गोलीबारी का जवाब देना शुरु कर दिया। कांस्टेबल अरूप दास ने बुरी तरह से घायल होने के बावजूद, जुझारूपन और अदम्य साहस एवं दृढ़-निश्चय का परिचय दिया और आतंकवादियों की गोलीबारी की दिशा का अनुमान लगाते हुए जवाबी गोलीबारी की। अपनी ताकत को क्षीण होते देखकर, कांस्टेबल अरूप दास ने लगभग 50 मीटर तक पीछे की तरफ घिसटते हुए भारी गोलबारी के बीच अपने साथी तक पहुँचने की दिलेरी दिखाई और आतंकवादियों की गोलीबारी का जवाब देना जारी रखा।

स्थिति एवं उबड़-खाबड़ भू-भाग का लाभ उठाते हुए, कांस्टेबल अरूप दास का हथियार छीनने के लिए आतंकवादियों ने उनके नजदीक आने का प्रयास किया, परन्तु सफल नहीं हो सके क्योंकि कांस्टेबल बजरंगी ने, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, अदम्य साहस एवं दृढ़-निश्चय का परिचय दिया और अपनी एल एम जी की गोलीबारी से आतंकवादियों को उलझाकर कांस्टेबल अरूप दास का बचाव किया तथा उलटते-पलटते एवं रेंगते हुए अपनी स्थिति को बदल-बदल कर आतंकवादियों पर जवाबी गोलीबारीजारी रखी। इस मुठभेड़ में कांस्टेबल बजरंगी एवं कांस्टेबल अरूप दास ने अपनी जान बचाने हेतु सुरक्षित स्थान की ओर पीछे हटने की बजाय, अपनी जान की परवाह किए बगैर अदम्य साहस, दृढ़-निश्चय एवं जुझारूपन का परिचय देते हुए बहादुरी से लड़ने का निश्चय किया। कांस्टेबल बजरंगी शहीद होने तक आतंकवादियों से लड़ते रहे।

कांस्टेबल विष्णु पुरी ने आतंकवादियों की गोलीबारी का जवाब देते वक्त कांस्टेबल बजरंगी के जुझारूपन को देखा और यह भी महसूस किया कि उसकी एल एम जी अब शांत हो गई है, अत: उसने क्षणभर में ही निर्णय लिया और अपनी जान के खतरे को नजरअंदाज करते हुए भारी गोलीबारी के बीच दौड़ पड़े तथा आतंकवादियों द्वारा एल एम जी पर अपना हाथ साफ करने से पहले एल एम जी तक पहुँच गए। इस करो-या-मरो की स्थिति में, कांस्टेबल विष्णु पुरी ने उच्च कोटि के साहस और पेशेवर क्षमताओं का परिचय दिया, एल एम जी को अपने कब्जे में लिया और आतंकवादियों की ओर भारी मात्रा में गोलीबारी शुरु कर दी जिससे वे भागने के लिए मजबूर हो गए। कांस्टेबल अरूप दास, जो गोली/छर्रे से बुरी तरह से घायल हो गए थे, जी बी हॉस्पिटल, अगरतला (त्रिपुरा) ले जाते समय शहीद हो गए।

अभियान के पूरा हो जाने के बाद, सम्पूर्ण घातस्थल की तलाशी ली गयी थी और आतंकवादियों की निम्नलिखित वस्तुएं घटनास्थल से बरामद की गयी थीं:-

(क)	ई एफ सी ए के -47	-	35
(ख)	ई एफ सी 7.62 मि. मी	-	26
(ग)	जिंदा राउण्ड 7.62	-	2
(घ)	ग्रेनेड सेफ्टी पिन	-	1
(ड.)	इलेक्ट्रिक वायर	-	116 फीट
(च)	छोटी बैटरी	-	1

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय बजरंगी, कांस्टेबल, स्वर्गीय अरूप दास, कांस्टेबल और विष्णु पुरी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 6.8.2010 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 170-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का दसूरा बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	प्रकाश रंजन मिश्रा सहायक कमांडेंट	(वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
2.	कुलदीप राज कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुंलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 16.9.2008 को हजारीबाग जिला में कटकमसांडी पुलिस स्टेशन तथा चतरा जिला में सिमरिया पुलिस स्टेशन के सीमावर्ती इलाके में कृष्ण यादव दल के सी पी आई (एम) उग्रवादियों की गतिविधि के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त हुई। एस पी हजारीबाग, कमांडेंट-22 बटालियन श्री पी.आर. मिश्रा और सहायक कमांडेंट ओ.सी. डी/22 ने "तलाशी एवं छापा" के विशेष अभियान की योजना बनाई। डी/22 के दो प्लाटून तैयार किए गये और इसे तीन दलों में बांट दिया गया। इसमें 6 कार्मिकों के साथ श्री पी.आर. मिश्रा, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में छापा दल, 30 कार्मिकों सहित एस.आई. रामफल के नेतृत्व में घेराव दल और 12 कार्मिकों सहित हेड कांस्टेबल गोविन्द राज के नेतृत्व में रिजर्व दल शामिल था। विस्तृत खुलासे के बाद टुकड़ियां 2100 बजे विशेष अभियान के लिए चल पड़ीं और कटकमसांडी पुलिस स्टेशन पहुँच गईं। इसके बाद सी आर पी एफ की टुकड़ियां ओ.सी. पुलिस स्टेशन कटकमसांडी के साथ उनके संरक्षक दल सहित पैदल लक्ष्य की ओर चल पड़ी। लगभग 15 कि.मी. चलने के बाद, टुकड़ियां घामा गांव के पास पहुँच गईं और एक पर्वत की चोटी पर भोर होने का इंतजार करने लगीं। 0500 बजे जब टुकिड़यां इलाके की तलाशी ले रही थीं, श्री पी.आर. मिश्रा, जो सामने की ओर थे, ने पहाड़ियों पर कुछ संदिग्ध गतिविधि को भांप लिया। उन्होंने एस.आई. रामफल को दाहिनी तरफ से पहाड़ी को घेरने का आदेश दिया। कुछ नक्सली, जो टीलों के पीछे मोर्चा संभाले थे, ने छापा दल पर गोलीबारी शुरु कर दी। श्री पी.आर. मिश्रा, जो सामने की तरफ थे, ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने छापा दल को अपने साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया। जहां कुछ नक्सलियों ने छापा दल पर एक नाले से गोलियां चलाईं, वहीं दूसरे नक्सलवादियों ने चट्टानी

पहाड़ियों की ओर से गोलियां बरसाईं। भारी गोलीबारी के बावजूद नक्सलियों की ओर रेंगकर कुशलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए, श्री पी.आर. मिश्रा, ए/सी छापा दल के साथ नक्सलियों के काफी करीब पहुँच गए और गोलियां चलाने लगे। एक भयंकर मुठभेड़ हुई। अपनी जान की परवाह किए बगैर, श्री पी.आर. मिश्रा, ए/सी और कांस्टेबल कुलदीप राज नक्सलियों के काफी करीब पहुँच गए और उन पर गोलियां चलाईं। इसके परिणामस्वरूप एक नक्सली मारा गया, जिसकी पहचान बाद में जितेन्द्र यादव के रूप में हुई थी और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारी एवं कांस्टेबल कुलदीप राज की कुशल नीति और अदम्य साहस ने नक्सलियों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एक खूँखार नक्सली मारा गया था, जिसकी पहचान बाद में जितेन्द्र यादव-22 वर्ष (सेक्शन कमाण्डर) के रूप में की गई थी। घटनास्थल से निम्नलिखित बरामदगियां भी की गई थीं:-

क्रम सं.	बरामद किए गए हथियारों/गोला-बारुदों एवं सामनों के नाम	बरामद की गई मदों की संख्या
1.	7.62 एम एम एसएलआर	1
2.	.303 बोल्ट एक्शन राइफल	1
3.	7.62 एम एम गोला-बारुद	167 राउण्ड
4.	303 गोला-बारुद	148 राउण्ड
5.	30.06 चक्र	126 राउण्ड
6.	6.7 गोला-बारुद	14 राउण्ड
7.	एसएलआर मैगजीन	2
8.	303 मैगजीन	1
9.	चार्जर किल्प 7.62	4
10.	चार्जर क्लिप 30.06	7
11.	चार्जर .303 गोला-बारुद	25
12.	इलेक्ट्रानिक डेटोनेटर	1
13.	नक्सली साहित्य	1
14.	लेवी रसीद	2
15.	पिट्ठू	10
16.	भारतीय मुद्रा	19,000/-रूपए

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री प्रकाश रंजन मिश्रा, सहायक कमांडेंट और कुलदीप राज, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का द्वितीय बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 17.09.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 171-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी नाम और रैंक

श्री मौला हुसैन
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

पुलिस थाना – मुफ्फसिल के अन्तर्गत ग्राम – मथिया में माओवादी के जमावड़े की जानकारी मिलने पर, उपयुक्त आयोजना एवं संक्षिप्त जानकारी के बाद दिनांक 17.11.08 को 1700 बजे छापा एवं तलाशी की कार्रवाई के लिए डिप्टी कमांडेंट श्री राजेश कुमार की कमान के तहत सी आर पी एफ (2 प्लाटून) और सिविल पुलिस की एक संयुक्त पार्टी रवाना हुई। गांव के पास पहुँचने पर, जो कि मुख्य मार्ग से लगभग 1-2 कि.मी. की दूरी पर था, सैन्य टुकड़ियों को गांव को घेरने के लिए विभाजित कर दिया गया था। जब सैन्य-टुकड़ियां गांव को घेर रही थीं, तब सैन्य-टुकड़ियों पर अंधाधुंध गोली बरसाई जाने लगी और सैन्य-टुकडियों ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं। कुछ सैन्यकर्मी छोटे से पक्क मकान के पास थे जहाँ से गोलियां चलाई जा रही थी परन्तु हमारी सैन्य-टुकड़ियों ने कुशलतापूर्वक अपना मोर्चा संभाल रखा था। सब इंस्पेक्टर/जी डी नौशाद अली और कांस्टेबल/जी डी मौला हुसैन, कांस्टेबल/जी डी मंजुनाथ, हेड कांस्टेबल/जी डी ईश्वरधन चरण तथा हेड कांस्टेबल/जी डी सर्वण सिंह ऊपरवर्णित पक्के मकान के काफी अधिक करीब थे जिसे उन्होंने तीन तरफ से घेर रखा था। इस अवधि के दौरान कांस्टेबल/जी डी मौला हुसैन ने अपनी आँख पर जख्म होने के बावजूद, तत्काल एक तंग गलियारे में अपना मोर्चा संभाला और चालू लड़ाई में उस नक्सली पर गोली चला दी जो टुकड़ियों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था और उसे मार गिराया। दूसरा नक्सली सब इंस्पेक्टर नौशाद अली, भेरा राम और कांस्टेबल मौला हुसैन की गोलीबारी में मारा गया। हेड कांस्टेबल/जी डी ईश्वरधन चरण ने उन नक्सलियों की गोलीबारी पद्धति पर नजर रखी हुई थी जिन्होंने पुख्ता सुरक्षा में एक मकान में अपना मोर्चा संभाल रखा था और क्षणभर में ही काफी करीब से उन्होंने गोलीबारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर नक्सलियों के बीच एक हथगोला फेंक दिया जिससे उनमें से कई हताहत हो गए। उस समय तक और अधिक नक्सली दूसरे क्षेत्रों से आकर एकत्रित हो गए थे और सैन्य-टुकड़ियों पर गोलियाँ बरसा रहे थे। हालांकि गोलीबारी काफी लम्बे अंतराल तक चली। हेड कांस्टेबल/जी डी सर्वण सिंह, जो क्यू ए टी कमाण्डर थे, बार-बार अपनी स्थिति को बदलते रहे और सामने से क्यू ए टी का नेतृत्व किया। श्री राजेश कुमार, डिप्टी कमांडेंट ने उन सैन्य-टुकड़ियों को बाहर निकालने के लिए बुलेट प्रूफ वाहन में अनी जान की परवाह किए बगैर गोलीबारी के क्षेत्र में वाहन में प्रवेश करने का निर्णय लिया, जिन्हें भारी संख्या में हथियारबंद नक्सलियों द्वारा पकड़ा और मारा जा सकता था। इस प्रक्रिया में उन्होंने उन सभी को सुरक्षित

स्थान तक पहुँचा दिया जबकि दोनों ओर से गोलीबारी हो रही थी। कुछ घंटों की गोलीबारी के बाद, अंधेरेपन का फायदा उठाकर नक्सली बच निकले। फिर घर-घर की तलाशी ली गई। तलाशी के बाद दो शव बरामद किये गये और एक 303 बोल्ट एक्शन राइफल, 303 राइफलों के जिंदा कारतूस-56,7.62 मि.मी. के खाली खोखे-30,7.62x39 मि.मी. ए के 47-12,303 राइफल के कारतूस-101, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर-3, सिग्नल सेट (केनवुड)-1, मोटरोला सेट-1(वी एच पी), कपड़े/सोने के गहने तथा नक्सली साहित्य इत्यादि के साथ तीन संदिग्ध महिला नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था। घटनास्थल पर खून के धब्बे बताते थे कि नक्सलियों की तरफ से और अधिक लोग हताहत हुए थे। इस कार्रवाई ने नक्सलियों को न केवल निष्प्रभावी बना दिया बल्कि इलाके में नक्सलियों के मनोबल को भी बुरी तरह से झकझोड़ दिया।

इस मुठभेड़ में श्री मौला हुसैन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 17.11.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 172-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. उदय दिव्यांशु,
   डिप्टी कमांडेंट
2. पंचम लाल,
   असिस्टेंट कमांडेंट
3. आनन्द प्रसाद गोटवाल,
   असिस्टेंट कमांडेंट
4. मंगला प्रसाद,
   सब इंस्पेक्टर
5. श्री किशन,
   हेड कांस्टेबल
6. एस.वाई.रेड्डी,
   कांस्टेबल

7. लाल बहादुर,
कांस्टेबल

8. अरुण कुमार पाण्डेय,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

डेट 202 कोबरा को पश्चिम मिदनापुर के एस पी से विशिष्ट पुख्ता खुफिया जानकारी मिली कि गोलतोड़ एरिया कमाण्डर सिद्धू सोरेन के तहत 20 से 25 माओवादी हथियारबंद काडर गोलतोड़ पुलिस थाना के अन्तर्गत कायमा-मेटाला के घने जंगलों में एकत्रित हो रहे हैं। इस संबंध में अभियान शुरु करने के लिए डेट 202 कोबरा की चार (04) टीमें संबंधित टीम कमाण्डरों के तहत (क), (ख) एवं (ग) नामक तीन समूहों में बांटकर गठित की गयी थीं जिनके साथ सिविल पुलिस के प्रतिनिधि श्री चन्द्र शेखर बर्धन, डी एस पी (क्राइम), पश्चिम बंगाल पुलिस भी थे। इस अभियान का नेतृत्व श्री उदय दिव्यांशु, डिप्टी कमांडेंट 202 कोबरा कर रहे थे जिन्होंने दिनांक 25.07.10 को 2230 बजे से खोज/विध्वंस अभियान शुरु किया था।

दिनांक 26.7.10 को लगभग 0400 बजे घने जंगलों में दुर्गम क्षेत्र की तलाशी (कांम्बिंग) करते समय, श्री पंचम लाल, असि. कमांडेंट के तहत समूह ग ने माओवादी के छिपने के स्थान को ढूढ़ निकाला और वे छुपने के स्थान की ओर आगे बढ़े। वे माओवादी काडरों द्वारा पूर्णरूपेण सुरक्षित स्थानों से की गई अंधाधुंध गोलीबारी आई ई डी धमाकों की चपेट में आ गए। श्री पंचम लाल, असि. कमांडेंट ने समय गंवाए बिना तीन विभिन्न हमला दलों के अन्तर्गत तीन तरफ से जवाबी हमला करने का निर्णय लिया। बीच के छोर से स्वयं श्री पंचम लाल असि. कमांडेंट, कांस्टेबल/जी डी आशीष कुमार तिवारी, कांस्टेबल/जी डी एस.वाई. रेड्डी, कांस्टेबल/जी डी लाल बहादुर ने, दाहिनी छोर से सब इंस्पेक्टर/जी डी मंगला प्रसाद, हेड कांस्टेबल/जी डी श्री किशन ने और बांयी छोर से कांस्टेबल/जी डी अरुण कुमार पाण्डेय, श्री चन्द्र शेखर डी एस पी (क्राइम) पश्चिम बंगाल पुलिस ने छुपने के स्थान/लक्ष्य पर धावा बोल दिया।

माओवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी को नजरअंदाज करते हुए, वे काले घने अंधेरे के बीच एस ए एल के घने जंगलों में आगे बढ़े, कुशलतापूर्वक आई ई डी से बचाव किया और बिल्कुल नजदीक से कार्रवाई शुरु कर दी, जिसके परिणामस्वरूप 05 हथियारबंद माओवादी

काडर तत्काल मार गिराए गए। भारी गोलीबारी के बीच श्री पंचम लाल तथा कांस्टेबल/जी डी आशीष कुमार तिवारी का हमले के दौरान अतिवांछित माओवादी स्कवायड कमाण्डर सिद्धू सोरेन से आमना-सामना हो गया, जिसके परिणामस्वरूप माओवादी कमाण्डर को मार गिराया गया। कांस्टेबल/जी डी आशीष कुमार तिवारी भी उनके गले के चारों ओर गोली लगने से बुरी तरह से जख्मी हो गये। बचे हुए दूसरे हथियारबंद माओवादी उस स्थान से भाग खड़े हुए।

छिपने के स्थान से माओवादियों के भागने के बारे में सावधान होकर, श्री उदय दिव्यांशु, डी सी, श्री आनन्द मोटवाल, ए सी ने घने जंगलों में और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भाग रहे माओवादी काडरों का निर्भीकता के साथ पीछा किया और एक हथियारबंद माओवादी काडर को मार गिराया तथा भाग रहे माओवादियों द्वारा छोड़े गए भारी मात्रा में हथियारों/गोला-बारुद/आइ ई डी/विस्फोटकों/आपत्तिजनक सामग्रियों को जब्त किया।

इस अभियान को पूरा करने में, कमाण्डो ने असाधारण बहादुरी, अदम्य वीरता, समस्त परेशानियों/दुर्गम भू-भाग/विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुशलतापूर्ण चतुराई, कठोर परिस्थितियों में कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया। उनके अतुलनीय साहस के कारण एक अतिविशिष्ट कार्यात्मक सफलता हासिल हो पाई, जिसमें 06 खूंखार हथियारबंद माओवादी मारे जा सके।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री उदय दिव्यांशु, डिप्टी कमांडेंट, पंचम लाल, असिस्टेंट कमांडेंट, आनन्द प्रसाद गोटवाल, असिस्टेंट कमांडेंट, मंगला प्रसाद, सब इंस्पेक्टर, श्री किशन, हेड कांस्टेबल, एस.वाई.रेड्डी, कांस्टेबल, लाल बहादुर, कांस्टेबल और अरुण कुमार पाण्डेय, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 26.07.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 173-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का दूसरा बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. कन्हैया सिंह, असिस्टेंड कमांडेंट — (वीरता के लिए पुलिस पदक का दूसरा बार)
2. धन्ना लाल, हेड कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)

3.	पप्पू कुमार, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	दिवाकर कुमार पाण्डेय, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	जरनैल सिंह, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

पलामू एवं गढ़वा जिले के सीमावर्त्ती इलाके में सी पी आई (माओवादी) काडरों की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट जानकारी मिलने पर, दिनांक 11.01.2008 को गढ़वा जिले के भण्डरिया पुलिस थाना के अन्तर्गत हर्ता गांव में श्री बी.के. शर्मा, कमाण्डेंट, एस पी पलामू तथा एस पी गढ़वा द्वारा एक संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई थी। चूंकि वह स्थान गढ़वा एवं पलामू सीमा के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में स्थित था, इसलिए क्रमश: गढ़वा एवं पलामू जिले से 1300 बजे सी/13 और ए/13 प्रत्येक से दो पलटनों को अभियान के लिए रवाना कर दिया गया था। जब सिविल पुलिस घटकों के साथ सी/13 की दो पलटनें हर्ता गांव की ओर बढ़ रही थीं, तब उस दल पर लगभग साठ की संख्या में नक्सलियों द्वारा भारी गोलीबारी की जाने लगी। सी आर पी एफ दल ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और नक्सलियों को भागने पर मजबूर कर दिया। इस जानकारी के मिलने पर श्री सारंग, डी सी के पर्यवेक्षण में श्री कन्हैया सिंह, ए सी के नेतृत्व में ए/13 की दो पलटनें नक्सलियों के भागने की संभावित दिशा की ओर आगे बढ़ीं। जिस समय यह पार्टी बनालत गांव की सीमा पर बुद्धिमतापूर्वक घने जंगल से गुजर रही थी, तभी उनका सामना भारी मात्रा में हथियारों से लैस नक्सलियों के दल से हुआ। उग्रवादियों ने काफी निकट से सी आर पी एफ की टुकड़ियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। सी आर पी एफ दल ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया। समस्त परेशानियों जैसे कि घने जंगल, बढ़ते अंधेरे के साथ-साथ भारी गोलीबारी के बावजूद, श्री कन्हैया सिंह, ए/सी ने पहल की और अपनी जान को जोखिम में डालकर हेड कांस्टेबल/जी डी धन्ना लाल के साथ बहादुरी से मुकाबला किया और नक्सलियों के स्काउट को मार गिराया। इस भारी गोलीबारी के बीच, इन दोनों रणबांकुरों ने दूसरे किनारों से दुश्मन की गतिविधि को भांप लिया। उसी समय कांस्टेबल/जी डी पप्पू कुमार, कांस्टेबल/जी डी दिवाकर कुमार और कांस्टेबल/जी डी जरनैल सिंह को समय मिल गया और उन्होंने भी बहादुरीपूर्वक जवाबी कार्रवाई की तथा दूसरे नक्सलियों को मार गिराया। गोलीबारी लगभग ढ़ाई घंटे चली। अंधेरेपन, घने जंगल और नक्सलियों द्वारा रूक-रूक कर की जा रही गोलीबारी के कारण, तलाशी की कार्रवाई सुबह के समय की गई, जिसके परिणामस्वरूप नक्सलियों के तीन शव, भारी मात्रा में हथियार/गोलाबारुद और अन्य सामान बरामद किए गए।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोला-बारुद/सामग्रियां बरामद की गई थीं:-

(क)	मैगजीन सहित 315 राइफल	-	1
(ख)	मैगजीन सहित .303 राइफल	-	1

(ग)	.303 के जिंदा राउण्ड	-	2
(घ)	315 बोर के जिंदा राउण्ड	-	2
(ङ.)	315 बोर के अनदगे कारतूस	-	1
(च)	पिट्ठु	-	5
(छ)	नकद	-	5,800/-रूपए
(ज)	स्मार्ट सिम कार्ड के साथ मोबाइल		
(झ)	कलाई घड़ी	-	2
( )	धन उगाही की रसीद	-	1
(ट)	नक्सल साहित्य		
(ठ)	दैनिक उपयोग की वस्तुएं		

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री कन्हैया सिंह, असिस्टेंड कमांडेंट, धन्ना लाल, हेड कांस्टेबल, पप्पू कुमार, कांस्टेबल, दिवाकर कुमार पाण्डेय, कांस्टेबल और जरनैल सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का दूसरा बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.01.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 174-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. परशुराम सिंह
   सब इंस्पेक्टर
2. राजेन्द्र राय (मरणोपरान्त)
   हेड कांस्टेबल
3. वासवा विजय कुमार (मरणोपरान्त)
   कांस्टेबल
4. राजेश कुमार जाट (मरणोपरान्त)
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 02.09.2008 की शाम में, थाना प्रभारी, कुसमी पुलिस थाना, जिला बलरामपुर ने दिनांक 03.09.2008 की सुबह से उत्तरी समरी के आम इलाके में दो दिनों हेतु नक्सल-विरोधी तलाशी कार्रवाई करने के लिए कुसमी में तैनात डी/81 बटालियन सी आर पी एफ की दो पलटनों की मांग की। तदनुसार, सब इंस्पेक्टर/जी डी परशुराम सिंह की कमान के तहत 48 व्यक्तियों सहित डी/81 बटालियन की दो पलटनें दिनांक 03.09.2008 को युक्तिपूर्वक सड़क के रास्ते 0600 बजे समरी-सबाग की ओर चलीं और 1000 बजे सबाग पहुँच गई जहाँ सब इंस्पेक्टर ब्रजेश तिवारी की कमान के तहत 20 पुलिसकर्मियों की सिविल पुलिस पार्टी उनके साथ शामिल हो गई। दोनों पार्टी कमाण्डरों ने विस्तार से कार्रवाई की योजना पर चर्चा की और सबाग में संयुक्त आधार शिविर स्थापित किया। संयुक्त पार्टी इसके आगे बंदरचुआँ की ओर बढ़ी और सबाग से लगभग 7-8 कि.मी. की यात्रा करने के बाद, पार्टी को दो डेटोनेटरों, एक नौ वोल्ट की बैटरी तथा 73 मीटर इलेक्ट्रिक तार के साथ लगभग 10-12 कि.ग्रा. विस्फोटक के भार वाले एक आई ई डी का पता चला जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया था।

दिनांक 04.09.2008 को डी/81 पलटन कमाण्डर सब इंस्पेक्टर/जी डी परशुराम सिंह और सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर ब्रजेश तिवारी ने पार्टी के साथ नक्सलियों के इलाके में स्थिति, आसूचना जानकारियों, गतिविधियों की पद्धति और आश्रयस्थलों का विश्लेषण किया तथा भू-भाग के अनुसार उपयुक्त संरचना बनाते हुए चुनचुना की ओर बढ़े। जब वे एक पोखरी नाला से गुजर रहे थे तब अन्तिम सेक्शन नक्सलियों द्वारा किए गए आई ई डी धमाके की चपेट में आ गया। इसके बाद नक्सलियों द्वारा भारी गोलीबारी की जाने लगी। पार्टी ने तत्काल उपयुक्त मोर्चा संभाला और गोलीबारी शुरु कर दी। गोलीबारी की लड़ाई में हेड कांस्टेबल/जी डी राजेन्द्र राय और कांस्टेबल/जी डी वी. विजय कुमार शुरुआती गोलीबारी में ही गोलियों से घायल हो गए और वे घटनास्थल पर ही मारे गए। घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु होने से पहले, उन्होंने ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

तथापि, कांस्टेबल/ जी डी राजेश कुमार जाट, जिन्होंने एल एम जी के साथ मोर्चा संभाल रखा था, ने जवाबी कार्रवाई की और अपने दाहिने हाथ पर गंभीर जख्म होने के बावजूद, भारी गोलीबारी करके नक्सलियों को व्यस्त रखा। यह क्रम लगभग एक घंटे तक चलता रहा। जख्म के बावजूद, कांस्टेबल राजेश कुमार जाट ने रेंगते हुए अपना मोर्चा बदल लिया और उन नक्सलियों पर बहादुरीपूर्वक गोलीबारी जारी रखी जो एल एम जी/ए के-47 से गोलियां बरसा रहे थे और एल एम जी की गोलीबारी को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय करने में सफल हुए। लगभग डेढ़ घंटे की मुठभेड़ के समाप्त होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।

नक्सलवादी लगभग बीस सुरक्षित मोर्चों से गोलीबारी कर रहे थे। सब इंस्पेकटर/जी डी परशुराम सिंह (पार्टी कमाण्डर) ने उपयुक्त कवर एवं केन्द्रित गोलीबारी हेतु अपने साथियों का मार्गदर्शन करते हुए असाधारण वीरता एवं नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया तथा एक पार्टी कमाण्डर होने के नाते उनके द्वारा एच ई बमों का प्रयोग करना काफी अच्छा निर्णय था, जिसके परिणामस्वरूप एच ई द्वारा नक्सलियों के कुछ मोर्चे ध्वस्त हो गए और उनमें से कुछ जख्मी हो गए।

हमारी पार्टी की समग्र वीरतापूर्ण कार्रवाई से उनकी उच्च कोटि की पेशेवर क्षमता, आपसी सहयोग/समन्वय की बेहतर भावना और बहादुरीपूर्ण जवाबी कार्रवाई प्रदर्शित हुई जिससे नक्सली अपनी जान बचाने हेतु भागने पर मजबूर हो गए। इस मुठभेड़ में 10 राइफल ग्रेनेडों, हैण्ड ग्रेनेडों तथा एच ई बमों के अतिरिक्त डी/81 के सैन्यकर्मियों द्वारा 543 चक्र गोलियां चलाई गई थीं।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री परशुराम सिंह, सब इंस्पेक्टर, स्वर्गीय राजेन्द्र राय, हेड कांस्टेबल, स्वर्गीय वासवा विजय कुमार, कांस्टेबल और स्वर्गीय राजेश कुमार जाट, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04.09.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 175-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. गोनिली बाल कृष्ण,
   कांस्टेबल
2. समी उल्ला पंडित,
   कांस्टेबल
3. अमरदीप,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

तुजान गांव के इलाके में आतंकवादियों के मौजूद होने के संबंध में दिनांक 29.09.2007 को चरार-ए-शरीफ के एस डी पी ओ से जानकारी प्राप्त होने पर, कमांडेंट-181 बटालियन ने असिस्टेंड कमांडेंट श्री संजीव कुमार सिंह को अपनी सैन्य-टुकड़ियों के साथ इलाके की तलाशी/घेराबंदी करने का निदेश दिया। श्री अहमदउल्ला, डी/सी-181 बटालियन भी अपनी क्यू आर टी के साथ घटनास्थल पर पहुँच गए। 53 आर आर और आतंकवादियों के बीच 2300 बजे तक चली गोलीबारी के दौरान आतंकवादी मस्जिद में प्रवेश कर गए। लगभग 2315 बजे, 53 आर आर ने एक अथवा दूसरे कारणों से मस्जिद के घेरे से अपनी तैनाती हटा ली। ऐसी मजबूरी में एस डी पी ओ, चरार-ए-शरीफ ने श्री अहमदउल्ला, डी/सी से मस्जिद का घेराव करने का अनुरोध किया जिससे कि आतंकवादी बचकर भाग न सकें। क्यू आर टी 181 बटालियन और सिविल पुलिस के साथ जी/181 की पलटन ने सतर्क योजना के साथ मस्जिद को घेर लिया तथा कमांडेंट सी/181 से एस डी पी ओ द्वारा एक और कम्पनी की मांग की गई तथा श्री एन.एस. चौधरी, ए/सी की कमान के तहत तत्काल तैनाती भी कर दी गई।

श्री एस.के. शर्मा, कमांडेंट 181 बटालियन, सी आर पी एफ पार्टी (क्यू आर टी) के साथ घटनास्थल पर पहुँच गए और स्थिति की कमान संभाल ली। मस्जिद में दो दरवाजे थे। सुरक्षा एवं संरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एक दरवाजे की सुरक्षा कांस्टेबल/जी डी जी. बालकृष्ण द्वारा और दूसरे की सुरक्षा कांस्टेबल/जी डी समीउल्ला पंडित, कांस्टेबल/जी डी अमरदीप और श्री संजीव कुमार सिंह, ए/सी द्वारा की जाने लगी।

अचानक एक आतंकवादी दरवाजे की ओर से मस्जिद से भागने लगा और सैन्यकर्मियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। कांस्टेबल/जी डी जी. बालकृष्ण ने जवाबी गोलीबारी की और हिजबुल मुजाहिदीन के नजीर अहमद डार नामक एक आतंकवादी को मार गिराया। दूसरे आतंकवादी ने दूसरी तरफ के दरवाजे से श्री संजीव कुमार सिंह, असि. कमांडेंट पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। उक्त अधिकारी ने अपने हथियार से प्रतिशोधी गोलीबारी करते हुए कांस्टेबल/जी डी समीउल्ला पंडित और कांस्टेबल/जी डी अमरदीप को आतंकवादी पर गोली चलाने का आदेश दिया। आतंकवादी की ओर से भारी मात्रा में गोलीबारी के मद्देनजर, उपर्युक्त कांस्टेबलों ने उस पर सीधी सटीक गोली चलाकर आतंकवादी को व्यस्त रखा और हिजबुल मुजाहिदीन के खुर्शीद अहमद राथड़ नामक दूसरे आतंकवादी को मार गिराया।

अभियान की पूर्ण सफलता सुनिश्चित करने के लिए, श्री एन. भारद्वाज, डी आई जी पी सी आर पी एफ श्रीनगर, श्री एस.के. शर्मा, कमांडेंट-181 बटालियन, श्री पूरन सिंह, 2-आई/सी ने कमरा तलाशी दल का नेतृत्व किया और मैगजीन सहित एक ए के-47 राइफल, मैगजीन सहित एक 9 मि.मी. कार्बाइन, मैगजीन सहित एक चीनी पिस्तौल और एक टूटे हुए वायरलेस सेट के साथ मारे गए दो आतंकवादियों के शव बरामद किए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री गोनिली बाल कृष्ण, कांस्टेबल, समीउल्ला पंडित, कांस्टेबल और अमरदीप, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 30.09.2007 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 176-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री राज कुमार,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 24.5.2009 को एस.पी. हजारीबाग के माध्यम से एक विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई कि सशस्त्र नक्सलवादियों का एक दल हजारीबाग जिला में चौपारन पुलिस थाना के अन्तर्गत ददियाटोला गांव, जमुनियाताड़ी में धन उगाही कर रहा है। उपर्युक्त जानकारी के आधार पर, एस.पी. हजारीबाग के साथ श्री अजीत सांगवान, सेकण्ड इन कमांड-22 बटालियन द्वारा एक विशेष छापा/तलाशी अभियान की योजना बनाई गई थी। सैन्य दलों को अभियान के बारे में अवगत करा दिया गया था और वे 1530 बजे चौपारन पुलिस थाना पहुँच गए। एस.पी. हजारीबाग द्वारा रणनीति एवं योजना के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा दिए जाने के बाद सी आर पी एफ सैन्यदल वाहनों से "इतखोरी" गांव की ओर चल पड़ा। वाहनों को "इतखोरी" गांव में छोड़ दिया गया था और सैन्य दल घने जंगल से होते हुए युक्तिपूर्वक पैदल 'ददियाटोला' गांव (जमुनियाताड़ी) की ओर चल पड़ा। लगभग 1730 बजे जब सी आर पी एफ सैन्यदल जमुनियाताड़ी गांव से तकरीबन 500 गज की दूरी पर पहुंचा, तो कांस्टेबल/जी डी हेमराज, जो अग्रणी संरचना में थे, ने अपनी दूरबीन से गांव की बांयी तरफ महिलाओं एवं बच्चों के एक जमावड़े को देखा। उसने अपनी आशंका के बारे में पलटन कमाण्डर को सतर्क किया कि शायद यह जमावड़ा नक्सलियों का धन उगाही केन्द्र हो सकता है। जानकारी की पुष्टि करने के बाद कम्पनी कमाण्डर ने अपने सम्पूर्ण सैन्यदल को सतर्क कर दिया और सब इंस्पेक्टर/जी डी बिशन दास को कहा कि वह अपनी अग्रणी पंक्ति को लेकर आगे बढ़ें और नजदीक से जमावड़े को घेरें ताकि गोलीबारी की स्थिति में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सतर्क

किए जाने पर सैन्य दल बुद्धिमतापूर्वक आगे बढ़ा और 3 से 4 फीट गहरे नाले में छिपते हुए जमावड़े की ओर आगे बढ़ा। जब सी आर पी एफ सैन्यदल जमावड़ा स्थल से लगभग 150 गज की दूरी पर था, तो एक महिला ने युक्तिपूर्वक आगे बढ़ रहे सैन्यदल को देख लिया ओर शोर मचा दिया "भागो-भागो पुलिस आ गयी"। तत्काल अग्रणी पंक्ति जमावड़े की ओर बढ़ी, उपयुक्त मोर्चा संभाला और उन्हें ललकारा। उसी समय एक नक्सल कमाण्डर, जिसने सुरक्षित मोर्चा संभाल रखा था, ने सी आर पी एफ दल पर गोलीबारी शुरु कर दी। सतर्क सैन्यदल विचलित नहीं हुआ और जमावड़ा स्थल की ओर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ता रहा। आगे बढ़ने के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ नक्सली पहाड़ी भू-भाग और घने जंगल की ओर बढ़ रहे हैं तथा कुछ दायीं, बांयी और सामने की पहाड़ी की ओर से गोलीबारी कर रहे हैं। कांस्टेबल/जी डी राज कुमार, जो अग्रणी पंक्ति में थे, रेंगते हुए सैन्य दल पर गोलीबारी कर रहे उग्रवादी से लगभग 50 गज की दूरी तक एकदम नजदीक पहुंच गए और तत्काल उसे मार गिराया। लगभग 35 वर्ष के इस उग्रवादी ने वर्दी पहन रखी थी। परन्तु दूसरे नक्सलवादी ने, जो मारे गए नक्सलवादी की सहायता कर रहा था, सी आर पी एफ सैन्यदल पर गोलीबारी जारी रखी, जिसके परिणामस्वरूप कांस्टेबल/जी डी राज कुमार अपनी बाँह के सामने की तरफ गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गये। घायल होने के बावजूद, कांस्टेबल/जी डी राजकुमार ने काफी नजदीक से गोलीबारी जारी रखी, जिसके कारण नकसलियों ने अपने छिपे हुए मोर्चों को छोड़ दिया और पहाड़ी की ओर भागने लगे। इसी बीच, घायल कांस्टेबल/जी डी राज कुमार ने भाग रहे नक्सलियों को देख लिया, उनमें से एक को निशाना बनाया और उस एक नक्सली को मार गिराया। उग्रवादियों को मारने के बाद, उन्होंने यह कहते हुए कि "मुझे चोट लग गयी है" सहायता के लिए आवाज लगाई।

हेड कांस्टेबल/जी डी गणेश दास, जिसने उनकी आवाज सुनी, रेंगते हुए उनके पास पहुंचे और फिर उन्हें लगभग 30 गज पीछे सुरक्षित स्थान पर ले आए जहां कम्पनी कमाण्डर और घायल कांस्टेबल के दो अन्य साथियों ने खून के रिसाव को रोकने के लिए तीन काले पटकों (कपड़ा) से उनके जख्मी बांह को लपेट दिया। कम्पनी कमाण्डर ने तत्काल एस.पी. हजारीबाग को सूचित किया, जो पूरे अभियान की निगरानी कर रहे थे। एस.पी. हजारीबाग ने तुरन्त ओ सी, पुलिस स्टेशन चौपारन की कमान के तहत जे ए पी जवानों के एक दल तथा सात सी आर पी एफ जवानों की एक पार्टी को भेजा, जिन्होंने कांस्टेबल/जी डी राजकुमार को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा के लिए चौपारन सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया और उसके बाद उसे ऑपरेशन के लिए अपोलो अस्पताल रांची भेज दिया गया। इस बीच उग्रवादियों ने जंगल और पहाड़ी टीलों की आड़ लेकर सी आर पी एफ टुकड़ियों पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। इसके प्रत्युत्तर में कम्पनी कमाण्डर ने उन पर एक-एक करके 02 एच ई बम फेंकने का आदेश दिया। तब नक्सलियों ने घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ जमीन, बरसाती नाला, ऊँची पहाड़ियों और अंधेरे का सहारा लेकर वापस भागना शुरु कर दिया। श्री अजीत सांगवान, सेकण्ड-इन-कमांड भी क्यू आर टी के साथ अतिरिक्त पुलिस बल के रूप में घटनास्थल पर पहुंच गए। सी आर पी एफ की टुकड़ियों ने 01 पैरा बम फेंका और सम्पूर्ण इलाके की तलाशी ली। तलाशी के दौरान, सी आर पी एफ टुकड़ियों ने .315

राइफल-01, .315 गोला-बारुद-28,303 गोला-बारुद-51, 9 मि.मी. गोला-बारुद-6, ए के-47 की पिस्तौल ग्रिप-01 और नक्सल साहित्य-01 से लैस अज्ञात नक्सलियों के दो शव बरामद किए।

इस मुठभेड़ में श्री राज कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 24.05.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 177-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	नलिन प्रभात, उप महानिरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	प्रवीण कुमार कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 30 जनवरी 2008 को पौ फटने से पहले, विशिष्ट खुफिया जानकरी के आधार पर जे के पी, सी आर पी एफ तथा 1 आर आर द्वारा वाटीपुरा के मलिक मोहल्ला को घेर लिया गया था। यह मोहल्ला, जिसमें सात मकान हैं, मुख्य गांव से 500 मीटर दूर है, काफी ऊँचे स्थान पर स्थित है, हिमाच्छादित (उस दिन) खेतों से घिरा हुआ है और पहाड़ी पीपल के पेड़ों के बीच है, जिसके कारण बुलेट प्रूफ वाहन वहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे।

भोर होते ही जब सैन्यदलों ने आगे बढ़ते हुए घेरे की परिधि को कम करना शुरु किया तब विभिन्न मकानों में छिपे हुए आतंकवादियों ने सभी दिशाओं में भारी गोलीबारी शुरु कर दी। जब मोहल्ले के निकट पहुँचने को कोई चारा सैन्यदलों को नजर नहीं आया, तब डी आई जी (आपरेशन) श्री नलिन प्रभात ने सी आर पी एफ, जे के पी और आर आर के अधिकारियों के साथ बातचीत की और मोहल्ले में घुसने तथा पहुँचने के लिए निम्नानुसार दो हमला दलों को तैयार करने का निर्णय लिया:

दल-1

क) श्री नलिन प्रभात, डी आई जी आपरेशन

ख) एस आई तरनजीत सिंह, पी आई डी नं. ई एक्स के 046149

ग) कांस्टेबल परवेज अहमद, नं-431/ए पी 14वीं

घ) कांस्टेबल सुरेश कुमार, नं.-479/ए पी 14वीं

ङ) कांस्टेबल मुस्ताक अहमद, नं-369/के जी एम

च) नं.-041745432 कांस्टेबल/जी डी प्रवीण कुमार, 174 सी आर पी एफ

दल-2

क) एस आई मोहम्मद यूसुफ मीर, पी आई डी नं.-ए आर पी 046106

ख) कांस्टेबल आजाद अहमद राथर, नं.-1432/ए

ग) कांस्टेबल मेहराजुदीन, नं.-1063/ए

घ) कांस्टेबल राकेश कुमार, नं.-1047/ए

प्रथम दल ने, उन पर की जा ही गोलीबारी को नजरअंदाज करते हुए, बुलेट प्रूफ ढाल की आड़ लेकर ऊँचे स्थान की तरफ कीचड़दार ढ़लान से होकर मोहल्ले की ओर कूच किया। पहले मकान की एक पिछ्ली खिड़की को तोड़कर, श्री नलिन प्रभात ने अंदर प्रवेश किया जिनके पीछे दल के दूसरे सदस्य घुसे और उन्होंने आतंकवादियों को पास के मकान में घुसने पर मजबूर कर दिया। तब दूसरा दल दूसरे मकान (दक्षिणावर्त दिशा में) की ओर आगे बढ़ा और उसी तरह से उसको खाली कराकर कब्जे में ले लिया। अन्य चार मकान भी दोनों दलों द्वारा उसी तरीके से खाली कराकर कब्जे में ले लिए गए और आतंकवादियों को अंतिम मकान में इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। पूरे समय तक कांस्टेबल प्रवीण कुमार डी आई जी के पीछे चिपके रहे और दल की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने साथी को पीछे से लगातार कवर प्रदान करते रहे।

श्री नलिन प्रभात ने विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग किया और सिपाहियों को लक्षित मकान की छत पर गोलीबारी करने का निर्देश दिया। साथ-ही-साथ दो तरफ से प्रवेश कर अन्तिम प्रहार किया। दोनों हमला दल छिपे हुए आतंकवादियों, जो अपना अन्तिम प्रयास कर रहे थे और अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे, की तरफ से अपनी जान की जोखिम की परवाह किए बगैर फुर्ती के साथ आगे बढ़े। फुर्ती के साथ तीव्र गति से किए गए हमले के परिणामस्वरूप अंततः सभी चारों आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया, जिनकी पहचान निम्नानुसार की गई:

(क) सज्जाद अहमद बट, जिला कमाण्डर

(ख) फारूक अहमद वार सभी हिजबुल मुजाहिदीन

(ग) जावेद अहमद मट्टू

(घ) फिरदौस अहमद वानी

निम्नलिखित बरामदगियां की गईं:-

(i)	ए के 47 राइफल	-	3
(ii)	चीनी पिस्तौल	-	1 (मैगजीन सहित)
(iii)	ए के मैगजीन	-	3
(iv)	ए के गोला-बारुद	-	74 राउण्ड
(v)	मैगजीन पाउच	-	2

यह बताना प्रासंगिक है कि सज्जाद बट ने जून, 06 में बद्रू नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसमें 9 नेपाली मारे गए थे।

यह इस मायने में एक अत्यंत प्रभावशाली अभियान था कि इसमें न तो कोई समानान्तर क्षति हुई न ही अपनी तरफ से कोई हताहत हुआ और और इसे रेकार्ड समय में पूरा किया गया था, जबकि आतंकवादी वर्चस्व वाले इलाके में एक 'निर्मित क्षेत्र' में थे।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री नलिन प्रभात, उप महानिरीक्षक और प्रवीण कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 30.01.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 नवम्बर 2011

संकल्प

संख्या-ई.11015/1/2010-हिन्दी : राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. II /20015/45/87- रा.भा.(क-2) दिनांक 15.03.1988, 4.5.1989, कार्यालय ज्ञापन सं. II /20015/64/89-रा.भा. (क-2) दिनांक 11.01.90, कार्यालय ज्ञापन सं./20015/6/92-रा.भा.(क-2) दिनांक 10.06.1992 तथा का.ज्ञा. सं./20015/4/2000-रा.भा. (नीति-2) दिनांक 31.5.2000 के अनुसार भारत सरकार एतद्द्वारा पंचायती राज मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार करती है:-

गठन

पंचायती राज मंत्री	अध्यक्ष

गैर सरकारी सदस्य

लोकसभा से दो संसद सदस्य

1. डॉ. प्रभा किशोर तावियाड	सदस्य
2. श्री प्रहलाद वैंकटेश जोशी	सदस्य

राज्य सभा से दो संसद सदस्य

3. श्री अविनाश पांडे	सदस्य
4. श्री समन पाठक	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति से दो संसद सदस्य

5. श्री सुरेश काशीनाथ टावरे, संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
6. श्री गजानन डी. बाबर, संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्सवाई-68 सरोजनी नगर, नई दिल्ली के प्रतिनिधि

7. श्री मोहन प्रकाश दुबे 25/5, सेक्टर-1, पुष्प विहार, नई दिल्ली-110017	सदस्य

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, सामुदायिक केन्द्र (दिल्ली नगर निगम) द्वितीय तल, 10788-89 झंडेवालान रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 के प्रतिनिधि

8. डॉ. एस. तंकमणि अम्मा (अध्यक्ष, केरल हिन्दी प्रचार सभा) मोनि मंदिरम, पो.ऑ. अनायारा, तिरूवनंतपुरम-695029 (केरल)	सदस्य

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य

9. श्री अनुराग चतुर्वेदी, लेखक, कवि, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता, 9, हिमालय, एन.सी.एच. कॉलोनी, कंजूर मार्ग (पश्चिम), मुम्बई-400078	सदस्य

10. श्री वेदव्यास, साहित्यकार — सदस्य
भूतपूर्व अध्यक्ष हिन्दी अकादमी,
राजस्थान साहित्य अकादमी
एवं राजस्थानी अकादमी
7/122, मालवीय नगर,
जयपुर- 302017

11. श्री गुलाब कोठारी — सदस्य
लेखक एवं प्रधान संपादक
राजस्थान पत्रिका,
केसरगढ़, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
जयपुर- 302004

12. श्री नरेंद्र शर्मा — सदस्य
तिरंगा,368,
हैरिसगंज, कैंट,
कानपुर- 208004

<u>गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य</u>

13. श्री जमालुद्दीन मोहम्मद यासीन संजर, — सदस्य
पुत्र श्री मोहम्मद यासीन संजर,
कमरा संख्या-3, सैक्टर एफ ,
ई-2 लेन, चीता कैम्प ,
ट्राम्बे, मुम्बई-400088, महाराष्ट्र
दूरभाष-09867364990)

14. श्री जोसफ चिरमाटिल, — सदस्य
एसईएस कॉलेज, श्रीकन्नदपुरम,
कन्नुर, केरल-673635
(दूरभाष: 0460-2265685,09495370084)

15. श्री अनुज भारद्वाज,
पुत्र श्री परशराम भारद्वाज,
ए-53/डी, पंचशील विहार,
मालवीय नगर,
नई दिल्ली-110017,
(दूरभाष : 09810465184,09808111157)

सरकारी सदस्य

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)

16. सचिव	सदस्य
17. संयुक्त सचिव	सदस्य

पंचायती राज मंत्रालय

18. सचिव	सदस्य
19. अपर सचिव	सदस्य
20. अपर सचिव	सदस्य
21. संयुक्त सचिव	सदस्य
22 संयुक्त सचिव	सदस्य
23. संयुक्त सचिव	सदस्य
24. निदेशक	सदस्य
25. निदेशक	सदस्य
26. उप सचिव	सदस्य
27. उप सचिव	सदस्य
28. संयुक्त निदेशक	सदस्य
29. आर्थिक सलाहकार	सदस्य सचिव

कार्यक्षेत्र

2. समिति का कार्य केन्द्रीय हिन्दी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों को पंचायती राज मंत्रालय में कार्यान्वित करवाने के बारे में सलाह देना होगा।

कार्यकाल

3. समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अधीन सामान्यत: तीन वर्ष का होगा, किंतु:-

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं होंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर बने रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।

(ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्याग पत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होंगे।

मुख्यालय

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

5. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या-II/20034/04/2005 रा.भा. (नीति-2) दिनांक 03 फरवरी,2006 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिंदी

सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर-सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं, अत: यात्रा/दैनिक भत्ता प्रावधान को अधिक स्पष्ट करते हुए निम्न प्रावधान किया जाता है:-

(क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन में संख्या-II/20034/04/86-रा.भा. (नीति-2) निहित दिशा निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सदस्यों ,सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय ,योजना आयोग ,भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ,महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, निर्वाचन आयोग ,संघ लोक सेवा आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अवतार सिंह सहोता
आर्थिक सलाहकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110115, दिनांक 30 नवम्बर 2011

सं. एफ. 3-14/2011-यू. 3--यत: भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् की गत परिषद् 26 सितम्बर, 2008 को गठित की गई थी, परिषद् की अवधि के 25 सितम्बर, 2011 को समाप्त होने पर, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, 1972 के नियम 3 के अधीन भारत सरकार ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् का निम्नलिखित सदस्यों के साथ संकल्प की तारीख की अवधि या पुनर्गठित परिषद् की प्रथम बैठक की तारीख से, जो भी पहले हो, पुनर्गठन करने का संकल्प पारित किया है :--

I. प्रो. बासुदेव चटर्जी — प्रो. बासुदेव चटर्जी ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष का कार्यभार 20.05.2011 से तीन वर्षों की अवधि के लिए संभाल लिया है ।

II. अठारह इतिहासकारों को भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है :--

(i) प्रो. इक्तीदार आलम खान, तबन कॉलेज, 4/758, फ्रेण्ड्स कॉलोनी, दोधपुर, अलीगढ़-202002

(ii) प्रो. एम. एल. के. मूर्ति, 408, सुनैना आवर, एयर लाइन्स कॉलोनी, बापूजी नगर, न्यू बोवनपाली, सिकन्दराबाद-500011

(iii) प्रो. मरियम डोस्सल अल-डोस्सल, द्वितीय मंजिल, 50, पाली रोड, बान्द्रा (पश्चिमी), मुम्बई-400050

(iv) प्रो. हरिशंकर वासुदेवन, 5, अशरफ मिस्ट्रीलेन (लवलॉक स्ट्रीट, बालीगुंगे मिमिट्री कैंप), कोलकाता-700019

(v) प्रो. डी. नाथ, इतिहास विभाग, डिब्रूगढ विश्वविद्यालय, असम

(vi) प्रो. बी. सुरेन्द्र राव, अमृतावर्षिणी असैगोली, कोनाजे, मंगलागंगोत्री-574199, कर्नाटक

(vii) प्रो. बी. डी. चट्टोपाध्याय, 48, लारेंस स्ट्रीट, उत्तर पाड़ा,, जिला-हुगली-712259

(viii) प्रो. नारायणी गुप्ता, ई-75, मस्जिद मोठ (ग्रेटर कैलाश-3), नई दिल्ली-110048

(ix) प्रो. टी. आर. घोबल, इतिहास विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, सान्ताक्रुज (पूर्वी), मुम्बई-98

(x) प्रो. सुरंजन दास, कुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता-700073 (पश्चिम बंगाल)

(xi) प्रो. एन. राजेन्द्रन, डीन ऑफ आर्ट्स तथा प्रो. और अध्यक्ष, इतिहास विभाग, भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली-24

(xii) प्रो. ए. सत्यनारायन, अध्यक्ष, इतिहास विभाग, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

(xiii) प्रो. ओंकार प्रसाद जायसवाल, मैत्री शान्ति भवन, हाऊस नं. 6, बी. एम. दास, खजांची रोड, पटना-800004

(xiv) प्रो. एफ. ए. कादरी, इतिहास विभाग, उमसिंग मकिनोह, नेहू, शिलांग-793022

(xv) प्रो. एस. एन. दूबे, सेवानिवृत्त इतिहास प्रोफेसर, 28, विजय नगर, गौरव टॉवर के सामने, ज्ञान विहार स्कूल के पीछे, मालवीया नगर, जयपुर-302017

(xvi) प्रो. बी. पी. साहू, इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, समाज विज्ञान भवन, दिल्ली-11007

(xvii) प्रो. आदित्य मुखर्जी, ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067

(xviii) प्रो. राजन गुरूकल, कुलपति महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोटयम,

III. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के प्रतिनिधि

IV. महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली-110001

V. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली-110001

VI. चार व्यक्ति भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे :--

(i) सचिव (उच्चतर शिक्षा), उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

(ii) सचिव (संस्कृति), संस्कृति विभाग, संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

(iii) वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

(iv) निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, मार्फत भारतीय संग्रहालय, 27, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता-700016

(v) सदस्य सचिव, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001

आदेश

एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर. पी. सिसोदिया

संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 30th November 2011

No. 135-Pres/2011—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 92-Pres/2008 dated 15th August, 2008 published in part-I Section-1 of the Gazette of India on 11th October, 2008 relating to the award of Police Medal for Meritorious Service :—

Page No. 54 of the Notification

For :

Shri Satbir Singh
Inspector
DMW/Patna
M/o Railways

Read :

Shri Satbir Singh
Inspector
DMW/Patiala
M/o Railways

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 136-Pres/2011—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police :—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

1. G Ramamohan Rao,
   Sub Inspector
2. K. Sudhakara Chary,
   Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Shri G. Ramamohan Rao, O/s SI and Shri K. Sudhakara Chary, HC of Andhra Pradesh Police, SIB got credible information that Solipeta Kondal Reddy @ Tech Ramana, State Committee Member of CPI (Maoist) alongwith Platoon is moving in Bandala forest of Tadvai PS limits and planned an operation, left Tadvai alongwith District Special Party on 11.03.2010 and reached Dabbathoguvagu at 03.00 AM on 12.03.2010. Shri G Ramamohan Rao, SI and Shri K. Sudhakara Chary, HC carefully led the special party to the top of "Durgangutta" hillock and found some suspicious movements on the corner of a hill top. When Shri G Ramamohan Rao noticed a Maoist sentry, the local SI disclosed their identity and warned them to surrender. Not taking the plea, the Maoist sentry and their cadres started firing with an intention to kill police. The Police party took cover behind trees and boulders to escape firing.

At that movement, Shri G Ramamohan Rao, O/s SI and K. Sudhakara Chary, HC noticed a Maoist firing with an AK-47 Rifle and surrounded with an armed cadres. Shri G Ramamohan Rao identified him as Tech Ramana. Both the Police team jumped out from their covers without caring the safety and security of life and started burst firing over the Maoists who were pouring bullets and making a fierce attack on them. The action of the police team was almost a suicidal bid. Shri G Ramamohan Rao narrowly escaped from bullets fired by the Maoists. Couple of bullets just missed the neck of Shri K. Sudharkara Chary, HC. The exchange of fire lasted for minutes.

After the encounter Solipea Kondal Reddy @ Tech Ramana, State Committee Member of CPI (Maoist) was found dead. In this exchange of fire, the Police party seized Rifle AK-47 : 01, Magazine of Rifle AK-47 : 01, Kit Bags etc. : 02 Nos. from the site of encounter. After the exchange of fire on 12.03.2010, the police party searched the kit bags of the deceased and found the address of Door No. 4-1, Padiparru Village, Tanuku Mandal of West Godavari Distt. Bases on this clue, Shri G. Ramamohan Rao, SI and Shri K. Sudhakara Chary, HC alongwith Inspector of Police Bhupalapalli and Staff of Warangal District went to the said Village, caused searches and found the spare parts meant for assembling 1000 grenades and 6 rocket launchers/motors. This is the subject matter of Cr. No. 27/2010 of Tadvai PS.

In this encounter S/Shri G Ramamohan Rao, Sub Inspector and K. Sudhakara Chary, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.03.2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 137–Pres/2011- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Lumet Turung, (Posthumously)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 04.01.2010 at about 9.30 hrs a Police Party consisting of 08 (eight) STF personnel namely (1) Constable Sunil Nath (2) Constable Anjan Sen (3) Constable Ashit Roy (4) Constable Raj Kumar Mili (5) Constable Rinumoni Borah (6) Constable Lumet Turung (7) Constable Rantu Khangia (8) Constable Biswajit Konwar and ASI Khitish Borah of Mahur PS led by SI(UB) Moheshwar Bey, O/c Mahur PS went to Laisung area in two vehicles bearing Regn. No. AS-30-2277 (Gypsy) and AS/01/BE-4218 (407 Truck) for duty. After completion of duty the police party left Laisung for Mahur PS. The first vehicle bearing Regn. No. AS-30/2277 (Gypsy)carrying O/C Mahur PS and four STF personnel and the second vehicle bearing Regn. No. AS-01 BE-4218 (407 Truck) carrying ASI Khitish Borah with four STF personnel were returning in a convoy. At about 1.30 PM. when the Police party reached a place in between Purana Leikul and Hindu Impoi Basti on Mahur Laisung PWD Road at distance of about 17 KM east from Mahur PS at a sharp bend on the road, a group of suspected armed NSCN extremists resorted to heavy firing from a dominating spot on the Police vehicle amidst jungle with a view to kill the Police personnel as well as to loot their arms and ammunition. Immediately, the alert Police personnel retaliated the fire with their issued arms, The encounter lasted for about a short time, but the extremists managed to flee away from the spot taking advantage of the dominating hostile feature.

Constable Lumet Tarung immediately faced the situation and showed outstanding courage and immediately fired 56 rounds from his Insas Rifle to save the Police Party and arms/ammunition etc. Due to prompt and extra ordinary valiant act. of Constable Lumet Tarung lives of the Police personnel were saved and there was no looting of arms/ammunition etc. The extremist could not over come the police force in spite of their position in dominating position and fled away. Constable Lumet Turung fought till his life and died on the spot. During the encounter four Nos. of empty fired cases of AK Series ammunition have been recovered from the site of operation.

In this connection with the above incident a case vide Mahur PS case 01/2010 U/s 120(B)/121(A)/122/302/353/307 IPC R/W Sec.27 Arms Act & R/W Sec.10/13 UA (P) Act was registered on a compliant lodged by SI (UB) Moheswar Bey, O/C Mahur PS.

In this encounter (Late) Shri Lumet Turung, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04.01.2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 138–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Bihar Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Sanjeev Kumar,
Sub Inspector

02. Nagendra Ram,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 16th November, 2008 in the area of village Rasoolpur, P.S. Shikarganj once again the naxals made the innocent villagers their target. Naxal activities had been on the rise in the district and they struck once again by killing four members of a family and looting the house of the victim. To strike terror in the heart of the villagers the naxals gutted down a tractor and a motorcycle belonging to the diseased and burned down the entire house by planting explosive. On receiving the information of the nefarious activities of the naxals the concerned authorities sealed the district, not allowing the naxals to move out of the area as all officials were put on high alert. This forced the naxals to take shelter in village Mathia Malahi Tola in Madhubani Ghat with their looted booty. The information concerning the movement of the M.C.C extremists numbering more than 50 was received in police station Muffasil, Mothihari. Flinging into swift action S.I Sanjeev Kumar (SHO Muffasil P.S) along with a section of the CRPF departed for the village Mathia Malahi Tola in Madhubani Ghat for the purpose of testing the veracity of the information received and for taking appropriate action. On reaching the village Mathia Malahi Tola in Madhubani Ghat the police team was confronted with an intensive attack from the naxals. Heavy exchange of firing took place between the two parties. Under these testing circumstances S.I. Sanjeev Kumar, acting with utmost patience and bravery led his team from the front to face the attack with courage and sensibility. He requested the then S.P. Motihari Mr. N.H. Khan for reinforcement. While facing a risk to their life S.I. Sanjeev Kumar assisted by Constable Nagendra Ram along with his men demonstrated supreme dedication towards their duty, a combative sprit and an indomitable courage to take on the offenders. Situation was tense, but the men in uniform did not panic and broke the confidence of the naxals by their valour and will

to fight till the end. In the gun battle that ensued between the two parties, two of the naxals were killed on the spot. However, seeing the quantity of blood found at different locations in the site it could be gauged that more than two naxals could have been shot but taking advantage of the darkness the wounded and the dead were removed from the site by the naxal party. Heavy casualties were inflicted on the Naxal party by the valiant officers. The police team also seized huge quantity of following looted valuables, arms and ammunitions:-

(i) One Police Rifle .303 4 Mark 1 Arsel No.50L0345 (ii) 36 Cartridges of .303 live (iii) 19 Pcs Blank Cartridges of AK 47 fired (iv) 30 Pcs Cartridges of SLR fired (v) 101 Pcs Cartridges of .303 fired (vi) Kenwood Hand Wireless set (vii) Motorola Walky-Talky Set (viii) Timber 2 Pcs. (ix) Detonator with fudge wire (x) Bindolia (xi) Electric Bed switch use in time Bomb (xii) Green Army Dress (xiii) Two Radio (xiv) All looted articles from Village Rasoolpur P.S. Sikarganj (xv) Huge quantity of naxal literature and documents related to the name of extremist and their weapon and another related valuable documents.

In this encounter S/Shri Sanjeev Kumar, Sub Inspector and Nagendra Ram, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.11.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 139–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Bihar Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**Vivekanand,** **SDPO**	**(1st Bar to PMG)**
02.	**Ramakant Prasad,** **Inspector**	**(PMG)**
03.	**Nikhil Kumar,** **Sub Inspector**	**(PMG)**
04.	**Dipak Kumar Singh,** **Constable**	**(PMG)**
05.	**Randhir Kumar Singh,** **Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On receipt of a secret information on 31.07.2007 at about 11.30 P.M. that 2 kidnapped persons namely businessman Bishwanath Garg and his driver Deepak Rai had been kept secretly at Ashok Nagar under Kakarbagh P.S. in the house of Dr. Chandra Bhushan Mishra, Police Inspector Ramakant Prasad swung into action immediately and passed this information to Shri Vivekanand S.D.P.O. Sadar, Patna who rose to the occasion. The raiding party was organized with the available force in no time. The S.H.O. of Patrakar Nagar and Kadamkuan Police Station were also directed to come forward for assistance. The Police personnel of Jamshedpur camping at Patna were also informed about the development. The Police Party under the leadership of Shri Vivekanand S.D.P.O. and Inspector Ramakant Prasad proceeded to the targeted place. It reached Ashok Nagar at 00.30 hrs. at night and spotted the house in question. In the meantime Inspector Kadamkuan and S.I. of Patrakar Nagar P.S. also reached. The S.D.P.O. outlined a meticulous plan for raid after the adopting all security measures. The house in question was encircled. Inspector Ramakant Prasad disclosing his identity, knocked at the door of the house asking the inmates to open the door. At this, juncture stampede was audible from the upstairs followed by some fire shots from the roof top. Warnings were given but each warning was greeted by a fresh firing. The door was opened with a push blow.

Together along with Inspector Ajay Kumar Singh, S.I. Nikhil Kumar, and 03 Constables they entered into the house where they undertook a grave risk to their lives as there was possibility of causalities. The police team did not lose patience and exhibited an exemplary courage to face the challenge even in a precarious position with the spirit of self sacrifice. On entering the house, 2 persons were found in a room. Their hands and legs were tied up. They disclosed their names as Bishwanath Garg and Deepak Rai who were kidnapped from Jharkhand State for ransom. They further disclosed that kidnappers who were guarding them had stepped to the roof of the house with arms. Both kidnapped persons were rescued safely and unhurt. In the mean time the police personnel of Jamshedpur came and were directed to take care of kidnapped persons. In order to arrest the kidnappers Shri Vivekanand, SDPO, Shri Ramakand Prasad, Inspect along with S.I Nikhil Kumar with 2 other constables tried to hurry up to the roof but no sooner did they stepped on the stairs they were hissed past by a bullet and luckily the S.D.P.O. had a providential escape. However, they succeeded in climbing to the roof and saw 2 of the kidnappers jumping over another roof on the left and 3 others running to another roof on the right. The gangsters opened the fire again. Finding in a critical position with no alternative in defence of self so as to save the lives of police party and safe-guard of arms, the police team opened fire in return. While coming down to the ground floor Inspector Prasad and other officers escaped narrowly from a virtual death when one of the gangsters opened fired at them from a narrow strip between 2 walls. The Police party headed by Inspector Prasad opened fire hitting 1 gangster who fell down below in a pool of water. Inspector Prasad taking all precautionary measures caught hold of 2 gangsters and the S.D.P.O. and Const. Deepak Kumar Singh also apprehended 2 gangsters from the first floor. Later it was ascertained that the gangsters who had fallen down in pool of water was dead namely Babua Jaiswal.

The name of arrested gangsters and dead gangster was later disclosed as Birendra Paswan of Vaishali 2. Rajiva Rajan Shah of Vaishali. 3. Birendra Singh of Vaishali 4. Jaffar Ali of Jamui and the dead body to be of Babua Jaiswal of Burdwan (W.B.)

The gang had obtained ransom of rupees Fifty lakh from Shri Bholotiya – owner of Bholotiya group of industries Jamshedpur, rupees Fifty lakh from Ramesh Chourasiya of Hajipur, rupees ten lakh from Raju Miyan Washarwala of Hajipur to mention a few. The instant case involved Bishwanash Garg- another industrialist from Jamshedpur (Jharkhand) and his driver. No doubt, their terror terrain ran from entire Bihar to Jharkhand.

In this deadly encounter the gangsters opened fire about 1520 rounds whereas the raiding party, in all fired 7 rounds from their respective weapons. Of them SDPO Vivekanand and SHO Ramakant Prasad fired 2 rounds each while S.I.Nikhil Kumar opened 1 round and Constable Randhir Kumar 2 rounds as directed. The police party under the dynamic leadership of the Vivekanand, S.D.P.O. not only got over the critical situation in the midst of fire but also succeeded in rescuing 2 kidnapped

persons quite safely and recovering huge cache of arms including one carbine, one revolver, two country made pistol and cartridges besides 4 mobiles and one motorcycle.

The above incident amply demonstrates that at an enormous risk to their life and in trying circumstances they rose to the occasion and went beyond the call of normal police duty demonstrating leadership qualities par excellence, conspicuous gallantry and a spirit of "Do or die" at the alter of duty.

In this encounter S/Shri Vivekanand, SDPO, Ramakant Prasad, Inspector, Nikhil Kumar, Sub Inspector, Dipak Kumar Singh, Constable and Randhir Kumar Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30.07.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 140–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Chhattisgarh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sukku Ram Nureti,
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 29/01/2010, SP Narayanpur Shri Rahul Bhagat received information that naxalites were conducting a public meeting of villagers between the forest of Remawand and Nayanar. Acting swiftly on the input he planned an operation and it was launched from camp Nelwad under his leadership. As the police party reached near the operational area, it was divided into two parts, one party led by Shri Rahul Bhagat himself and the other by Company Commander Love Kumar Bhagat. Shri Rahul Bhagat decided to attack with his party and the other party was to cordon off the area. As the first party approached towards the operational areas, naxalite sentries noticed movement of police party and started firing indiscriminately with automatic weapons. Police party also started firing in self defense. Naxalites were occupying dominating positions and firing indiscriminately on police party and thus the lives of entire police party were in danger. At this crucial juncture Shri Rahul Bhagat along ASI Shri Sukku Ram Nureti, without caring for their life, and putting their own life in grave danger started tactically moving up hill towards the naxalite's position and directed the rest of the party to fire from the other side. After reaching closer to naxalites Shri Rahul Bhagat and ASI Shri Sukku Ram Nureti fired rapidly from their automatic rifles. They showed courage, therefore with the burst fire shri Bhagat was able to hit 3-4 naxalites who immediately fell down. The prompt and fearless reply from Shri Rahul Bhagat and ASI Shri Sukku Ram Nureti caused panic amongst naxalites and they started running away. Police party also chased them in the meantime Shri Nureti also fired and hit another one naxalite. While fleeing the naxalites dragged few dead/injured bodies which were evident from the blood stains and dragging marks on the spot. After the firing was stopped, police party searched the area and recovered two IEDs of 20 kg each, which were diffused by ASI Shri Sukku Ram Nureti on the spot. Police party also recovered one dead body of an unidentified naxalite along with one 315 bore country made pistol with 7 live rounds, one loaded ML gun, two IEDs of ten kg each, two bundles wire, two detonator and two hand grenades, five live cartridges and 28 empties of AK 47, three live cartridges and fifteen empties of SLR, one flash gun and naxalites literature, etc.

In this encounter Shri Sukku Ram Nureti, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29.01.2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 141–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu and Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Tahir Saleem Khan
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On March, 24, 2009 Shri Tahir Saleem Khan Dy.SP (Ops) Handwara received a specific information regarding presence of a dreaded terrorist namely code name Asgar Rehman r/o Pak of LT outfit in a residential house of Mohd Younis Khan S/o Abdul Rehman Khan r/o Shaldori Vilgam. Police Handwara with the assistance of 01 PARA and 06 RR launched the operation. The Dy. SP quickly prepared a police team and divided it into three splinter groups under his supervision. He along with a small police party moved towards the target house where the terrorists had held 9 family members as hostage. As soon as he and his team started evacuating the family members, the terrorists resorted to indiscriminate firing but the police party managed to safely evacuate the family members from the target house. After this, the terrorist was asked to surrender which he refused and fired indiscriminately on the police. The Dy.SP and his party managed to save themselves from the abrupt attack of terrorist and retaliated. The encounter continued for hours, as the terrorist was holding a huge quantity of ammunition. Dy. SP Tahir Saleem Khan volunteered himself and moved towards the house in a fire retaliatory exercise with great valour and managed to reach inside the house where he launched a massive assault on the terrorist with which the terrorist lost his will power and was neutralized on the spot.

The said terrorist was active in the area of Rajwar and Ramhal for a very long time and had created a reign of terror among the people and mainstream political workers of the area. The public lauded the role of Police Handwara in the operation in general and of the Dy. SP in particular.

The following Arms and Ammunitions were recovered from the site of encounter:-

1. Rifle AK- 47 01 No.
2. AK Magazine- 04 Nos.
3. AK rounds 20 Nos.
4. Pouch 01 No.

In this encounter Shri Tahir Saleem Khan, Dy. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24.03.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 142–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu and Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Mohammad Anwar-Ul-Haq, Deputy Superintendent of Police

02. Nissar Ahmed, Follower

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 26.10.2009, a specific information was developed by Police Pulwama regarding presence of 03 dreaded terrorists of HM outfit including their Div. Commander in a hideout situated in open bushy area of Village- Shalidar Naserpora. On this information, a team led by Sh.Mohammad Aslam, ASP (Ops) Pulwama alongwith Sh. Anwar-ul-Haq, Dy.SP (Ops) Pulwama and a party of 1st PARA rushed to the said village and cordoned the target hideout. Terrorists present in the hideout were challenged to surrender but they started indiscriminate firing followed by grenade lobbing on the operation party. Two Police teams, one under the command of ASP (Ops) Pulwama, Sh. Mohammad Aslam, and the other under the command of Dy.SP (Ops) Pulwama, Shri Mohammad Anwar-ul-Haq were constituted to stop the terrorists from escaping from the spot. In the meanwhile, nearby army unit of 44 RR also reached the spot and joined the operation. While the encounter was going on, one of the holdup terrorists, who was later on identified as Abbas Bhat @ Saqib-ul-Islam Divisional commander HM was spotted near the hideout when he was crawling under the cover of bushes in an attempt to break the cordon. Shri Anwar-ul-Haq Dy. SP (Ops). Pulwama alongwith Const. Mushtaq Ahmad swiftly fired upon him from a close range resulting in his elimination. The other two terrorists who were also trying to sneak through bushes were neutralized by another team led by Shri Mohammad Aslam, ASP (Ops). Pulwama assisted by Const. Mushtaq Ahmed and Foll. Nisar Ahmed. Arms and ammunition was also recovered from the spot. In this regard, case FIR No. 366/09 stands registered in Police Station Shopian. The killed terrorists were later-on identified as:-

(i) Abbass Bhat @ Saqib ul Islam (Divisional Commander HM) "A" category S/o Nazir Bhat R/O Shoran Gandoo Distt. Doda.

(ii) Riyaz Paswal @ Shahbaz (Bn. Commander HM) "A" category S/O Ganga Paswal R/O Shalidar Distt. Shopian

(iii) Ishfaq Bhatt @ Adnan S/O Ali Mohammad Bhat R/O Akhal Rajpora Pulwama.

The killing of the above three terrorists, especially Saqib-ul-Islam Div. Commander (the person behind the establishment of HM base in valley), is a big blow to HM outfit as the dreaded terrorist was involved in number of killings, fidayeen/grenade throwing/extortions/atrocities on civilians/weapon snatching fresh recruitment/motivation etc. The following arms/ammunitions and other article were recovered from the site of encounter:-

i)	AK-56 rifle	:	01 No.
ii)	AK 47 rifle	:	01 No.
iii)	AK 74 rifle	:	01 No.
iv)	Pouches	:	03 nos.
v)	Mags AK	:	14 Nos.
vi)	Ammunition AK	:	326 Rds
vii)	Pistol Chinese	:	01 No.
viii)	Pistol Magazine	:	01 No.
ix)	Pistol Amn.	:	02 Nos.
x)	Radio Set (ALINCO)		01 NO.
xi)	FM Transistor	:	01 No.
xii)	Mobile Phone	:	01 Nos.
xiii)	Mobile SIM	:	04 Nos.
xiv)	Satellite Phone	:	01 No.
xv)	Mobile Charger	:	01 No.
xvi)	Indian Currency	:	Rs. 14800/-

In this encounter S/Shri Mohammad Anwar-Ul-Haq, Dy. Superintendent of Police and Nissar Ahmed, Follower displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26.10.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 143–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu and Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Gurmeet Singh,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 08.05.2009 during evening hrs. an information was received that LeT Div Commander (Pak) Mohd Iashaq (Salamtullah) code Abu Sumama S/O Mohd Arashd R/O Saiwal Punjab alongwith local terrorist Barket Ali Code Yasir S/O Abdul Jabar Naik R/o Chitreen, has entered in village Difa-Dhar Dashman with the intention to kill some civilians. On this, an operation was planned & launched by Shri Prabhat Singh, SSP Doda assisted by Dy SP Hqrs Doda to neutralize the terrorists. A cordon of the village was laid by the Police and CRPF/Army. The approaching troops were fired upon heavily by the hiding terrorists with lethal weapons, which was retaliated effectively by the Police contingent and fierce encounter ensued. When Police Party reached near particular hideout, the terrorists fired heavily on the Police Party and lobbed 2-3 hand grenades. It was a miraculous escape for Police Personnel. Police Party took the positions to neutralize the terrorists. SSP Doda Shri Prabhat Singh immediately divided the Police party into five different groups. First and foremost duty before the SSP was to save the inmates who were kept hostages by the terrorists. The terrorists were warned to surrender and release the hostages, but instead they started indiscriminate firing on the police party. After heavy exchange of fire and lobbing of grenades/smoke grenades, SSP Doda managed to evacuate the inmates and subsequently a massive attack was launched. Terrorists were again challenged to surrender but instead they opened heavy fire with AK guns and lobbed 02 grenades upon the advance party led by the SSP Doda. In the process, the house caught fire and the terrorists jumped out from the hideout and made serious attempts to kill Shri Prabhat Singh, SSP but the officer retaliated the fire from close range and killed one terrorist. In the meantime, HC Gurmeet Singh crawled towards the place from where regular firing was made by the second terrorist and killed him on spot.

In this encounter Shri Gurmeet Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09.05.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 144–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu and Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Niyaz Ahmad Mir,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 08.10.2009, acting on a reliable information regarding presence of a foreign terrorist of HM outfit namely Zaffar Ahmed Maviya @ Umer Maviya at village: Gusoo in the house of one Jehangir Ahmed Ganai S/O Mohd Abdullah Ganai, a close associate (OGW) of Umer Maviya, planning a Fidayeen attack at some unknown place, Police party of SOG Pulwama rushed to the spot and cordoned the said village. In the meanwhile, troops of 53 RR, 31 CIU, 182 Bn, CRPF and 183 Bn CRPF also joined the operation. During search operations, the above said terrorist fired upon searching party from the house of said OGW. As soon as the police party reached near the identified house, the said terrorist, took out a grenade with the intention to throw it on the Police party. In the meanwhile, the OGW and the terrorist jumped out through the window. However, the operation party, stationed outside, especially SI Mir Niyaz, Sg Ct Fayaz Ahmed and SPO Aijaz Ahmad without caring for their personal lives tried to apprehend the said terrorist alive, but the terrorist fired indiscriminately upon them. The police party kept their nerves and retaliated the fire with the result the said terrorist got killed. After taking all the precautions, in view of his preparations for Fidayeen attach, Bomb Disposal Squad and other experts were put on work from a reasonable distance. The RDX which was tied around the body of the terrorist in the pouches were burnt. Thereafter 01 AK Rifle, 02 AK Magazines, 16 Rounds, 02 Grenades, about 25-30 Kgs. RDX (destroyed on spot), 01 Dry Battery with wire and 01 (Nokia 1100) Mobile Phone were recovered. The killed terrorist was involved in a number of civilian killings. His killing was a big blow to HM outfit and a great achievement for police.

In this encounter Shri Niyaz Ahmad Mir, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08.10.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 145–Pres/2011- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu and Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Shiv Krishan
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 18.04.2009, on a specific information regarding presence of terrorists in the house of one Abdul Samad R/O Bagla Bharat, Tehsil- Doda, cordon and search operation of the area was launched by operation Group Doda led by SI Shiv Krishan. The terrorists were asked to surrender but instead started indiscriminate firing from inside the house, which was retaliated effectively and the area was completely cordoned off to minimize chances of escape of terrorists. The terrorists were kept engaged and police parties were fanned out in two to three groups in the inner cordon. One of the parties was led by SI Shiv Krishan from the front of dwelling house and another party was led by HC Gurmeet Singh who covered all doors and windows from rear side of the house and made the escape of the terrorists impossible from the side. The encounter continued for hours but success remained elusive. SI Shiv Krishan, reached near the door from where the terrorists were firing, lobbed grenade and fired volley of bullets from his service weapon towards the terrorists, as a result of which two dreaded terrorists, namely Nissar Ahmed Malik code Shahbaz S/O Ghulam Haider Malik R/O Bagla Bharat Tehsil Doda grade-C Let Outfit and Mohd Rafi code Abu Khobeeb S/O Ghulam Hussain Gujjar R/O Nagni Gad Keshwan Kishtwar grade "A" Let, got killed, whereas one OGW lady namely, Zahida Banoo D/O Abdul Samid R/O Bagla Bharat who was with the terrorists also got injured and later succumbed to injuries in District Hospital Doda. The successful operation culminated at high note without suffering own loss and this was made possible only due to the conspicuous gallantry work of SI Shiv Krishan and HC Gurmeet Singh. Both the slain terrorists were active in Bharat/Keshwan area since 2007 and had been affiliated with banned Let outfit. They were involved in a number of militancy related actions. The following Arms/Ammunition were recovered from the slain terrorist:-

1.	Rifle AK	-	02 Nos.
2.	AK Magazines	-	03 Nos.
3.	H/Grenade	-	01 No.

In this encounter Shri Shiv Krishan, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18.04.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 146–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri
01. Bhagirath Kumar, Constable
02. Amin Oraon, Constable
03. Shipriyanus Khalkho, Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

A tip of information was received by the Superintendent of Police , Palanau during crime meeting in Headquarter on 11.01.2008 at about 1330 hrs, against the CPI (Maoist) armed squad concentrated for dreaded action nearby Banalat forest area falling under Chainpur Police Station.

S/Shri Bhagirath Kumar, CT, Amin Oraon, CT and Shipriyanus Khalkho, CT along with Armed force and CRPF, 13 Bn immediately proceeded and approached the area at about 1600 hrs. Viewing to taking large numbered Maoist Armed Squad inspite of existing difficult surrounding hills rugged terrain and thick vegetation. Meanwhile the Maoists armed with deadly weapons were seen coming who on seeing the force opened fire and poured the rain of bullets targeting to kill but S/Shri Bhagirath Kumar, CT, Amin Oraon, CT and Shipriyanus Khalkho, CT giving co-operation to each other and maintaining care, foresight and professional skill directed the force to heavily retailalte in order to save lives and Govt. weapons. The firing was opened to smash the armed and active Maoist resulting the high headed Maoist's morale got shattered consequently the armed Maoist began to turn back taking help of darkness, rugged terrain and dense forest but continuing firing against force in few intervals or sometimes heavily. During such tough encounter and under jaws of extreme danger, S/Shri Bhagirath Kumar, CT, Amin Oraon, CT, Shipriyanus Khalkho, CT and CRPF crawled and chased to cover the extremists when several names of Maoist and cry of injury outlaws were heard.

Shri Suresh Prasad with the police party could success in compelling the outfit (Maoist) to retreat far across the area under fear and being defeated leaving behind their three dead members (later on identified) besides arms, cartridges, numerous naxal articles, cash amount, Uniform, Literature which were seized in the morning of 12.01.2008 during search and accordingly seizure lists were prepared, three dead outlawas were also identified.

S/Shri Suresh Kumar, Bhagirath Kumar, Amin Oraon and Shipriyanus Khalkho taking risk of their lives won over the Maoist with sophisticated Arms by way of hitting badly to the vanguard of the extremists which is mile stone for other policemen. The gallant action, leadership quality facing the gun battle Suresh Prasad, Bhagirath, Amin Oraon and Shiprayanush Khalkho have certainly proved their outstanding integrity.

In this encounter S/Shri Bhagirath Kumar, Constable, Amin Oraon, Constable and Shipriyanus Khalkho, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.01.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 147–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Pankaj Kamboj,
Superintendent of Police

02. Rambriksha Ram,
Constable

03. Binay Kumar,
Constable

04. Rana Jangbahadur Singh,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

A secret information was received by S.I. Anwar Ali Khan, O/C, Chauparan P.S. about the one full dasta of banned M.C.C.I-1(CPI Mao) extremist 40-50 in number under the leadership of Koleshwari zone sub-zonal commander Indal Jee with his area commander Sahdeo Yadav and others reached vill- Jamuniatari towards vill-Chapi (Barachati P.S., Distt- Gaya), vill-Mornia, Duragarha, Dodia for collecting levy from contractors of Bidi Patta. On getting this information O/C Chauparan P.S. intimated to S.P. Hazaribag. Pankaj Kamboj, SP, Hazaribag arrived at Chaouparan O.S. with his bodyguards namely Rambriksh Ram, Binay Kumar and Rana Jangbahadur Singh to verify and to take action about the information. For verification and action S.P. Hazaribag Pankaj Kamboj under his leadership constituted a team comprising Inspector CRPF S.C. Kasana, CRPF SI Bibhyan Das, SI Anwar Ali Khan, O.C. Chauparan P.S. and bodyguard/Constables of district police, JAP and CRPF. After briefing by S.P. Hazaribag in Chauparan PS, the whole team moved about 1600 hrs by vehicle and reached the border of vill- Jamuniatari towards Dodia. All vehicles returned back and the team moved inside the Jamuniatari according to the plan/direction decided by SP, Hazaribag. The whole team divided into two sub-team. While both team moved beside of Vill-Jamuniatari with proper precaution. About 40-50 M.C.C.I. extremists with prohibited arms and military uniforms were organizing a meeting. During movement of both Police parties besides

of village - Jamuniatari, extremist saw the police, naxal got alerted and they started firing, targeting Police party led by SP, Hazaribag. Seeing their life in danger, SP. Hazaribag Pankaj Kamboj ordered for firing in retaliation and warned naxals to stop the firing but naxal were firing indiscriminately. In this critical situation, Pankaj Kamboj, SP Hazaribag, SI Anwar Ali Khan, O/C Chauparan PS, Inspector CRPF-22 D Coy, S.C. Kasana and SI Bibhan Das boldly, under the extreme call of duty to nation moved forward in stealthy manner along with brave body guards Rambriksh Ram, Binay Kumar and Rana Jangbahadur Singh continued their firing aiming the naxal's. The brave officers fired from their A.K. 47 rifle/pistol/revolver along with giving direction to Constables to fire in a control way. After approx 02-03 hrs the naxals stopped the firing. While firing was stopped by extremists immediately firing was stopped by police side and after watching for few minutes of any naxal activities with full precaution joint team moved forward on the escaping site of extremists and started cordon and search. During search two dead bodies of naxal's youth were found. In the whole operation, arms and ammunition and other naxal's materials were recovered in huge quantity as. .315 Rifle (Regular)-01, Cartridges.315 bore-28 round, .303 bore-49 round, 09 MM-06 round, Bindolia-02, Charger-01, Naxal Literature in huge quantity, Black side part (Greek) of SLR rifle-01, Satu (Kind of meal) -03 packet, Bed Sheet-01 (green colour), Cap-02, Belt-01 (Black colour), Bag-01 (Style bag, black colour), bag-01 (orange colour), Bag-1 (blue colour), Vessel code-02 (blue colour), Detonator with fuse wire, Fine-90(oil of rifle cleaning)-01, C.D. Cassettee-02, Battery set Charger-01, Fullpant (old and soiled colour)-01 peach, Shirt(old and sky colour)-01.

In this encounter S/Shri Pankaj Kamboj, Superintendent of Police, Rambriksha Ram, Constable, Binay Kumar, Constable and Rana Jangbahadur Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24.05.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 148–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Anuranjan Kispotta,
Deputy Superintendent of Police

02. Jay Prakash Singh,
Sub Inspector

03. Rajendra Kumar Dubey,
Sub Inspector

04. Anil Kumar Singh,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 21.04.07, on receiving information regarding extremist activities in the area, SI Lalit Kumar and SI Jai Prakash Singh proceeded along with 42 police personnel of I.R. Bn and STF while doing long range patrol going from village to village collecting information they came to know that a group of extremists are staying at village Chandali. In order to verify the information, by crossing mountain and jungle on foot when they reached the periphery of village Chandali suddenly they were fired upon. Realising the situation, immediately SI Lalit Kumar, displaying quick presence of mind, asked his police party to take position and make intermittent counter firing, simultaneously informing his superiors on phone about the situation requesting for reinforcements. He further along with SI Jai Prakash Singh, as per instructions on the telephone, while awaiting reinforcement, dispersed his police party and cordoned the entire village as it was abundantly clear that extremists were in the village. In the meanwhile on receipt of the information of SI Lalit Kumar, DY.SP (HQ) Anuranjan displaying true leadership qualities immediately mustered reinforcement team of 22 constables, and along with Officer-in-charge cum Sub-Inspector, Anil Kumar Singh of Jamua Police station and O/C Muffasil P.S., SI Rajendra Kumar Dubay rushed towards village Chandali and reached there timely where after all the above officials under the leadership and able guidance of Dy.SP Anuranjan Kispotta in a disciplined and cohesive manner started closing in towards the hideout of extremists. As a result of their closing the cordon in suddenly from where the militants had started indiscriminate firing and even a grenade was lobbed.

The extremists were not only using automatic weapons but had positioned themselves in such an advantageous position on a pucca house with open field on two sides and road on the third that there were every chance of casualty and damage to the Police side. However, seeing their officers themselves fighting valiantly for their duty without fear for their lives, the entire police party got infused with extraordinary morale courage and vigor and they all together gave such a befitting reply to the offensive of the extremists that not only two of them were killed but also six of them surrendered and a large cache of sophisticated arms including a looted regular police issue 303 rifle and two automatic pistols & two desi pistol and 75 rounds of live ammunitions besides haul of extremist literature, uniforms etc and rupees thirty thousand in cash which they had levied were also recovered.

The entire fierce encounter had gone on for several hours and altogether 100-125 rounds fired upon by the extremists. In reply, the police party had fired only 97 rounds and were able to kill not only two extremists identified to be notorious Area and Assistant Area Commanders of P.L.G.A., involved in several criminal cases but also were successful in nabbing six extremists of P.L.G.A. apart from huge haul of arms and live ammunitions, extremist literature and levy money in cash of Rs. 33,000/- collected as levy by the extremists with no casualty or injury at their side.

The following Arms/ Ammunitions/ items recovered:-

i) .303 bore Police rifle Ars. No. 6/48PF22441-1No.
ii) 7.65 bore automatic pistol – 02 Nos.
iii) Desi pistol 2 Nos.
iv) .303 bore cartridges- 41 Nos.
v) 7.65 bore cartridges- 31 Nos.
vi) .315 bore cartridges- 02 Nos.
vii) .38 bore cartridge -01 No.
viii) Charger -5 Nos.,
ix) .303 bore empty cartridge- 28 Nos.
x) .315 bore cartridge- 06 Nos.
xi) Cash Rs. 33000/-
xii) Green colour Bardi 6, one PLGA Manogram attached
xiii) Black colour belt 6 Nos.
ixv) Cap (khaki colour) -06 attached PLGA monogram in one cap
xv) Bindolia -1 No.
xvi) Pistol Hollister – 01 No.
xvii) Audio cassette-02Nos., CD – 32 Nos.
xviii) Pomplate, magazine. Books, meeting details paper, levy, details paper, PLGA company drill books, naxal pad, naxal receipt book, naxal handbook, battery, Slate, bags, medicines, brush etc.

In this encounter, 01 extremist Jitu Mahto @ Shankar Da S/o Lt. Bhodhi Mahto , vill. at Tehrwasari, PS- Nawadih,Distt. Bokaro and another Kunji Mistri S/o

Sukar Mistri, vill-Nawadih Tola- Bihadurpur, PS, Dumri, Distt. Giridih infamous Area and Assistant Area Commander of North Dumri Area Committee were killed with no other casualty or injury from either side.

The aforesaid narration unquestionably demonstrates the exemplary courage, firm determination, spirit of supreme sacrifice, wit, leadership ability and mettle of the nominees and their working in full discipline cohesively as a team even in extremely adverse and difficult situation. SI Lalit Kumar after finding the hid out of extremists despite facing indiscriminate extremist firing not losing his courage and displaying exceptional presence of mind and leadership quality of highest level on one hand ordering his subordinates to take position and made slow retaliatory firing and informing his superiors immediately about the entire incident over his mobile phone also seeking reinforcements and while awaiting it asking his police party to disperse and cordon the entire village and engaging the enemy with minimal retaliatory force till its arrival and acting in disciplined professional manner obeying command of his superior officer the Dy. SP Anuranjan Kispotta on his arrival and working under his able leadership and direction to rout the extremists. SI Jai Prakash Singh, Officer-in-charge cum SI Muffasil PS Rajendra Kumar Dubey and Officer-in-charge cum SI Anil Kumar Singh of Jamua PS also displaying similar qualities and also participating actively in similar way to achieve the same objective i.e. success of operation. Dy.SP (HQ) Anuranjan Kispotta displaying true leadership quality by rushing to the place of occurrence immediately with enforcement after receiving information and timely reaching the spot thereafter taking full charge and leading the entire police team effectively and utilizing it collectively to maximum potential to achieve the end successfully with minimal force and without any casualty or injury to the police party showing exemplary courage and true leadership leading his troops in field infusing confidence and keeping moral of the entire police team in the spirit so that they vanquish the extremists successfully at the same time coordinating the entire operation so tactfully that the operation succeeds without any casualty with minimum firing. And the rest of the police party remaining disciplined, working as a team obeying the command of this superior however displayed exemplary courage and becoming ideal for rest who infused with confidence and new vigor seeing them gallantry fought and helped achieve the final end.

In this encounter S/Shri Anuranjan Kispotta, Deputy Superintendent of Police, Jay Prakash Singh, Sub Inspector, Rajendra Kumar Dubey, Sub Inspector and Anil Kumar Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21.04.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No.149–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**Jitendra Kumar Singh,** **Sub Inspector**	**(PMG)**
02.	**Krishna Kumar Mahto ,** **Sub Inspector**	**(1st BAR TO PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

In the intervening night of 24.10.2010 Sri K.K. Mahto, SI of Police line, Ranchi was asked to join a special anti-naxal operation based on some prior information regarding movement of Kundan Pahan, Zonal Commander of CPI Maoist alongwith his armed squad in the area. At this tip off the police force led by Sri Jitendra Kumar Singh, SI, Officer-in-charge, Muri O.P., Ranchi and Sri K.K. Mahto led a search operation on Ranchi- Purulia Road at Dinesh Tirkey Chowk of Jonha (the vicinity is surrounded by dense forests, hills and rivulets and is dominated by CPI Maoists Activists). During their combing operation at around 0200 hrs, a motorcycle appeared which on being asked to stop the occupants fled away leaving the vehicle. When they were searching the motorcycle a car was seen approaching them. Again the two occupants of the car attempted to run away but the police party this time nabbed them after chasing them towards the nearby bushes. No sooner they were being interrogated by Sri Jitendra Kumar Singh and Sri K.K. Mahto another passenger vehicle in the cover of marriage party approached towards the police force. Again the police officers asked to stop the vehicle but the driver of the vehicle tried to forcefully flee away from the police Nakabandi but due to sudden police activity the driver dashed the standing police vehicle in panic. The occupants of that so called marriage party vehicle who were non other than Kundan Pahan and his heavily armed squad members like Vishal Da, Kishore Da, Vikram Mahto, Karmakant Munda and 14-15 unidentified extremists, alighted from the vehicle and positioned themselves in nearby bushes and pits and started indiscriminate firing of the police party with their automatic weapons and threw several hand grenades on them. The Police party leaders Sri Jitendra Kumar Singh and K.K. Mahto without wasting any time positioned themselves and encouraged their subordinates to open fire and fight against this sudden Maoists on slought. A fierce exchange of fire continued for one

and a half hour and during this period K.K. Mahto and Jitendra Kumar Singh not only showed exemplary courage but also risked their lives and motivated their subordinates to fight valiantly and as a result the police force did not receive any injury or casualty despite the fact that they were not supplemented by other police support till that moment. However the Maoists stopped firing and escaped in the nearby forest seeing the approaching additional police forces which was led by Satyendra Kumar Singh, SI, Officer-in-charge, Angarha P.S. and Ajit Peter Dundung, Dy.S.P., Headquarters, Ranchi. After the ceasefire, the police forces launched a search and combing operation of the area. They found a dead body of Maoist in green uniform and also recovered following arms ammn/ other items:-

1. 01 regular INSAS rifle with magazine & RNC -65 inscribed on it Arsenal No. 16824012 RFL 2005 along with 05 live cartridges.
2. 01 regular SLR rifle Atifal
3. 01 regular 303 police rifle with Arsanal No. M476- 1948 inscribed
4. 04 magazines having 20 bullets each, total 80 bullets.
5. 01 Nokia Handset
6. Mobile battery of Dora Sale 2 piece
7. 10 empty magazines of INSAS rifle
8. Motorolla wireless set
9. 10 pieces empty magazine of SLR
10. Hero Honda CD DAWN Motor Cycle No. HJ- 01F -9914
11. Matiz Car No. BR- 16N- 1919
12. 01 hand grenade
13. Nokia Mobile-01, Micromax set -01, Samsung Mobile- 01
    Recovery made from the passenger of jeep No. JH.01L-5330
    i).Black commando dress with 18 live cartridges of 5.56 INSAS rifle & 15 live cartridges of SLR
    ii) Naxal's literature, & Uniform with three wireless antenna, devices to clean arms, commando dress, utensils
    iii) 01 Compass, Tata Indicom Mobile01, Nokia Mobile-05 Nos.
    iv) Rs. 10420/-
    v) SIM- 46 Nos. and 03 bags.

In this encounter S/Shri Jitendra Kumar Singh, Sub Inspector and Krishna Kumar Mahto, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25.10.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 150–Pres/2011- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Karnataka Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sridhar **(Posthumously)**
APC

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 30th May 2010 CPI, K.R.Kantharaj had the duty to supervise the night-patrol of Kundapur Sub Division, covering N.H 17, Shiroor, Byndoor, Uppunda, Kirimanjeshwar, Navunda and Kundapur. Accordingly he started the night patrol at 11:00 PM from Byndoor accompanied by driver Sridhar.

At 03:00 AM of 31st May 2010 a wireless message was received from Kundapura police station that two unidentified men had attacked the Nayak petrol bunk in Kundapura town area. The offenders had stabbed the bus cleaner there with a knife, injuring him in the cheek and the neck and forcibly had taken away his mobile phone and a cover containing Rs.500/-. Further the offenders had threatened another person on the road with a knife and iron rod and taken his mobile phone. Since the offenders were armed and dangerous, the police officers on night patrol were advised over the wireless to proceed with caution and apprehend the offenders.

Receiving the above mentioned message, CPI, K.R.Kantharaj and driver Sridhar who then were near Kirimanjeshwara (Aprox. 20 KM) on patrol duty, lost no time and hasten to Kundapur and arrived at Lal Bahadoor Shastri circle. There, around 04:00 AM, they heard ASI Subba.B, urgently requesting for back up over the wireless, that he had seen the culprits on the ring road and that they were running on the main road near Sangam bridge towards the National highway No: 17. Immediately CPI K.R.Kantaraj and driver Sridhar rushed the Jeep towards Sangam Bridge. As they neared the spot they saw two offenders- one brandishing a long knife and the other armed with an iron rod. Upon seeing the police Jeep, the offenders in order to escape, scurried towards the gates of old Municipal Dumping yard. Instantly, CPI K.R.Kantharaj jumped from the Jeep, shouted after them to stop and chased the said offenders to nab them. As he was gaining upon them, one of the offenders brandishing the long knife suddenly rushed towards CPI K.R.Kantharaj and attacked him with knife. Bravely disregarding personal safety, he grabbed the offender and threw him to the ground. Meanwhile driver Sridhar ran towards CPI K.R. Kantharaj

to help him apprehend the offender. Just then the other culprit ran back towards driver Sridhar and stabbed him in the back with the long knife. Driver Sridhar put up a brave fight with the offender and at last lost his life. At this moment CPI K.R.Kantharaj who also sustained injuries showed courage and took out the pistol to fire at the culprits. As he tried this, unfortunately cocking mechanism malfunctioned and the pistol failed to fire. The offenders tried to snatch the pistol from him and during the scuffle it fell down on the ground. Then the offenders took the pistol and ran away. CPI K.R.Kantharaj who sustained serious injuries did not give in. Being overpowered by sense of duty he couragiously followed the culprits. He called the other police personals ASI Subba, PC Prakash, PC Vijay Kumar and PC Suresh for assistance. Some civilians also reached the spot, to help them. By this time he surrounded the culprits to prevent their escape and finally succeeded in arresting the murderous interstate robbers. The above mentioned offenders are from the state of Kerala, they are :-

1) Raghu, aged 28 years, Father Name: Dasan, Residence: Kallottu, Kandimane Maradaipalam, Mattanoor, District: Kannoor, State: Kerala and

2) Rajesh alias Padakkudi alias Raju, aged 20 years, Father Name: Narayanan, Residence: Rajeevi Nivas, Kolari Maradaipalam, Mattanoor, District: Kannoor, State: Kerala.

As many as 11 criminal cases of theft, robbery, assault, murder, attempt to murder have been filed against them at Kerala and Karnataka States. These 11 cases against them at various Police stations prove that they are notorious inter state criminals. Presently they are behind bars in Udupi Sub-Jail. The Case is Under Trial in CC No 1799/2010 of ACJ(Jr. Dvn.) & JMFC, Kundapura.

In this encounter (late) Shri Sridhar APC displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31.05.2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 151–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Madhya Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sita Ram, (Posthumously)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

CT Sitaram Padalkar joined as constable in Madhya Pradesh Police in 1996-1997. He was posted at Khandwa and Burhanpur. Distt. Khandwa and Burhanpur are communally hypersensitive districts and hot belt of SIMI activities. Const Sitaram was working hard to collect intelligence against such communal elements, particularly SIMI activists. He had developed number of good source to get information about SIMI members. He was one of the key member of the team entrusted to gather information about SIMI activists. In police station Kotwali, Khandwa, based on his most valuable intelligence and timely inputs, 6 members of banned SIMI members were arrested on 01, April, 2008 in police station Kotwali, Khandwa. Case No. 202/08 u/s 153 A was registered. Prominent accused arrested were Mehboob @ Guddu, Ahamad @ Amzad, Zafar, Mohammad Khaleel, Sekh Mukhtar and Khaleel Chauhan. Const. Sitaram played an important role in arrest of these accused. He was suitably rewarded with cash for his excellent work.

Constable Sitaram was highly motivated and dedicated towards his work and his local contacts for information has led to his selection in ATS unit of Madhya Pradesh Police. He performed exceptionally well in secret enquiries, surveillance, collection of evidence and work assigned to him in ATS. Based on his information, 5 important accused i.e. Mohammad Shafique, Yunus, Sazid, Arshad and Firoz of banned SIMI organization were arrested from Khajrana area of Indore on 20.10.2009. A case no. 05/09 u/s 147,148, 153 A and 3(10) 13 UAPA Act was registered. Out of these five, two accused i.e. Mohammad Shafique and Yunus were wanted in serial bomb blasts in Gujrat.

In continuity of this, Inamur-Rehman, State Secretary of SIMI was arrested in Jabalpur on 03/11/2009 and a case No. 6/09 u/s 153 A, 120, IPC & 3(10)(13) UAPA was registered. Sitaram played an important role in both the above cases wherein he was rewarded with Rs. 25,000/- cash.

On 28/11/2009, Bakrid was celebrated in Khandwa. ATS unit was deployed on routine intelligence collection of SIMI activities in Khandwa. Constable Sitaram was also looking for activities of SIMI members. Around 12 pm, one person stopped him at 'Teen Puliya' railway under bridge and started conversing with him. After some time two more people joined them and after some time they started firing at Sitaram indiscriminately. Constable Sitaram, even after having been hit by two bullets from the dreaded assailants, without worrying about his own safety and by keeping duty before self, pulled out his service pistol and fired at the assailants. In the meantime, the assailants fired two more rounds at him. Sitaram showing exemplary courage fired back at assailants to neutralize them. He tried to fight the assailants till he collapsed. Sitaram prompt and adequate response forced assailants to flee and thereby, saved number of causalities of the common people.

Criminal case was registered under Section 15 amd (A) Unlawful Activity Prevention Act, 1967 and 302 IPC against unknown accused. On investigation, it was found out that three assailants, armed with deadly firearms cornered him and fired upon him. Constable Sitaram by displaying great commitment had took on them single handedly and responded to their firing courageously. Shri Sitaram by showing most commendable valour in line with keeping duty before self, had returned their firing with his service pistol, sacrificed his life at the altar of duty and succumbed to bullet injuries with in 40 minutes of the incident. But for his courage & exemplary devotion to duty, many innocent members of the public could have become victim of the reckless firing of the dreaded assailants.

Constable Sitaram showed high degree of concern and sensitivity towards national security. He carried all his duties with dedication and hard work. He displayed an important roll in exposing and dismantling SIMI network in District-Khandwa.

In this encounter (late) Shri Sita Ram, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28.11.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 152–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Madhya Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Prem Kumar Dixit,
Additional Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On the 19th March, 2000 at 13.30 hrs. Shri P.K. Dixit, Addl. SP (Anti-Dacoity) Bhind received a pointed information through a reliable informer cultivated by him, regarding presence of 4 Armed remnants of T-3 Raju Kushwaha Gang in the ravines of Village- Rampur, PS- Nayagaon who were planning a kidnapping from village Sarsai. He acted at once after consulting SP- Bhind D. Sreenivasa Rao and under his guidance planned to apprehend this armed dacoit gang. Shri Dixit collected the available force and reached Rampura and divided the force in to two parties. The first party comprised Shri P.K. Dixit, Addl. SP A/D, SHO Nayagaon, A.S.I., Head Constable and constable of SAF and DEF from PS- Nayagaon. The second party led by DSP HQtr. Bhind Shri Yashpal Singh Rajpur consisted of SHO Umri. Head Constable and Constables of DEF and SAF from Umari. As pointed out by the informer for 19.03.2000 at 13.30 hrs. when the area was cordoned under search operation, Shri Dixit spotted 4 armed dacoits in the Ravines of "Sua Ki Karar" of village Rampura. He at once challenged them to surrender, but instead of offering to surrender the gang opened heavy fire at Shri P.K. Dixit and his party. Shri Dixit escaped narrowly and at once took position. He again warned the bandits to surrender, but in vain. One of the dreaded dacoit took the position and opened volley of heavy fire at Shri Dixit who undeterred with the gun fire and without caring for life. He at once dashed ahead and crawled near by the offensive dacoits who again opened heavy fire at Shri Dixit in which he had a narrow escape of sustaining bullet injury. Shri Dixit also opened fire in self defence. Meanwhile, other dacoits also kept on firing on party No. 1 and 2 to check the advancing police parties. During the exchange of fire Shri Dixit faced the adverse situation with cool courage and fortitude and without caring for his life. He took risk beyond the call of his duty and continued to fire and dashed ahead. In reply, the miscreants again fired pointedly at Shri Dixit who if not been, the fire of the miscreants would have hit the head of Shri P.K. Dixit, but undeterred barrage of gun fire kept on advancing towards the dacoits

who were trying to escape under the cover of their heavy fire. Shri Dixit who was in the opening continued to fire in self defence in a controlled manner and without wasting a single moment dashed ahead resulting in the shooting down of one notorious outfit who was later identified as INDE @ Inder Singh Kushwaha carrying a reward of Rs. 5,000/-.Thus Shri P.K. Dixit exhibited exemplary courage and leadership beyond the call of duty in which he had to expose himself to direct hit from the desperadoes. However three dacoits taking advantage of terrain absconded could not be nabbed. The gang of T-3 Raju Kushwaha was a terror in the districts of Bhind, Gwalior and Morena of M.P. Jalaun and Etawah of U.P. and in Delhi. After the arrest of Raju Kushwaha on 13.02.2000 in Bhind town Indal Singh S/o Laljit Singh Kushwaha, who was most trusted lieutenant and second in command of Raju Kushwaha Gang became leader of the remnant group.

Thus in the forceful encounter most dreaded dacoit INDE @ Indal Singh Kushwaha second in command of Raju Kushwaha Gang, who was a leading of remnant group was shot dead. The elimination of this dacoit has crippled the whole of the gang whose remnants are bound a lie down to witness their group completely disbanded in the near future. Two 12 Bore guns with 11 live cartridges and 32 empties were recovered from the spot of encounter along with multifarious articles of daily use.

In this entire phase of operation that lasted for an hour, the role of Shri P.K. Dixit, Addl. SP (A/D) Bhind was a high order and it was due to his personal valour and sense of high devotion to duty with extraordinary leadership that such dreaded inter-state desperadoes were meld and shot dead by him. There was a great public jubilation in rural area in District Bhind as well in the city and both the press and public highly praised and applauded the unprecedented quick police action.

Shri P.K. Dixit, Addl. SP (A/D) Bhind has done his duty most gallantly and without caring for his personal safety. He also gave evidence of astute leadership, unyielding determination and remarkable initiative in the face of grave danger to his life in this encounter in which trusted Lieutenant of Raju Kushwaha gang INDE@ Indal Singh was shot dead.

In this encounter Shri Prem Kumar Dixit, Addl. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19.03.2000.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 153–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri
01. P. Ramesh Singh,
Rifleman
02. L. Jotin Kumar Singh,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 31st August 2010, based on a specific information from 28 Assam Rifles and confirmed from own source regarding the presence of 7/8 insurgents with arms in the general area of Ngariyan Hill range and its vicinity, a combined team of Thoubal police commandos and troops of 28 Assam Rifles under the command of Shri W. Ningshen, ASP/CDO-Thoubal, moved towards the said area to pre-empt any prejudicial and violent activities of the insurgent at around 2010 hrs.

The combined team laid Ambush, covering strategic points and after a while started combing the general area. Around 2045 hrs, the combined team noticed movement in a particular area and pointed a torch light in the said direction to find out what it was and challenged the suspects. Their call for identification was answered suddenly by volley of fire from an automatic weapon in the general direction of the torch light. Having confirmed the direction of the insurgents by the firing, Rfn P. Ramesh Singh, Rfn L. Jotin Kumar and Rfn N.Seilesh(all of CDO/Tbl) were given signal by ASP/CDO to stealthily move forward towards the direction of the suspected militants. Meanwhile, Havildar Keshorjit Singh and the remaining team along with 28 Assam Rifles gave firing coverage. There were sporadic firings in many directions by the insurgents, but still then the combined team maintained cool and gave a brave reply.

After a while, displaying exemplary courage under fire with utter disregard to their safety, the three CDO personnel Rfn P. Ramesh Singh, Rfn L. Jotin Kumar and Rfn N. Seilesh closed in towards the firing UGs by crawling and tactically charged towards the militants with incessant firing and cornered one of the militants in a bush

of the hill range and in the subsequent firefight, the militant was killed at the spot. The insurgents then took advantage of darkness to flee from the cordon of the combined team. The firefight lasted for about 20 (twenty) minutes. After the firing stopped, the combined team thoroughly searched the area with searchlight and recovered the following items:-

1. One US made Smith & Wesson 9 mm pistol
2. One magazine
3. Six live rounds of 9 mm Amn
4. One Chinese made Hand Grenade
5. Four empty cases of 9 mm amn
6. Eleven empty cases of AK series

The same were seized observing formalities at the spot@ 2130 hrs.

The deceased were later on identified as Maoirangthem Nanao Singh @ Thomas @ Sanouba(24) S/o M. Rajen @ Dhojobi Singh of Awang Sekmai Sobal Leikai, a self styled Corporal of the banned United National Liberation Front (UNLF). He was a hardcore trained cadre of 28th batch and his service no was 1728. Source report confirmed that he along with some cadres was deputed in Thoubal area to attack security forces to boost the sagging morale of the outfit.

It refers to case FIR No./ 50(8)2010YPK PS U/s 307/34 IPC, 5 Expl. Subs. Act, 25(1-C) A. Act and 16(1) (b)/20UA (P) A. Act'04

In this encounter S/Shri P. Ramesh Singh, Rifleman and L. Jotin Kumar Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31.08.2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 154–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. L. Bikramjit Singh,
Jemadar

02. L. Mohindro Singh,
Constable

03. Jangkholal Baite,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

Based on the reliable information regarding presence of some armed cadres of Revolutionary People's Front (RPF) in the general area of Thongju Part II (Koirou) Village with likely intention to attack security forces as well as to target non-Manipuries, a team of CDO Imphal West comprising parties of 5 (five) teams rushed at the said area to pre-empt any prejudicial activities of banned outfit on 18-11-2010 at around 2.30 p.m

At around 3.30 p.m the team divided into three teams and started selective search of Thongju Part-II. The team under Jemadar Bikramjit was carrying out selective search of the village in the middle part while the other team was carrying out selective search on southern and northern sides. His team observed two person trying to sneak out towards the Koirou Loukon through bamboo clutches which stands on elevated mound (palli) in the eastern side. As the commando team led by Jemadar Bikramjit Singh shouted them to stop, they started running trying to evade security forces. Immediately his team chased after them and when the said team was approaching them nearer, they jumped towards the western side of Bamboo clutches and suddenly opened fire towards the commando team from their weapons. Immediately, the said team retaliated the fire swiftly after taking cover in the eastern side elevated mound. Thus, in the fire fight which lasted for about 8 minutes, without any hesitation, Jemadar L Bikramjit Singh along with Constable L Mohindro Singh and Rifleman Jangkholal Baite of CDO/Imphal West crawled inch by inch towards them even as bullets were whizzing over their heads. In the process of their advancement towards the bush against the incessant firing of the militants, the commandos were fully exposed as there being no tangible object for their physical

coverage. However, in utter disregard of their personal safety, Jemadar L Bikramjit Singh courageously led the team in the forefront while constable L Mohindro Singh and Rifleman Jangkholal Baite also acted hand-in-hand with their commander. With their covering fire, Jemadar L Bikramjit Singh advanced forward unsteadily with incessant firing and at any opportune moment, Constable L Mohindra Singh and Rifleman Jangkholal Baite also made a forceful charge against the militants. Once the commandos reached the eastern margin of the clutch of bamboos, the commandos had a little privilege of their physical coverage and the gun-fight activated. Thus, one of the militants who got up to fire again at the Commandos was shot down simultaneously by them, who expired at the spot. The other militant managed to escape along the drain near the paddy field leading to the thick bamboo grooves.

A thorough search was carried out after the encounter and on search of the encounter site, the following arms and ammunition were recovered from the encounter site:-

(a) One 9mm caliber Pistol marked as Glock bearing No. HRA 170 (made in Australia)
(b) 3 live rounds of 9mm ammunition
(c) One magazine of 9mm caliber
(d) One Chinese hand grenade
(e) Four empty cases of 9mm ammunition

The slain militant was later on identified as one Ngangbam Onit @ Oman @ Anthony Singh(42 years) s/o Ng. Biramungol Singh of Chinga Mathak Nameirakpam Leikai, a self styled Captain and holding post of Secretary Division No.VI of the proscribed organization RPF (Revolutionary People Front). Police record revealed that he masterminded in targeting non-Manipuries in the Manipur State.

It refers to case FIR No. 242 (II) 10 Singiamei PS U/s 307/34 IPC, 25(I-c) A Act, 5 Expl. Subs Act& 20 UA (P) A.Act.

In this encounter S/Shri L. Bikramjit Singh, Jemadar, L. Mohindro Singh, Constable and Jangkholal Baite, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18.12.2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

32—371 GI/2011

No. 155–Pres/2011- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**B. Lunthang Vaiphei,** **Sub Inspector**	**(2nd Bar to PMG)**
02.	**Kh. Kunje Singh,** **Rifleman**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

Acting on a specific and reliable information regarding the presence of some heavily armed cadres of proscribed outfit, Kangleipak Communist Party (Military Council) in short K.C.P.(M.C) in the general area of Loibol Khunou Village in Bishnupur District committing subversive and Anti-National activities like threatening of Government officials and public for extortion of money and costly handset (Mobile phones) and their clandestine plan to ambush District Police Commandos or for that matter any security forces at an opportune moment, a combined force of Bishnupur Police Commandos and personnel of 4/8 G.R(Army) under the overall supervision of Superintendent of Police, Bishnupur District, Shri. K.Jayanta Singh planned for an immediate and brief Surgical/ C.I. Operation.

Accordingly the combined force led by S.I. B. Lunthang Vaiphei left the District Headquarter for Loibol Khunou at about 4.30 p.m (16.30 hrs) of 13/12/2009. On arrival, the combined force split out to take up their respective roles/strategic position. While personnel of 4/8GR(Army) cordoned off the general area of Loibol Khunou by forming an outer ring, commandos of Bishnupur District Police began marching tactically towards the target area. When the advancing commandos led by S.I. B. Lunthang Vaiphei were closing towards the target area along a Kutcha Inter Village Road that lead to Sadu Chiru Water fall, they were ambushed by the militants from two different directions. By dint of luck helped by natural instinct, they dropped themselves flat and lied on the ground for few seconds. Although, bullets fired from the militants' side whizzed past the commandos, S.I. B.Lunthang Vaiphei and Rifleman Kh. Kunje Singh in spite of their precarious situation and without caring

for their personal safety crawled forward and took position on an elevated ground and retaliated with volley of bullets from their service A.K. Rifles. Their incessant fire against the militants made one of them left the Bushes running toward a dried ditch (nalla) for a better position/ target. Immediately, S.I.B. Lunthang Vaiphei and Rfn. Kh. Kunje Singh charged against the fully armed militant and eliminated him on the spot. The slain militant with a camouflage magazine pouch wrapped around his waist who was later on identified as one Konthoujam Somorendro Singh @ Boy (21) yrs. S/O K.Temba Singh of Konthoujam Lairenkhun, Imphal west District, a self styled Lance Corporal of K.C.P. (M.C) One A.K-56 Rifle, one Magazine with (10) ten live rounds of AK-Ammunitions, one Kenwood Radio (wireless) set and (12) twelve nos. of empty cases of AK ammunitions were found beside the dead body.

Simultaneously the other militants at a little distance step up their fierce attack using Lethod Gun and other sophisticated weapons. The fierce attack was targeting towards S.I. B. Lunthang Vaiphei and Rfn. Kh. Kunje who were ahead of other commandos and were posing a great danger to the militants. S.I.B. Lunthang Vaiphei and Rfn. Kh. Kunje who were virtually trapped under heavy fire of the militants put up a brave fight despite their awful and critical situation. At this critical situation, other commandos namely Havildar Md. Samadur Rahman and Rfn. S. Kamei fiercely charge against the militants by providing maximum cover fire by using service L.M.G. Together they fought back using all the conventional and counter insurgency tactics that lasted for about 15/20 minutes or so, unable to withstand the might and fire-power of brave and better hardened commandos, the militants under cover of darkness(as the sun has already set in) began fleeing towards porous hilly region covered by thick jungles. Nevertheless, the commandos chased them for some distance but they had to give up avoid unwanted causality. Thereafter, the commandos conducted a mopping up operation at the site of encounter and its adjoining areas. The said operation came across a thatched-hut used by the militants as their transit/temporary camp. Inside the hut the commandos found a haversack which contained a Diary and Mobile Sim cards and other-war like items. Ultimately the hut was completely destroyed. Besides, One AK-56 Rifle with 10(ten) live rounds in the Magazine, one Lethod Gun with 3(three) live Lethod bombs were also recovered.

In this encounter S/Shri B. Lunthang Vaiphei, Sub Inspector and Kh. Kunje Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13.12.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 156–Pres/2011- The President is pleased to award the 5th Bar to Police Medal for Gallantry/4th Bar to Police Medal for Gallantry/3rd Bar to Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**M. Sudhirkumar Meitei, Inspector**	**(4th Bar to PMG)**
02.	**P. Sanjoy Singh, Sub Inspector**	**(5th Bar to PMG)**
03.	**G. Thaingampou, Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
04.	**B. Lunthang Vaiphei, Sub Inspector**	**(3rd Bar to PMG)**
05.	**D. Robinson Jemadar**	**(PMG)**
06.	**G. Gingouthang, Havildar**	**(1st Bar to PMG)**
07.	**Thongkhosei Touthang, Rifleman**	**(PMG)**
08.	**D. James Mao, Rifleman**	**(PMG)**
09.	**M. Khupsuankhai, Rifleman**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 01-10-2009 at about 10.00 A.M (1000 hrs) a reliable intelligence input was received at Bishnupur District Police H.Q. to the effect that heavily armed cadres/militants belonging to Kanglei Yawol Kanna Lup (Mlitary Defence Force) in short, KYKL (MDF) numbering about 15 (fifteen) were noticed at Tingkai Khullen and Tingkhai khunou located at a distance of about 20- miles towards north- western side. On receipt of the input, Sr.S.P Bishnupur. Shri K. Jayanta Singh directed O.C Bishnupur Police Commando, Inspector M.Sudhirkumar Meitei to verify the input and proceed accordingly. Immediately, Inspector M. Sudhirkumar Meitei in coordination with 21-para Commandos under the 73 Mountain Brigade drawn up an

exhaustive plan to launch a surgical/C.I. operation against the said armed cadres/ militants. Accordingly at about 6.00 P.M. (1800 hrs) of 01-10-2009, teams of Bishnupur Police Commandos led by S.I.G. Thaingampou and JC Jem.D. Robinson of 2nd IRB attached with Commando, Bishnupur along with a crack-team of 21-para Commandos left the Bishnupur District Police HQ on foot and moved up towards Tingkai khullen and Tingkai Khunou crossing Oinam, Keinou, Bungte Chiru, Thangbuk and reached Tingkai Khullen in the wee hour / early morning of 02-10-2009. On reaching Tingkai Khullen, they received information that the armed cadres/militants had proceeded towards Loibol village side. Immediately, they left Tingkai Khullen and advanced towards Loibol side.

After reaching kheti hut near Loibol Village, they received further information that the armed cadres/militant had left Loibol Village and proceeded towards water fall and Waroiching side on the east. In order to intercept the fleeing armed cadres /militants, the Commandos had to return towards Tingkai Khullen.

On 03-10-2009 at about 6.00 P.M. (1800 hrs), an urgent input was received at the Bishnupur District Police HQ. that the same armed cadres / militants had come down from Loibol Village, reached water fall and Waroiching and some of them were likely to come in a Maruti car towards Leimaram village to attack / ambush the security Forces deployed at the said area. On receipt of this serious input /information, Shri M. Sudhirkumar Meitei, OC. Bishnupur Police Commando immediately alerted his men to foil any attempt of the armed-cadres / militants and detailed a Commando team under S.I. P.Sanjoy Singh to reach the place in question and conduct frisking and checking of the persons and/or vehicles coming towards Leimaram village. When S.I. P. Sanjoy Singh of Bishnupur Police Commando and his men arrived at a place near Leimaram Shanti Bazar, it was already dark and they could barely notice a Maruti car coming from Waroiching area. They pounced on the car and immediately screened the three occupants who happened to be the cadres of KYKL (MDF). Unknown to the Commando team, the other armed cadres of the same group discreetly following the Maruti car at a distance in a D.I. Tata Vehicle suddenly opened burst fire from their sophisticated weapon towards the Commando team in an attempt to cause heavy causality and to make a good escape. One Havildar name Gingouthang was badly hit by a bullet on his chest. Another civilian who was also hit by the bullet of the armed cadres/ militants died along the nullah on the right side of the Leimaram road. In inspite of initial casuality, the Commando team led by S.I.P.Sanjoy Singh engaged the Maurading armed cadres/militants in an encounter by firing continuously and kept them at a distance of about 100 mtrs. away from the Leimaram Shanti Bazar. In the mist of encounter, the armed cadres/militants jumped out of D.I. Tata vehicle except one, took positions and kept on firing towards the Commandos. Seizing the opportunity created by fanning out of the armed cadres/militants from D.I.Tata vehicle, S.I.P. Sanjoy Singh along with Havildar Gingouthang (injured) who were laying flat on the roadside crawled along the road and took positions near an elevated area of the Leimaram Shanti Bazar and retaliated

with volley of fires from their service AK-assault rifles without even caring for their personal safety. In the said encounter they had killed one armed cadre/militant and also recovered one M-16 Rifle along with seven rounds of ammunition from the said D.I.Tata-vehicle. Still, the remaining armed cadres/militants kept on firing towards the Commandos. On learning of the ensuing encounter between the police Commandos and armed cadres /militants at Leimaram shanti Bazar ,Inspector M. Sudhirkumar Meitei ,O.C. Bishnupur police Commando who was co-ordinating the surgical /C.I. Operation since day one rushed towards encounter-site with S.I. B. Lunthang Vaiphei along with their men. On arrival at the spot, they had evacuated Havildar Gingouthang who was badly hit by a bullet of the armed cadres /militants on his chest to a nearby safer place and fathomed the distance and site(s) from where the bullets were whizzing towards them.

Without further loss of time, Inspector M. Sudhirkumar Meitei, S.I. B. Lunthang Vaiphei and Rfn. James Mao got on their respective vehicles and proceeded upward to a distance of about 200 mtrs. on the western side from Leimaram Shanti Bazar and jumped out. Although, they were openly exposed on the road side without any natural cover, rolled down towards the dried nullah and took positions. The bullets of the armed cadres /militants fired from their sophisticated weapons whizzes rapidly but Inspector M.Sudhirkumar Meitei, O.C. Bishnupur police Commando, S.I. B. Lunthang Vaiphei and Rfn. D.James Mao without caring from their personal safety and at the altar of their lives fired volley of bullets from their service A.K. Rifle towards the attacking armed cadres/ militants who were already at an advantageous positions. Unshaken and unnervous by the deafening sounds of Lethod bombs explosions and rapid fires from assault rifles and Machine Gun of the armed cadres / militants, the battled hardened commandos engaged them in a fierce encounter that lasted about 5/10 minutes. As the place was completely under darkness since the sun had already set in and seizing the moment of lull of heavy firing, Inspector M.Sudhirkumar Meitei, S.I. B. Lunthang Vaiphei and Rfn. D.James Mao moved up swiftly by crawling along the kutcha road and firing intermittently reached the place from where the armed cadres /militants launched fierce attack towards them. In the immediate mopping up operation, they found one bullet riddled body of an armed cadre /militant, clad in camouflage fatigue on the slope and also recovered one Universal Machine Gun (UMG), one haversack containing 277 (two hundred and seventy seven) rounds of belted A.K. ammunition, One A.K. Breach –Block and one Chinese Hand Grenade along with empty cases of AK ammunitions, lethod bombs (live and empty cases) and fired projectiles of A.K. ammunition. In the meantime, the injured Havildar Gingouthang was evacuated to the R.I.M.S. Hospital, Lamphelpat (Imphal) for further medical treatment by other reinforcing team of the Bishnupur Police Commandos. As the saying goes "fortune favour of the brave", the Police Commandos escaped from the jaws of death as they had put up a brave and fierce challenge. They continued firing and chase the retreating armed cadres /militants till they took their heels for the safety of their lives. Ultimately, the armed cadres /militants fled towards Tingkai Khunou side. It so happened that, the Police commando team led by S.I. G. Thaingampou and Jemandar

Robinson who had left the Bishnupur District Police HQ. on 01-10-2009 on foot along with crack–team of 21-para-Commandos under 73- Mountain Brigade while coming down from Tingkai Khullen side on 03-10-2009 intercepted the retreating armed cadres /militants. When the commandos reached near Tingkai Khullen/Khunou pony farm area, the retreating armed cadres /militants again opened fire towards them. At this moment, S.I. G. Thaingampou, JC. Jemandar D.Robinson, Rfn. M. Khupsuankhai Zou and Rfn. Thangkhosei Touthang who were in the front retaliated in utter disregard of their personal safety .Thereafter a fierce encounter took place between the commandos and armed cadres /militants which lasted about 10/15 minutes. In the immediate mopping up operation conducted at the site of encounter, found two armed cadres / militant clad in camouflage fatigue lying dead with multiple bullet injuries on the persons on the slope of Tingkai Khunou near pony farm and Heitup Makhong.

The following arms and ammunition were also found (recovered) near the two dead bodies at Tingkai Khunou near pony farm and Heitup Makhong.

(i) One AK-56 Assault Rifles, two magazine of AK with ten (10) live rounds of 7.62 AK. Ammunition.

(ii) One A-4 Assault Rifle with UBGL, One Magazine with thirteen live rounds of 5.56 mm. rounds, one 40mm UBGL live round and two UBGL fired cases.

The remaining armed cadres/ militants had managed to escape towards south-west of Tingkai as the area was covered by darkness and thick jungle. During the aforementioned three encounters, three (3) hardcore cadres of K.Y.K.L (M.D.F) were arrested and four (4) armed cadre of K.Y.K.L (M.D.F) were killed at three different places/Spots at Leimaram, Shanti Bazar and Tingkai Khunou near pony farm.

The dead bodies were later on identified as:-

(i) Wahengbam Lalito Singh (41) yrs. S/o. W. Nilakomol Singh of Thinungei Makhan Leikai, Bishnupur District,
(ii) Leisangthem Lakhan @ Gulapi Singh (27) yrs, S/o. L. Itocha Singh of Langmeidong Mamang Leikai, Thoubal District,
(iii) Khuraijam Sunder @ Lakpa Singh (19) yrs. S/o. Khuraijam Somendro Singh of Pukhao Ahallup, Imphal East District and
(iv) Khundrakpam Surjit Singh (22) yrs. S/o. Kh. Jugin Singh of Kakching Irum Mapal, Thoubal District. They were cadres of K.Y.K.L (MDF) belonging to fighting group under the command of S/S. Sgt. Major. Uttam and S/S. Corporal Borajao Singh.

The Three hard core cadres of K.Y.K.L. (MDF) who were arrested in the course of encounters at Leimaram and Shanti Bazar are:

(i) Hijam Priyokumar Singh, age-38yrs. S/o. H. Atoyaima Singh of Naoremthong Samusang Lairembi Leikai, Imphal West District, (ii) Yambem Biren Singh, age-36yrs. S/o (late) Y. Kriti Singh of Basikhong Kongba Irong, Imphal East District and (iii) Laikhram Thanin Singh @ Muten, age 18yrs. S/o. L. Tonjing Singh of Tumukhong Mayai Leikai, Imphal East District whose underground Army No. is 749. Altogether the following Arms and Ammunitions alongwith other items were recovered from the four militants killed and 3 armed cadres of K.Y.K.L. (MDF) arrested in the encounters.(i) One M-16 Rifle, One Magazine along with seven live rounds of 5.56 ammunition.(ii) One Universal Machine Gun (UMG) and a haversack containing 277 live rounds of belted A.K Ammunitions, one AK Breach- Block and one Chinese Hand Grenade.(iii) One AK-56 Assault Rifle, two Magazine of AK, ten Live rounds of 7.62 AK ammunitions, (iv) One A-4 Assualt Rifle with UBGL (Under barrel grenade Launcher), one magazine with thirteen live rounds of 5.56 mm rounds, one 40mm UBGL live round and two fired UBGL fired cases. (v) One Maruti Car 800 bearing registration No. MN-01M-3291- white in colour.(vi) One Dicta-phone Tape Recorder- PANASONIC, made in Japan, one Sony Cyber shot digital Camera marked as DSC- N2 with memory stick PRO DVO 1GB, Photograph of armed cadres of K.Y.K.L. (MDF) contained in the Memory Card.

The result of the encounter gave a gigantic blow to the underground organization particularly the K.Y.K.L. (MDF). This refers to FIR case No. 76(10)09 NBL P.S. u/s 121/121-A/307/427 IPC, 25(1-C) A. Act. 20/16 UA (P) A. Act & 5 Expl. Subs. Act.

In this encounter S/Shri M. Sudhirkumar Meitei, Inspector, P. Sanjoy Singh, Sub Inspector, G. Thaingampou, Inspector, B. Lunthang Vaiphei,Sub Inspector, D. Robinson, Jemadar, G. Gingouthang, Havildar, Thongkhosei Touthang, Rifleman, D. James Mao, Rifleman and M. Khumpsuankhai, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 5th Bar to Police Medal/4th Bar to Police Medal/3rd Bar to Police Medal/1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03.10.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 157–Pres/2011- The President is pleased to award the 5th Bar to Police Medal for Gallantry/2nd Bar to Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**M. Sudhirkumar Meitei, Inspector**	**(5th Bar to PMG)**
02.	**G. Thaingampou, Inspector**	**(2nd Bar to PMG)**
03.	**Daiho Pfokhreho, Havildar**	**(PMG)**
04.	**M. Ingocha Singh, Havildar**	**(1st Bar to PMG)**
05.	**T. Angte Maring, Constable**	**(PMG)**
06.	**Md. Hasan Ali, Rifleman**	**(1st Bar to PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

In the last few months a some incidents of kidnapping selected Government officials by the extremists for huge ransom took place in Bishnupur District of Manipur. On 13.9.2010, a lady physician, Dr. R K Joymati Devi and one staff nurse, Km. W Kabita Devi were kidnapped in broad day light at gun point from Mekola Public Health Centre while they were discharging official duty. Again on 20.09.2010 one Oninam Jugindro Singh (48) S/o O Rudra Singh of Leimapokpam Awang Leikai were kidnapped from his residence in similar manner. The immediate rescue operation conducted at the suspected areas by the CDO, Bishnupur saved the lives of the victims but the extremists had managed to escape by taking the advantage of the topographical feature of the Bishnupur.

As a result of tireless efforts of the CDO Unit Bishnupur, a reliable source information was received that, valley based extremists of banned organization- Kangleipak Communist Party – Military Task Force, in short- K.C.P.-(M.T.F) numbering about 10 led by some senior cadres who are known to be involved in kid-

napping people for ransom were taking shelter at a fish farm in the general area of Yumnam Khunou Mamang Pat which is at a distance of about 7 (seven) Kms. South of Nambol Police Station. While planning for a major offensive, an urgent information(SOS) was received by the CDO unit Bishnupur at about 9.00 p.m of 05.10.2010 that, one R K Sanayaima Singh, younger brother of Shri R K Opendro Singh, Upa-Pradhan of Ishok Gram Panchayat has been kidnapped from his residence by four armed extremists and took him towards Yumnam Khunou Mamang Pat. Immediately, Officer-in-charge of CDO Unit Bishnupur, Inspector M Sudhirkumar Meitai chalked out a brief and effective plan. As per the plan, three teams of CDO Bishnupur were to rush immediately to the said Pat (Lake) from the different route.

One team of CDO Bpr. Consisting of OC, CDO Bpr. Inspector M Sudhirkumar Meitei along with his boys and Inspector G Thaingampou, Havildar Daiho, Havildar, M Ingocha Singh, Constable, T Angte Maring, Rft, Md. Hasan Ali reached the general area of Yumnam Khunou Mamang Pat through Ishok Village at about 10.00 p.m. and identified the fish farm where the extremists are suspected to be taking shelter. While cordoning off the northern side of fish farm, they were ambushed by the extremists from the direction of a hut erected on the floating tall grasses. The advancing CDO team lied down on the ground and retaliated with volley of bullets fired from their service AK-47 Assault Rifles. As retaliating gunfire failed to stop the fired –power of the extremists. Inspector G Thaingampou, Havildar L Amarjit, Constable T Angte Maring and Rifleman Md. Hassan tactically and cautiously spread out and crawled upto the ring bandh surrounding the fish farm on the eastern side and put up a fierce gun fight. Snatching the situation created by the bursting gun fire of Inspector G Thaingampou and others, Inspector Sudhirkumar Meitei, Havildar Daiho, Havildar Ingocha and Rifleman Pahari covered the strategic western side of the fish farm and gave thundering attack by taking position on the ring bandh there after, they tried to get closer to the hut but the extremists who were taking position in a trench-dug out near the hut kept on firing towards the CDOs. Even at the vulnerable range of the extremists, the advancing CDOs uncaring for their personal safety and beyond the call of normal duty engaged the extremists in a fierce encounter for about 30 minutes and ultimately stop the rattling sound of gun fire coming from the hut.

After the lull of gun fire from the both side, a massive and extensive search operation was conducted in and around Yumnam Khunou Mamang Pat by the CDOs. The CDOs found 4 (Four) dead bodies with bullet injuries lying near the hut. One Shri R K Sanayaima Singh of Ishok Village who was kidnapped by slain-extremists for huge ransom was rescued safely from a nearby bushes of the floating tall grasses and he was handed over to his family members through Nambol Police Station. The following arms and ammunitions etc. were recovered from the encounter site:-

(a) 9mm Pistol	-	02 Nos.
(b) 9mm Magazines	-	02 Nos.

(c) 9mm live ammunitions - 09 rds.
(d) Chinese made hand grenade - 01 No.
(e) Lethod Gun-40mm - 01 No.
(f) Live Lethod bomb - 01 No.
(g) Nokia handset with SIM Card No.8014547041

The slain-extremists were the cadres of the banned organization KCP (MTF)-Sunil faction operating in and around Yumnam Khunou Mamang Pat area. The dead bodies were identified as :

(a) Laishram Angangmacha Singh @ Nanao (28) S/o (Late) L Anganghal Singh of Wahengkhuman Mayai Leikai Imphal West District, Manipur.
(b) Angom Premananda Singh @ Nanao (28) S/o A Arke Singh of Toubul Awang Leikai, Bishnupur District, Manipur.
(c) Nigthoujam Manaobi Singh (45), S/o (Late) N Toto @ Tombi Singh of Toubul Awang Leikai, Bishnupur-Distt, Manipur.
(d) Athokpam Rajen Singh (24), S/o a Nobin Singh of Huikap Awang Leikai, Imphal East-Distt. Manipur.

The dead bodies were claimed by their relatives for performing religious ceremony/ritual. The arrested cadres of KCP (MTF) Sunil fraction in the search operation are:

(a) Yumnam Them @ Phajaba Singh (24), S/o Y Ranit Singh of Uripok Mayai Leikai, Imphal West-District, Manipur.
(b) Samjetsabam Pradip @ Pandit Meitei(25), S/o S Anou Meitei of Uchon Yairipok, Imphal East-District, Manipur.

On investigation, it revealed that, the four cadres killed in the encounter were directly evolved in the kidnapping of Dr. R K Joymati and staff nurse Km. W Kabita Devi from Mekola PHC and Shri Oinam Jugindro Singh of Leimapokpam Awang Leikai, employee of Social Welfare Department, Govt. of Manipur.

In this encounter S/Shri M.Sudhirkumar Meitei, Inspector, G.Thaingampou, Inspector, Daiho Pfokhreho, Havildar,M.Ingocha Singh, Havildar, T. Angte Maring, Constable and Md. Hasan Ali, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 5th Bar to Police Medal/2nd Bar to Police Medal/1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 05.10.2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 158–Pres/2011- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**K. Bobby Singh, Sub Inspector**	**(2nd Bar to PMG)**
02.	**N. Tomboy, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On a fateful day of 26.12.2009, a reliable information was received at about 1.30 pm that one of the hostages had escaped from the clutches of the abductors and spotted somewhere in the Khudengthabi hillock. Immediately, S.I. K. Bobby, of Imphal West Commando unit with two other teams was instructed to rush in the area and rescue the hostage. Accordingly, a plan was chalked out and the teams were divided. Half the team led by Hav. G. Amit Sharma (also of Imphal West Commando unit) was instructed to climb up the Khudengthabi hill amidst the thick jungle so as to cut off the escape route of the abductors from the hill top range. While half the party led by S.I. K Bobby moved tactically close to the area at the foothill. Suddenly, at a distance of about hundred feet, a male voice shouted "Kanbiyo Kanbiyo"(Help! Help!) from inside a thick bush. Alarmed and surprised, S.I. K. Bobby rushed to the spot tactically and found a person in kneeling position and closing his eyes shouting "kanbiyo kanbiyo"(help, help) again and again. After looking around for any sign of the presence of the abductors, and having felt satisfied of approaching him, Sub-Inspector K. Bobby rescued one of the hostages, namely Okendro Singh.

With the rescue of one of the hostages, the operation became more risky. The Police had to act quickly and move fast and rescue the other hostage as his life would be in bigger danger if the abductors come to know that one of the hostages has been rescued. Thus, the operation continued throughout the night more vigorously and all possible cutoff areas around the hilly terrains were sealed. Source reports gathered by the Addl.SP/IW(Ops) informed that the other hostage was still unharmed and with the abductors. The physical feature and color of the wearing apparels of the hostage was discreetly briefed by the Addl.SP(Ops) through wireless sets and mobile phones of the team commanders. Operation continued for the 2nd day on 27.12.09.

In the morning of 28th December, 2009, a mass combing operation was initiated and conducted in and around Ekpal Village. While the search operation was going on in Ekpal area, Dr. Ak. Jhalajit, Addl.SP(Ops), S.I. K. Bobby and his teams along with Captain Sandeep(39AR) crossed the Mapao peak and again searched some suspected areas of Mapao Khullen and the adjoining Mapao Tangkhul village under Senapati District. Captain Sandeep of 39-AR and a team of Imphal West Commando were asked to take charge of the area for further operation there. Then three teams led by Dr. Ak. Jhalajit, Addl. SP/IW(Ops) along with S.I. K. Bobby marched towards Mapao Thangal side towards south. At about 6.10 pm of 28/12/09 while they were marching towards Mapao Thangal village, a precise information was received that the abductors were going with the hostage in the serpentine Mapao Thangal village route heading towards south ahead of the police team. Without wasting any time, the team under Addl/SP(Ops) advanced forward taking alternate foothill route so as to cut-off the abductors' route. While S.I. K. Bobby and his team moved slowly to give time for Dr. Ak. Jhalajit's team to take post.

After a while, when all possible escape routes were cutoff by the team of the commander (Dr. Ak. Jhalajit Addl.SP/Ops), S.I. K. Bobby was informed/ instructed to chase and challenge the abductors tactically from behind towards south. Then just before reaching the Mapao Thangal village at a distance of about 200 metres some 6/7 people wielding seemingly Assault Rifle look weapons were observed against the bright moonlight by S.I. Bobby. It became clear when the curious S.I. K. Bobby close-in to them along the same route on a tiger's paw step and saw some youths wielding automatic assault rifles and small arms were dragging a man (hands tied on the back) on foot. Physical feature and dress of the person perfectly matched as briefed by the commander. The latest information was passed on to Commander A.K. Jhalajit. The hostage was recognized by his dress and the physical feature which was already briefed to everyone and his hands tied on the back. Commander Dr. Jhalajit asked S.I. Bobby to start action the moment the abductors and the hostage just reach a particular curve of the route. At the particular curve the men behind the hostage were tactically challenged by S.I. K. Bobby, while the abductors in front of the hostage were challenged by Ak. Jhalajit, Addl.SP/IW(ops) along with Constable Nongthonbam Tomboy(Imphal West Commando) simultaneously, giving the abductors no time for preparation. The abductors were taken by surprise. With absolute co-ordination and synchronization in action between the two officers first by shouting and then by charging the abductors, a fierce gun fight took place when the abductors started firing. At the same time Addl. SP(Ops) took control of the situation and saved the hostage physically amidst the gun fight by shouting at him to duck and take cover in the adjoining nullah. The encounter which took place at about 6.30 pm lasted for about 10/15 minutes. About 2/3 of the armed cadres managed to escape taking advantage of the hilly terrain, bushes and evening time. After the gunfight ceased, the hostage was called/taken out and taken into safe custody. Thereafter, the area was searched thoroughly and found two dead bodies. One AK-56 rifle was seen lying near the dead body of the one lying towards south and one Pistol

was seen lying near the dead body of the one lying a little towards north. Some empty cartridges of different calibers were also seen scattered here and there around the encounter site.

The deceased with AK-56 assault rifle in the southern side was later on identified as s/s Sgt. Thoudam Thoibi Singh (24 yrs) s/o Th. Kumar Singh of Mayang Imphal Anilongbi, Imphal West District, of the unlawful KCP(MC) organization,. The other deceased with a pistol a little towards the north could not be identified and the dead body was disposed off by the Imphal Municipal Council as unclaimed body as per law.

In this three days strenuous as well as physically and mentally taxing search operation successfully carried out, Dr. Ak. Jhalajit Singh,Addl.SP(Ops), S.I. K. Bobby and Constable Nongthombam Tomboy Singh, all of Imphal West Commando unit, displayed mental toughness, the will and determination to successfully carry out the search and rescue operation amidst the uncertainty of the life of the hostage. By virtue of their courage of the highest order, selfless attitude and devotion to duty, not only the hostage was rescued, but two of their abductors were eliminated.

Their acts speak volumes of their professionalism and gallant display of their bravery and determination. Had not they taken the risk, which was a very difficult decision on the spot, the hostage might not have been rescued and could very well have been killed by the abductors.

In this encounter S/Shri K. Bobby Singh, Sub Inspector and N. Tomboy Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28.12.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 159–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Punjab Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri
01. Bikramjit Singh,
Sub Inspector
02. Balvinder Singh,
Head Constable
03. Sher Singh,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Assistant Sub-Inspector (S.I. Local Rank) Bikramjit Singh , Head Constable Balwinder Singh and Head Constable Sher Singh has shown extra ordinary courage and bravery in case FIR No. 180 dated 29/06/2010 u/s 307/353/332/186/148/149/411/412 IPC, 25/54/59 Arms Act, P.S. Samrala. In this case on 29.06.2010 police parties were present at Grain Market Chawa Road, Samrala. At about 12.30 PM ASI Bikramjit Singh received a secret information that 5 accused are in vehicle No.PB-05P-3258 Black color Xylo which they have stolen from Amritsar two days ago and Vehicle No. PB-07BL-0085 White Color Swift DZire which is stolen one and all the person had come there to sell the Xylo Vehicle. They are waiting for the Customer at new bus stand Samrala and they are having illegal Arms. On this ASI Bikramjit Singh with police party conducted raid at new Bus Stand Samrala. When his party entered the bus Stand, then a vehicle No. PB-05P-3528 Black color was seen stationed in the northern side of the bus stand in which five person were sitting. The vehicle was encircled by the police parties by their vehicles. On seeing themselves completely encircled by the police parties, the person sitting at steering seat of the vehicle and the person sitting with him on the conductor seat started firing with their pistols upon the police parties and encounter took place between police parties and miscreants. ASI Bikramjit Singh moved forward by crawling after lying on the ground towards the criminals, who were firing at them and moved on bravely without caring for the bullets and caught the criminal alongwith pistol by twisting his hand. HC Balwinder Singh moved towards the accused who was firing from driver side and nabbed him alongwith pistol .32 bore

very actively, by breaking the glass. In this encounter Manjit Singh, Driver of the above Xylo Vehicle, HC Sher Singh No.526/PTL and Head Constable Balwinder Singh No.1434 Patiala were injured. In this case ASI (S.I. Local Rank) Bikramjit Singh briefed the police parties, inspired them and without caring for his personal safety caught accused amidst firing by showing extra ordinary courage, boldness and bravery. It is an example of utmost devotion and dedication in the performance of duties as well as extra ordinary courage and bravery displayed by them. One XyloVehicle No. PB-05 P-3258 and two revolver 32 bore were recovered from the criminals.

In this encounter S/Shri Bikramjit Singh, Sub Inspector, Balvinder Singh, Head Constable and Sher Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29.06.2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 160–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Punjab Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Rajinder Singh,
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

Sh.H.S.Sidhu, IPS, SSP, Jalandhar alongwith other officers was present at House No.105, Adarsh Nagar, Jalandhar in connection with proceedings of Case FIR No.123 PS Division No.2 u/s 392/365/342/454/511/506 IPC and 25/54/59 Arms Act. A 7 years old child named Ashna had been held hostage by a heavily armed desperate criminal. Best efforts by all concerned to negotiate safe release of the child had been made for over 11 hours but failed. Sh.Harpreet Singh Sidhu, IPS assessed the situation and personally prepared an operational plan to rescue the child, for which he made two groups of police personnel, each led by Sh.Sajjan Singh Cheema, PPS and Sh.Rajinder Singh, PPS who were both volunteers for the task. Harpreet

personally briefed and deployed both the parties. He armed himself with AK-47 Rifle and took position at a ventilator giving some visibility into the area of operation. His sensitive task was to immobilize the criminal and prevent him from harming the child before she was rescued. The task was to be accomplished in almost total darkness without aid of any night vision device. At this stage the criminal gave an ultimatum that if his demands were not met with, within two minutes he would kill the child. There upon Harpreet took the final decision to launch the assault. From his position, Harpreet challenged the criminal at which the criminal fired two shots at Harpreet with intention to kill. With utter disregard for his personal safety he maintained nerves of steel and returned effective fire on the criminal injuring him gravely. Sh.Sajjan Singh Cheema and Sh.Rajinder Singh alongwith HC Pushap Bali, HC Jaswinder Singh and others forced their entry in the split of a second, into the room occupied by the armed criminal. They were fired upon by the criminal, however, without caring for personal safety even though at grave risk and in the immediate proximity of the armed criminal they displayed indomitable courage of the highest order and pressed towards their objective of ensuring safety of the child while neutralizing the criminal. In a bold and brave action Sh.Rajinder Singh returned fire with his 9 mm pistol while being fired upon at close range. At this stage Harpreet again fired at the criminal to neutralize the threat to the police party. Head Constable Pushap Bali and HC Jaswinder Singh fearlessly grappled with the armed criminal, disarmed and neutralized him. Thereafter, in a swift action Harpreet, Rajinder Singh, Pushap Bali, Jaswinder Singh rescued the girl unharmed and removed her to safety. One .38 Caliber Revolver with 2 live rounds, 3 spent catridges, one .315 Caliber Pistol with 1 live round and 1 spent cartridges were recovered from the killed armed criminal.

In this encounter Shri Rajinder Singh, Dy. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16.10.2003.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 161–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Rajasthan Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Chandra Bhan, (Posthumously)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 9th June 2010, four robbers entered Bank of Baroda branch located at Baloda village under Police Station Surajgarh Distt. Jhunjhunu. They threatened bank officers by showing weapons and looted Rs.4,15,458. The robbers threatened the bank employees and ran away with looted cash in their swift car. Constable Chandra Bhan who was already in that area was informed by SHO Surajgarh about the bank robbery, details of car and the identification of robbers. Chandra Bhan Showed exceptional initiative and with the help of local villagers raised effective blockades on the road on which the robbers was supposed to come. He also displayed great imagination and presence of mind in parking his motor-cycle in the center of the road to prevent any possible escape of the criminals. After some time when the swift car came on the same road, Constable Chandra Bhan asked the robbers to stop. As the car driver opened the gate, the constable grabbed the neck of the car driver. The driver tried to drive away but he did not allow him to move the car. The robber, who were sitting beside the driver, challenged constable Chandra Bhan with a pistol in his hand. Without caring for his life, the Constable did not loosen his grip on the driver but in the meantime, the other robber fired on the brave Constable. Although seriously injured Constable Chandra Bhan did not let him get free from his tight grip. After firing, 3 robbers ran away, while the fourth one was prevented from escaping by the injured Constable. Chandra Bhan then also informed the SHO about the route which the robbers had taken to run away in the fields. Subsequently with the help of villagers, the SHO arrested all four robbers and recovered the huge cash looted from Bank. The gravely wounded constable was rushed to hospital where the doctors declared him dead. In this way Constable Chandra Bhan presented an excellent example of bravery, fighting alone against the armed robbers even at the cost of his own life. Constable Chandra Bhan sacrificed his valuable life in honour of his department and public duty. The following arms and ammunitions were recovered from the robbers:-

1. Three Loaded Country made Pistols
2. One Pistol
3. Ten Cartridges
4. Rs.4,15,458/-

In this encounter (Late) Shri Chandra Bhan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09.06.2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 162–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri
01. Ram Surat Sonkar,
Sub Inspector
02. Bhanu Pratap Singh,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 01.08.2008 Shri Ram Surat Sonkar, Sub Inspector, Firozabad got reliable information about presence of the notorious criminal gang Durgesh Jatav at Indian Gas Agency, Tundla. Shri Sonkar alongwith available force immediately rushed to the place. It was found that the gang moved towards Etmadpur on two pulsar bikes. The police party immediately rushed towards Etmadpur. They also flashed information on wireless to P.S. Tundla and Etmadpur to cordon off the gang. Police party led by Shri Sonkar when reached village Sawayee on Etmadpur-Barhan road they found Shri Bhanu Pratap Singh, Sub Inspector, P.S. Etmadpur with an armed constable alert on the road. While they were formulating further course of action to cordon criminals, 03 of the gangsters fled away on a narrow path just ahead of village Sawayee. They were being chased by a police party led by Shri Brijendra Sharma, S.I.. Remaining 03 criminals on another bike were cordoned from front by Shri Bhanu Pratap Singh, S.I. with a constable and Shri Sonkar, S.I. with 02

constables from the back side of the road. One of the criminal fired on S.I. Sonkar's party while the other 02 criminals fired at S.I. Bhanu Pratap Singh and S.I.. Sonkar's party with intent to kill them. S.I. Bhanu Pratap Singh and S.I. Sonkar showed act of extreme courage and asked the criminals to surrender. The criminals started abusing and fired by a 9mm carbine at the police party. Under grave danger to their lives, Shri Sonkar from the back and Shri Bhanu Pratap Singh from the front side fired effectively on the criminals in self defence. As a result, one criminal was killed and the other one was injured. Third criminal alongwith the injured one fled away. The dead criminal was later identified as Durgesh Jatav the dreaded criminal with Rs. 20,000/- cash reward on his head.

In this encounter S/Shri Ram Surat Sonkar, Sub Inspector and Bhanu Pratap Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01.08.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 163–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ajay Prakash Tripathi,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 30th March, 2010, STF team received an information about movement of notorious dacoit Ejaz from Garhi Chowki tiraha to Rasoolpur Sadat via Scorpio Club Road under PS-Gudamba, Lucknow. Immediately the STF team led by Sub-Inspector Anup Kumar Singh along with HC Ajay Prakash, HC Shailendra Kumar and others reached near the Scorpio Club and village Rasoolpur Sadat. At about 3.25 p.m. one person coming swiftly on foot from the Scorpio Club side was seen. The informer confirmed him as Ejas. He was challenged and asked to surrender by the police. The criminal immediately took out a pistol tucked in his waist and fired at the police

party. STF team had a narrow escape. Ejaz started abusing and ran towards the jungle. He kept on firing at the police party. STF team started chasing in order to arrest him alive. Dreaded criminal Ejaz kept on firing indiscriminately upon the police party with intention to kill them. The team members rolled down on the ground and dodged the indiscriminate firing and narrowly escaped. Showing exemplary courage and bravery HC Ajay Prakash and HC Shailendra Kumar, being left with no other option to apprehend the criminal, approached near him without caring for their lives and fired in self defense. During this fierce encounter, Ejaz was shot dead.

The following Arms/ammunitions have been recovered from the site of encounter:-

(a)	Pistol Factory made .32 bore	-	01 No.
(b)	Live Cartridges	-	03 rounds
(c)	Empty Shells of 32 bore	-	02 Nos.

In this encounter Shri Ajay Prakash Tripathi, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30.03.2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 164–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Uttrakhand Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Jaimal Singh Negi,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On October 26, 2010 at 12:15, a woman named Smt. Mushrat of Green Park Colony, Roorkee, informed Civil Line Kotwali Police Station over telephone that a man was shot at by a group of armed persons in her locality behind the Oriental Bank. Inspector Jaimal Singh Negi, SHO of Civil Line Police Station Roorkee immediately, rushed to the spot along with some other policemen and informed the senior officer while on his way to the spot.

When Inspector Jaimal Singh Negi and his team reached the spot, the scene that unraveled before him was formidable and full of commotion and chaos. On a roof of one house there was on Abid S/O Jabbad along with Usman S/O Jabbad, Akil S/O Usman and Adil S/O Usman, was brandishing a gun towards the crowd hysterically. The firearm was a double barrel gun of 12 bore and loaded with cartridges. Abid was also wearing a belt full of cartridges over his shoulder. Near Abid's house,a person named Muzzamil S/O Maksudal Hasan of Nagla Kubda village of Jhabrera Police Station, presently residing in Old Tehsil locality of Roorkee town, under Ganganahar Police Station House (Kotwali), Roorkee, Haridwar, was lying in a pool of blood, wounded badly by gun shots.

Abid had shot Muzzamil and was not allowing anyone to go near the wounded Muzzamil to render any help to the victim. He was hysterically shouting as well as threatening the crowd of dire consequences, saying if anybody tried to come up to the wounded and take him to hospital he would kill him instantly. Therefore, no one was able to muster courage to help the wounded Muzzamil.

At this juncture, Inspector Negi courageously entered the house alone from a door on the ground floor, leaving behind other members of his team to control the crowd. Showing unflinching bravery and courage and putting his own life at peril, as

he was only armed with "Lathi : (wooden baton) and a service revolver, Inspector Negi preferred the use of "Lathi" than his firearm in encountering the situation to avoid any undue casualty. Inspector Negi finally reached the roof stealthily and moved with electrifying speed, over powered Abid with his "Lathi" and in the process snatched the gun from him. Before accomplices of Abid could run away from the scene, he got them all to surrender at gun point with his service revolver.

The media and public highly praised the valor and heroic action of Inspector Jaimal Singh Negi who without caring for his own safety displayed bravery and at the some time exercised utmost caution to avoid collateral damage, single handedly disarmed Abid and got all the other accomplices of Abid to surrender without any blood shed.

In this encounter Shri Jaimal Singh Negi, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26.10.2010.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No. 165–Pres/2011- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of West Bengal Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

01.	**Arjun Singh Thakuri, Rifleman**	**(PPMG)**	**(Posthumously)**
02.	**Gopal Krishna Chhetri, Rifleman**	**(PMG)**	**(Posthumously)**
03.	**Lall Bahadur Pradhan, Lance Naik**	**(PMG)**	

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 15th February, 2010 at about 5 PM. a group of CPI(Maoist) consisting of eighty (80) heavily armed militants attacked Silda Eastern Frontier Rifles Police Camp. The camp was located at Silda under Binpur Police Station in West Midnapore District of West Bengal. At the time of attack, there were 38 EFR Jawans present in the camp.

The Maoists launched attack on the camp from all sides. They simultaneously lobbed grenades on the camp and opened fire targeting sentries and EFR personnel who were taking rest after day long duty. The attack was so sudden and ruthless that the Jawans were taken by complete surprise. They found very little time to react and counter attack.

Rifleman Arjun Thakuri of Eastern Frontier Rifles, 2nd Battalion was performing Sentry duty on the front post. When the attack took place, a volley of fire came towards Arjun Thakuri from two directions. Despite of heavy firing from the side of militants, Rifleman Arjun Thakuri kept his nerves and fired towards the militants. One grenade was thrown by the militants targeting the sentry Arjun Thakuri resulting severe injuries to him. But he did not panic and kept on firing on the militants for a few minutes. He killed three Maoist militants before falling to their bullets. Rifleman Arjun Thakuri exhibited rare act of courage and bravery. Despite of his being injured in the grenade attack, he kept on fighting with the militants and killed three of their prominent armed squad members. After a fierce

battle for nearly ten minutes Arjun Thakuri was killed by the militants. Rifleman Arjun Thakuri sacrificed his life to protect the police camp and to save the lives of his fellow policemen.

Rifleman Gopal Krishna Chhetri of Eastern Frontier Rifles, 3rd Battalion was performing sentry duty on the rear post at the time of Maoist attack. Maoist militants lobbed hand grenade towards the camp and fired at the sentry simultaneously. He narrowly escaped from the grenade attack and he immediately started firing towards the militants to repulse their attack. Rifleman Gopal Krishna Chhetri kept fighting with the militants for a few minutes before getting hit by a bullet. In the firing by Rifleman Gopal Krishna Chhetri, one Maoist militant was killed on the spot. He kept on fighting with the militants till his last breath with exemplary courage and bravery. Finally, he sacrificed his life for the sake of duty and the lives of others.

Lance Naik Lall Bahadur Pradhan of Eastern Frontier Rifles, 2nd Battalion was taking rest in his tent at the time of Maoist attack. Suddenly, he heard a deafening sound of explosion from one corner of his tent. Within seconds two tents caught fire. Lance Naik Lall Bahadur Pradhan received splinter injury on his shoulder. Despite of his injury, he took hold of his service rifle and came out from the tent. He took position a little away from the tent and started firing towards the militants. He kept on firing for a few minutes before getting hit by enemy bullet. Despite being injured, he killed one militant with his rifle. He kept on fighting with the militants till his ammunition was completely exhausted. Being severely injured and helpless without ammunition Lance Naik Lall Bahadur Pradhan lay unconscious amongst the bodies of his fellow policemen. He was left behind alive by the Maoists presuming him dead. Later on he was rescued and admitted in the hospital. Lance Naik Lall Bahadur Pradhan showed daring act of bravery and devotion to duty.

In this encounter Late Shri Arjun Singh Thakuri, Rifleman, Late Shri Gopal Krishna Chhetri, Riflelam and Lall Bahadur Pradhan, Lance Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15.02.2010.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No. 166–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of West Bengal Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Chandra Sekhor Bardhan,
Deputy Superintendent of police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 25.07.2010 at about 1700 hrs Shri Chandra Sekhar Bardhan, Dy. SP (Crime), Pachim Medinipur received a credible and pin point information regarding the presence of a group of 25-30 armed guerilla cadre of CPI (Maoist) under the leadership of Bhuta Baskey @ Sidhu Soren, Buru and others in the dense forest of Kayma Metala under goaltore PS and planned to hold secret meeting to attack Police Stations and other institutions in order to loot arms and ammunition of the police force after killing them.

On the basis of such information a special seek and intercept operation was launched after thorough planning by Shri Chandra Sekhor Bardhan, who led a contingent of State Commando forces, officers and forces of Goaltore PS. He was accompanied in the operation by four teams of 202 Bn, CRPF, commanded by DC Shri Uday Diryaushy.

The entire contingent of force left Medinipur Police line on 25.07.2010 at 2230 hrs. and were dropped at the pre-decided point which was approximately 75 km from Medinipur nearby Karbhanga forest in the Goaltore Sarenga axis. From the dropping point the troops led by Shri Chandra Sekhor Bardhan, Dy.SP (Crime) started marching tactically on foot towards the target at a distance of about 7-8 Kms. inside dense forest under heavy shower. The troops led by Dy.SP (Crime) reached close to the targeted point at around 03.30 hrs. and noticed two makeshift camp made of polythine sheets inside the bushes. It could be seen that the camps were guarded by armed sentries. Movement of Armed Guerilla Maoist could be noticed. Then Dy.SP (Crime) immediately decided further course of action to nab the armed squad members. He then led the team towards the camps through tactical movement and successfully laid cordon around the camps. Seeing the force approaching towards the camps, the Maoists started firing indiscriminately from sophisticated weapons as the Maoists taking cover behind trees and natural structure with the aim to kill the security forces. The forces were fired upon from different directions and at the same time the Maoists triggered multiple IED blasts. It appeared that the Maoist laid a hasty ambush in multiple parties on seeing the advance of Shri Chandra Sekhor Bardhan and his team. The persons present inside and around the camps started shouting "Maobad Zindabad" "Jouthabahini ke khotom karo". Then Dy. SP (Crime)

ordered the rest of the forces to stay in their tactical position and he moved further forward towards the camps with Const. Sambhu Saha and Const. Sukumar Meta, a small team consisting of 5-6 persons of 202 SAF. The firm and determined advanced of the forces led by Dy.SP Crime could not stop by heavy volume of fire and series of IEDs explosion by the armed Maoist cadres. The daring display of courage and professional skills by Dy.SP Crime and supported by Const Sambhu Saha and Const. Sukumar Meta and others.

On being fired upon Dy.,SP (Crime) ordered his men to open fire to counter the Maoist attack and himself fired 25 rounds from his service AK-47. The CRPF team also opened fire to counter the ambush. Shri Chandra Sekhor Bardhan led his entire team forward toward the position of the Maoists despite coming under heavy fire and great personal risk without caring for his life.

Suddenly a naxalite hiding behind natural cover fired at CT/GD Asish Kr. Tewary and he fell on the ground. Seeing his member of troop hit by bullet, Dy.SP(Crime) rushed for his help and pulled him to save cover. He took all the necessary actions to evacuate the injured constable for medical treatment. When the intensity of fire decreased after 06 Maoists got neutralized, Dy.SP (Crime) decided to mount a thorough and extensive combing and search in and around the area. During the search bodies of 05 male and 01 female persons and huge quantity of arms and ammunitions, explosives were recovered.

Out of 6 neutralized Maoist, one person was later identified as hardcore Maoists such as Bhuta Baskey @ Sidhu Soren. Moreover it was also observed that out of the weapons recovered from PO, one SLR (Arsonal No. 18056008) rifle was looted away by Maoist on 08.11.09 by attacking LRP of Police party at Gidhni under Jamboni PS, one INSAS (Arsonal No. 16514978) rifle was looted away by CPI (Maoist) on 15.02.2010 when they attack Silda Police Camp under Binpur PS and one Pistol (16707415) was looted away from Sankrail PS when CPI (Maoist) attacked Sankrail PS on 20.10.09 and killed 01 SI and 01 ASI.

In the entire operation Shri Chandra Sekhor Bardhan, Dy.SP (Crime) Paschim Medinipur, West Bengal played the most significant role as he collected credible and pin point information, planned the entire operation meticulously, showed great character of taking firmed and right decision in emergency, great courage, exemplary leadership qualities and conspicuous gallant act while performing his legitimate bonafide duty.

In this encounter Shri Chandra Sekhor Bardhan, Dy. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26.07.2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 167–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Rifles:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri
01. Jukti Prasad Gautam,
Naib Subedar
02. Thokchom Deven Singh,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

Naib Subedar Jukti Prasad Gautam, Sena Medal and Rifleman Thokchom Deven Singh were part of a Quick Reaction Team.

On 20 February, 2010, based on specific inputs about move of militants in village - Unapal (RM4949), a small team operation was launched. At 2320 hours, the Junior Commissioned Officer spotted the move of militants away from them. Realising the non-efficacy of his position, in a quick manoeuvre with stealth Naib Subedar Jukti Prasad Gautam alongwith his buddy Rifleman Thokchom Deven Singh closed in and with raw courage challenged the suspect. The militants retaliated with heavy fire. The buddy pair regardless of their personal safety, used exemplary field craft and displaying nerve of steel, crawled up to out flank the militants and engaged them with automatic weapons, from a position which was bereft of cover. This resulted in annihilation of two hardcore KYKL alongwith following recovery of arms/ ammunitions /other article:-

a.	AK -56 Rifle with bayonet	- 01 No.
b.	Pistol	-02 Nos
c.	Mag AK- 56	-02 Nos.
d.	AK 56 rounds	-27 Nos.
e.	AK 56 fired cases	-24 Nos.
f.	Mag Pistol	-02 Nos.

g.	9 mm rounds	-03 Nos.
h.	9 mm fired cases	-14 Nos.
i.	Chinese Hand Grenade	-02 Nos.
j.	Nokia Mobile	-01 No.
k.	Pocket Diary	-01 No.
l.	01 wallet containing Rs. 101.	

In this encounter S/Shri Jukti Prasad Gautam, Naib Subedar and Thokchom Deven Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20.02.2010.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 168–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Roshan Gurung,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 18 Dec 2009, 02 Airtel officials were abducted by KCP (MC) militant group for extortion from Airtel authorities. On 26 Dec 2009, after meticulous planning, two sections of Delta and Bravo Company of 39 Assam Rifles cordoned few suspected huts in village Mapao Khullen. A small team of Delta Company and Imphal West Commandos under Captain Sandeep Sreedharan moved in towards the hut. After the first hostage was rescued, the troops kept tracking and following the militants on foot for more than 76 hours on a treacherous hilly terrain. Rifleman Roshan Gurung showing highest traditions of the Armed Forces volunteered to be with his Company Commander throughout the operation. On 28 Dec 2009 after rescuing the second hostage, the joint troops involved in a firefight. After one of the terrorist was shot dead, the rest of the terrorists started firing indiscriminately in a bid

to escape. Capt Sandeep Sreedharan started chasing them, meanwhile Rifleman Roshan Gurung provided accurate covering fire to his buddy Capt Sandeep Sreedharan and assisted him in shooting down the fleeing terrorist. The operation resulted in rescue of two hostages, elimination of two hardcore terrorists and recovery of arms and ammunition. The following items were recovered from the site of encounter:-

Killed :- 2 Terrorists.

Recovered:- AK 56 Rifle - 01, Magazine AK 56 -01, Live rounds AK 56 –15, FCC AK 56- 20, M 20 Pistol-01, Magazine Pistol -01, Live rounds 9mm Pistol -05 & FCC 9mm Pistol -10.

In this encounter Shri Roshan Gurung, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28.12.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 169–Pres/2011- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

01. Bajrangi, Constable (Posthoumously)
02. Arup Das, Constable (Posthoumously)
03. Vishnu Puri, Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 06th August, 2010, a Patrolling Party consisting of 12 members led by Sub Inspector Ratneshwar Deka of Ratiapara Forward Standing Patrol location, left the camp at about 0900 hrs to provide protection to NBCC workers.

Constable Arup Das and Constable Bajrangi were leading the Patrolling Party as Scout Number One and Two respectively, and were moving ahead covering each other in a tactical manner followed by Constable Vishnu Puri. As the terrain was hilly, covered with thick jungle, all the members of the Patrolling Party were maintaining proper distance as per formation. At about 0920 hrs, when the patrolling party reached near a twin Tekri, after covering about 800 Mtrs, the Armed Militants, who had laid an ambush, suddenly, opened heavy volume of fire form automatic weapons and simultaneously blasted an IED, as a result of which, Constable Arup Das and Constable Bajrangi sustained grievous bullet/splinter injuries.

The IED explosion and the heavy volume of fire pinned down the patrolling party initially. But without losing their nerves, the members of Patrolling Party immediately took position and started retaliating the militants aimed fire. Constable Arup Das despite having sustained grievous injuries, exhibited combat audacity and high degree of courage and determination by continuously retaliating the fire by taking judgement from the direction of the Militant's fire. Realizing sudden loss of strength, Constable Arup Das made a valiant effort to reach his buddy amidst heavy firing, by rolling back approx 50 Mtrs and continued retaliating the militant's fire.

Taking advantage of the situation and undulated terrain, Militants tried to close-in, to snatch the weapons of Constable Arup Das, but could not succeed as Constable Bajarangi, despite being grievously injured, displayed indomitable courage and determination and gave covering fire to Constable Arup Das by engaging the militants by his LMG and continued to retaliate the militants fire by shifting his position by rolling and crawling. In this encounter, Constable Bajarangi and Constable Arup Das instead of retreating to a safer position to save their lives, chose to fought valiantly by displaying exemplary courage, determination and combat audacity with utter disregard to their personal safety. Constable Bajarangi kept on fighting the militants till he attained the Martyrdom.

Constable Vishnu Puri while retaliating the militant's fire, having observed the valiant action of Constable Bajrangi and also that his LMG was silent now, took a split-second decision and ran amidst heavy fire defying complete danger to his own life, and reached the LMG position before the militants could lay their hands on the LMG. In this do- and –die situation, Constable Vishnu Puri displayed a high level of courage and professional abilities, took hold of the LMG, and opened heavy volume of fire towards the militants, which forced them to flee. Constable Arup Das who sustained grievous bullet/splinter injuries attained the Martyrdom while being evacuated to GB Hospital, Agartala (Tripura).

After completion of the operation, the entire area of ambush site was searched and following items belonging to the militants were recovered form the spot:-

(a)	EFC AK-47	-	35 Nos.
(b)	EFC 7.62 mm	-	26 Nos.
(c)	Live Round 7.62	-	02 Nos.
(d)	Grenade Safety Pin	-	01 No.
(e)	Electric Wire	-	116 Feet
(f)	Small Battery	-	01 No.

In this encounter S/Shri Late Bajrangi, Constable, Late Arup Das, Constable and Vishnu Puri, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 06.08.2010.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No. 170–Pres/2011- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**Prakash Ranjan Mishra, Assistant Commandant**	**(2nd Bar to PMG)**
02.	**Kuldeep Raj, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 16/9/2008 a specific tip off regarding movement of CPI (M) activists of Krishna Yadav Group in bordering area of Katkamsandi Police Station in Hazaribag District and Simariya Police Station in District Chatra. S.P. Hazaribag, Commandant-22 Bn. Shri P.R Mishra Asstt Comdt. O.C D/22 planned special operation "Search and Raid". Two platoon of D/22 was prepared and divided into three groups consisting of Raid Group led by Sh. P.R. Mishra, Assistant Commandant with 6 personnel, cordon Group led by S.I. Ramphal having 30 personnel and Reserve Group led by Head Constable, Govinda Raj having 12 personnel. After detailed briefing the troops left for special ops at 2100 hrs and reached police station Katkamsandi. Then CRPF troops along with O.C P.S Kathkamsandi with his protection party left for the target area on foot. After covering approx 15 Kms, the troops reached near village Ghama and waited on a hill top for first light. At 0500 hrs, when the troops were searching the area, Shri P.R Mishra, who was infront sensed some suspicious movement on hills. He ordered SI Ramphal to cordon the hill from the right side. Some Naxals who had taken position behind boulders started firing on the raid party. Shri P.R. Mishra who was in front took psotion and retaliated. He ordered the Raid Party to advance with him. While some Naxals fired on the raid party from a nallah, other Naxals fired from rocky hills. Advancing tactically by crawling towards the Naxals despite heavy fire, Shri P.R. Mishra A/C along with Raid Group reached very close to the Naxals and fired. A fierce encounter followed. Without caring for their own lives, Shri P.R. Mishra, A/C

and Constable Kuldeep Raj reached very close to the Naxals and fired on them killing a naxal who was later identified as Jitendra Yadav, and inflicting injuries to many others. The tactical approach and extreme courage of the officer and Constable Kuldeep Raj forced the Naxals to flee. One Hard core Naxal was killed during the encounter who was later identified as Jitendra Yadav -22 years (Section Commander). The following recoveries were also made from the spot:-

S.N	Name of Arms/Ammns and Articles recovered	No. of Items recovered
01	7.62 MM SLR	01
02	.303 Bolt Action Rifle	01
03	7.62 MM Amns	167 Rounds
04	303 Ammmunitions	148 Rounds
05	30.06 rounds	126 Rounds
06	6.7 Ammunition	14 Rounds
07	SLR Magazine	02 Nos
08	303 Magazines	01
09	Charger clip 7.62	04
10	Charger Clip 30.06	07
11	Charger .303Ammn	25
12	Electronic Detonator	01
13	Naxals Literature	01
14	Levy receipts	02
15	Pithu	10
16	Indian Currency	19,000/-

In this encounter S/Shri Prakash Ranjan Mishra, Assistant Commandant and Kuldeep Raj, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.09.2008.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No. 171–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Moula Husain,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On receipt of information about assembling of Maoist at Village-Mathiya under PS-Muffasil, a joint police party of CRPF (2 Platoons) and Civil police under command of Sh. Rajesh Kumar, Dy. Commandant proceeded for raid and search operation on 17/11/08 at 1700 HRS after proper planning and briefing. On approaching the village, which was around 1-2 K.M from the main road, the troops were bifurcated to surround the village. When the troops were surrounding the village, indiscriminate firing started on the troops and the troops also retaliated in self defence. Some the personnel were near the small pucca house from where the firing was continuing. There were other houses also from where the fire was coming but our troops had positioned themselves tactically. SI/GD Nausad Ali and CT/GD Moula Hussain, CT/GD Manjunath, HC/GD Ishwardan Charan and HC/GD Sarwan Singh were at very close range from the aforesaid pucca house which they had surrounded from three sides. During this period CT/GD Moula Hussain even after sustaining injury on his eye, immediately positioned himself in a narrow alley and in the ensuing battle he shot at the naxal who was firing indiscriminately on the troops and killed him. Another naxal was killed in firing of SI Nausad Ali, Bhera Ram and CT Moula Hussain. HC/GD Ishwardan Charan kept on eye on the firing pattern of Naxals who had positioned themselves in a house in solid defence and in a split second from an extremely close range he dropped a grenade between the Naxals risking his life in the bullets, which caused casualties to them. By this time more Naxals had gathered from other areas and kept on firing on the troops. While the firing ensued for a long duration. HC/GD Sarwan Singh who was QAT commander kept changing his position frequently and led the QAT from the front. Shri Rajesh Kumar, Dy. Commandant decided to enter the vehicle in the firing zone risking his life in B.P. vehicle to pull back the troops who might get caught and overwhelmed by the sheer number of the armed Naxals. In the process he evacuated them to safer area while the firing continued from both ends. After few hours of firing, Naxal escaped taking advantage of darkness. A house to house search was done. After the search

two dead bodies were recovered and three suspected women naxalites were apprehended alongwith one 303 bolt action rifle, 303 rifles live rounds-56 Nos, empty case of 7.62 mm 30 Nos, 7.62x39mm A.K.-47-12 Nos, 303 rifle rds-101 No., and electronic detonator-03, signal set (kenwood)-01 No., Motorola set-01 Nos (VHP), cloths/golden jewellery, and Naxal literature etc. The blood spots at the site suggested that there were many more casualties on the side of the naxals. The operation not only neutralized the naxalites but effectively eroded the morale of naxals in the area.

In this encounter Shri Moula Husain, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.11.2008.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No. 172-Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

01. Uday Divyanshu,
Deputy Commandant
02. Pancham Lal,
Assistant Commandant,
03. Anand Prasad Gotwal,
Assistant Commandant
04. Mangla Prasad,
Sub Inspector
05. Sri Kishan,
Head Constable
06. S.Y. Reddy,
Constable
07. Lal Bahadur,
Constable
08. Arun Kumar Pandey,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Specific hard intelligence was received by Dett 202 CoBRA from SP West Midnapur that 20 to 25 Maoist armed cadres under the Goaltore Area commander Sidhu Soren are assembling in dense Kayma –Metala jungles under Goaltore PS. Four (04) teams of Dett 202 CoBRA divided into three Groups of (A) (B) and (C) under respective team commanders accompanied by Civil Police representative Shri Chandra Sekhor Bardhan DSP (crime) WB Police were formed to carry out this operation. The Operation was led by Shri Uday Divyanshu, Dy Commandant 202 COBRA who launched seek / destroy ops from 25-07-10 at 2230 hrs. onwards.

At about 0400hrs on 26/7/10 and while combing the difficult terrain in the thick dense Jungles, Group C under Shri Pancham Lal, AC, spotted the Maoist hideout and advanced towards the hideout. It came under heavy volume of indiscriminate fire /IED blasts set by Maoist cadres from well fortified positions.

Shri Pancham Lal, AC without loosing time decided to counter attack from three axes under three different assault teams. Central axis comprising Shri Pancham Lal AC himself, CT/GD Ashish Kumar Tiwari, CT/GD S Y Reddy, CT/GD Lal Bahadur, right flank axis comprising SI/GD Mangala Prasad, HC/GD Sri Kishen, left flank axis comprising CT/GD Arun Kumar Pandey, Sh Chandra Sekhar DSP (Crime) WB Police assaulted towards the hideout/objective.

Notwithstanding the heavy volume of effective fire brought upon by Maoists, they advanced amidst thick/dense SAL jungles under zero visibility conditions, tactically negotiated IEDs and launched a daring close quarter action which resulted in the immediate neutralization of 05 armed Maoist cadres. The most wanted Maoist squad commander Sidhu Soren was caught in a face to face attack with Sh Pancham Lal and CT/GD Ashish Kumar Tiwari and in the heavy exchange of fire which resulted in neutralization of Maoist commander, CT/GD Ashish Kumar Tiwari also sustained fatal gunshot injuries around his neck. Other remaining armed Maoists fled from the location.

Alerted about the fleeing of Maoists from the hideout, Shri Uday Divyanshu, DC, Shri Anand Gotwal AC in a daring hot pursuit of the fleeing Maoist cadres amidst thick jungles and inhospitable conditions neutralized one armed Maoist cadre and effected huge cache of arms/ammunitions / IEDs/explosives / Seditious materials left by the fleeing Maoists.

In executing this operation, the Commandos displayed exceptional bravery, conspicuous gallantry, tactical acumen against all odds/ trying terrain/ adverse conditions, sharp marksmanship skills under exacting circumstances. Their unparalleled courage could effect an outstanding operational success, where 06 hardcore armed Maoists were neutralized.

In this encounter S/Shri Uday Divyanshu,Deputy Commandant, Pancham Lal, Assistant Commandant, Anand Prasad Gotwal, Assistant Commandant, Mangla Prasad, Sub Inspector, Sri Kishan, Head Constable, S.Y. Reddy, Constable, Lal Bahadur, Constable and Arun Kumar Pandey, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26.07.2010.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No. 173–Pres/2011- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**Kanhaiya Singh, Assistant Commandant**	**(2nd Bar to PMG)**
02.	**Dhanna Lal, Head Constable**	**(PMG)**
03.	**Pappu Kumar, Constable**	**(PMG)**
04.	**Diwakar Kumar Pandey, Constable**	**(PMG)**
05.	**Jarnail Singh, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On getting specific information regarding presence of CPI(Maoist) Cadres in the area bordering Palamu & Garhwa Distt, a joint operation was planned by Shri B K Sharma, Commandant, SP Palamu and SP Garhwa in the village Harta under PS-Bhandaria of Distt-Garhwa on 11.01.2008. Since the place was located in a very tough terrain of Garhwa & Palamu border, two platoons each of C/13 and A/13 were pressed in the operation at 1300 hrs from Garhwa and Palamu Disttt respectively. When two platoons of C/13 alongwith civil police components from Bhandaria were approaching village Harta, the party was fired upon heavily by naxalites numbering about sixty. The CRPF party retaliated gallantly forcing naxalites to flee. On getting this information two platoons of A/13 led by Shri Kanhaiya Singh, AC under supervision of Shri Sarang, DC advanced towards the direction of possible retreat of naxalites. As soon as the party was negotiating thick vegetation tactically at the border of Village-Banalat it intercepted a group of heavily armed naxalites. The extremists opened indiscriminate firing on CRPF troops from a proximate distance. The CRPF party immediately took positions. Despite all odds like dense vegetation, heavy firing coupled with falling darkness, Shri Kanhaiya Singh, A/C took initiative and putting his life in grave risk along with HC/GD Dhanna Lal, retaliated bravely

and killed the scout of naxalites. In this hot pursuit of gun battle, both of these stalwarts located the advance of enemy from other flanks. In the mean time CT/GD Pappu Kumar, CT/GD Diwakar Kumar and CT/GD Jarnail Singh got the time and they also retaliated gallantly and killed another naxalites. Firing continued for about two and a half hrs. Because of darkness, thick vegetation and intermittent firing from naxalites, search operation was carried out in the morning resulting in the recovery of three dead bodies of naxalites, huge quantity of arms/amn and other items.

The following arms/ammunitions/items were recovered from the site of encounter:-

(a)	Rifle 315 with Magazine	-	01 No.
(b)	Rifle .303 with Magazine	-	01 No.
(c)	.303 Live Rounds	-	02 Nos.
(d)	315 Bore Live Rounds	-	02 Nos.
(e)	315 bore misfired rounds	-	01 Nos.
(f)	Pithu	-	05 Nos.
(g)	Cash	-	Rs.5,800/-
(h)	Mobile with Smart Sim Card		
(i)	Wrist Watch	-	02 Nos.
(j)	Levy collection Receipt	-	01 No.
(j)	Naxal Literature		
(k)	Daily use articles		

In this encounter S/Shri Kanhaiya Singh, Assistant Commandant, Dhanna Lal, Head Constable, Pappu Kumar, Constable, Diwakar Kumar Pandey, Constable and Jarnail Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.01.2008.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No. 174–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

01.	**Parsuram Singh,** **Sub Inspector**	
02.	**Rajender Rai,** **Head Constable**	**(Posthumously)**
03.	**Vasava Vijay Kumar,** **Constable**	**(Posthumously)**
04.	**Rajesh Kumar Jat,** **Constable**	**(Posthumously)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On the evening of 02/09/2008 , SHO Police Station Kusmi, Distt. Balarampur requisitioned two platoons of D/81 Bn. CRPF deployed at Kusmi for anti-naxal search operation for two days in the general area of North Samri from 03/09/2008 morning. Accordingly, two platoons of D/81 Bn consisting of 48 men under command of SI/GD Parsuram Singh moved towards Samari-Sabaag at 0600 hrs on 03/09/2008 by road tactically and reached Sabaag at 1000 hrs where civil police party consisting of 20 personnel under command of SI Brajesh Tiwari joined. Both party commanders discussed the operational plan in details and established joint base camp at Sabaag. The joint party further moved towards Banderchuan and after travelling about 7-8 kms from Sabaag, the party detected an IED weighing about 10-12 Kgs of explosive, with two detonators, one nine volt battery and 73 meter electric wire which later was de-activated.

On 04/09/2008, Platoon commander SI/GD Parshuram Singh of D/81 and SI Brajesh Tiwari of civil police analysed the situation, intelligence leads, pattern of movements and shelters in the area of naxalites with the party and moved towards Chunchuna by adopting appropriate formations according to terrain while approaching one pokhri nala, last section come under IED blast triggered by naxalities followed by heavy volume of firing. The party immediately took tactical position and started firing. In the gun battle HC/GD Rajendra Rai and CT/GD V.

Vijay Kumar got bullet injuries during initial firing and died on spot. Before they succumbed to their injuries, they displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of very high order amidst such adverse situation.

However, CT/GD Rajesh Kumar Jat who took position with LMG retaliated and inspite of sustaining injuries on his right hand collide to engage the naxals in the intense firing which continued for about an hour. Inspite of injury, Ct Rajesh Kumar Jat changed his position by crawling and continued firing gallantly on the naxals who were firing from LMG/AK-47 and was able to effectively neutralize the LMG firing. He died after end of encounter about one and half hours.

The naxals were firing from vantage point from approximately twenty morchas. SI/GD Parshuram Singh (party commander) exhibited exemplary courage and leadership by guiding his men for adequate cover and focused firing and being a party commander, use of HE bombs was very good decision resulting in destruction of a few morchas of naxals and injuries to a few of them.

The entire gallant act by the party manifested highest degree of professionalism, great sense of mutual support/coordination and brave retaliation which compelled naxalites to run for their lives. In this encounter, 543 rounds were fired by the personnel of D/81 besides 10 Nos. of Rifle Granades, hand grenades and HE bombs.

In this encounter S/Shri Parsuram Singh, Sub Inspector, Late Rajender Rai, Head Constable, Late Vasava Vijay Kumar, Constable and Late Rajesh Kumar Jat, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04.09.2008.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No. 175–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Gonili Bala Krishna, Constable

02. Sami Ullah Pandit, Constable

03. Amardeep, Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On receipt of information from SDPO Charar-e-sharief on 29/09/2007 regarding.presence of militants in Tujan Village area, the Commandant-181 Bn detailed Shri Sanjeev Kumar Singh, Asstt. Commandant along with his troops to search/cordon the area. Shri Ahmadullah D/C, 181 Bn along with QRT also reached the spot. During firing between 53 RR and militants upto 2300 hrs, the militant entered into the mosque. At approx 2315 hrs, 53 RR withdrawn their deployment from the surrounded mosque for one or other reasons. During such compelling reason SDPO, Chara-e-sharif requested Sh. Ahmadullah, D/C to cordon the mosque so that militants could not escape. Platoon of G/181 Bn along with QRT 181 Bn and Civil police cordoned the mosque with a meticulous planning and one more Coy demanded by SDPO from Comdt. C/181 under command Sh.N.S.Choudhary A/C was also deployed immediately.

Shri S.K.Sharma Commandant 181 Bn, CRPF, reached the site with (QRT) party and took command of the situation. There were two doors in the mosque. Keeping in view of safety and security, one door was guarded by CT/GD G. Balakrishna and another guarded by CT/GD Samiullah Pandit, CT/GD Amardeep and Shri Sanjeev Kumar Singh, A/C.

Suddenly One militant ran away from Mosque through the door and started firing indiscriminately on the Force Personnel. CT/GD G.Balakrishana retaliated and killed one militant namely Nazir Ahmad Dar of HM. Another militant from second

gate started heavy fire on Shri Sanjeev Kumar Singh A/Comdt. Said officer in reprisal firing from his weapon ordered CT/GD Samiullah Pandit and CT/GD Amardeep to open fire on militant. In the face of heavy volume of fire from militant, the above CTs engaged the militant by direct accurate fire on him and killed second Militant namely Khursid Ahmed Rather of HM.

To ensure complete success of the operation, Shri N.Bhardwaja, DIGP CRPF Srinagar, Shri S.K.Sharma, Commandant-181 Bn, Shri Puran Singh, 2-I/C, led the room intervention party recovered dead bodies of two killed militants along with one AK-47 rifle with magazine, one 9 mm carbine with magazine, one Chinese pistol with magazine and one broken wireless set.

In this encounter S/Shri Gonili Bala Krishna, Constable, Sami Ullah Pandit, Constable, and Amardeep Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30.09.2007.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No. 176–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Raj Kumar,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 24/5/2009, reliable information was received through S.P. Hazaribagh that a group of armed Naxals are indulging in levy collection at Village- Dadiatola, Jamuniatari under P.S Chouparan in Distt- Hazaribagh. On the basis of above input, a special raid/search operation was planned by Shri Ajit Sangwan, Second in Command-22 Bn with S.P. Hazaribagh. The troops were briefed about the operation and reached PS Chouparan at 1530 hrs. After a short briefing on tactics and planning by S.P. Hazaribagh CRPF troops moved towards 'Eitkhori' Village by vehicles. The Vehicles were left at village 'Eitkhori' and troops moved on foot towards the village 'Dadiatola' (Jamuniatari) tactically through deep forest. At about 1730 hrs, when CRPF troops reached about 500 yards away from village Jamuniatari, CT/GD Hem Raj, who was in the front formation, noticed a gathering of women and children from left side of village by his Binocular. He alerted the Platoon Commander about his apprehension that the gathering might be the collection point of levy of the Naxals. After confirming the information, the Coy Commander alerted the entire troops and asked SI/GD Bishan Das to advance with his front section and cordon the gathering from a short distance to ensure safety of women and children in case of firing. On being alerted the troops advanced tactically and wading through a 3 to 4 feet deep nallah proceeded towards the gathering. When the CRPF troops were about 150 yards away from the gathering site, a woman noticed the tactically moving troops and shouted loudly "BHAGO-BHAGO POLICE AAGAI". Immediately the leading section rushed towards the gathering, attained tactical position and challenged them. Mean while a Naxal Commander who had taken vantageous position started firing upon the CRPF party. The alert troops did not panic and continued to advance tactically towards the gathering spot. During their advance they noticed some naxals moving towards the hilly terrain and dense forest and some firing from right, left and from front hill direction. CT/GD Raj Kumar who was in the leading section, crawled and reached very near that is about 50 yards distance from the extremist, firing towards the troops, and swiftly gunned him down. This extremist

aged about 35 years was wearing uniform. But another naxal who was in support of the deceased naxal continued firing at CRPF troops and as a result, CT/GD Raj Kumar sustained bullet injury on the front portion of his shoulder. Despite his injury CT/GD Raj Kumar continued firing from close range due to which the Naxals left their entrenched positions and started running towards the hill side. Meanwhile, wounded CT/GD Raj Kumar noticing the fleeing naxals aimed at one of them and shot one naxal dead. After killing the extremists, he cried out for help stating that "Mujhe Chot Lag Gaya Hai"..

HC/GD Ganesh Das who heard him shout crawled and reached near him and then brought him to a safer place some 30 yards back where the Coy Commander and two other colleagues of the wounded constable wrapped his wounded shoulder with three black Patkas (cloth) to stop the bleeding. The Coy Commander immediately informed S.P. Hazaribagh, who was supervising the complete operation. The S.P. Hazaribagh promptly deputed a party of seven CRPF Jawans and a section of JAP Jawans under command of OC P.S. Chouparan who evacuated the CT/GD Raj Kumar to the Government Hospital Chouparan for immediate first aid and thereafter he was shifted to Apollo Hospital Ranchi for operation. In the meantime, the extremists taking cover of the Jungle and hillocks brought heavy fire upon the CRPF troops. In retaliation the Coy Commander ordered to fire 02 Nos HE Bomb upon them one by one. Then the Naxalites started running back by taking shelter of deep forest, undulating ground, Barsati Nala, high hills and darkness. Shri Ajit Sangwan, Second in Command, alongwith QRT also reached as re-enforcement at the incident site. CRPF troops fired 01 Para bomb and searched the whole area. During search, CRPF troops recovered two dead bodies of unidentified Naxals equipped with .315 rifle- 01, .315 ammns- 28Nos., ,303 ammns- 51 Nos, 9 mm Amns-06 Nos., Pistol grip of AK-47 01 No and Naxal literature-01 No.

In this encounter Shri Raj Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24.05.2009.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No. 177–Pres/2011- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**Nalin Prabhat,** **Deputy Inspector General**	**(1st Bar to PMG)**
02.	**Praveen Kumar,** **Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 30 Jan 08, before dawn, Malik Mohalla of Watipora was cordoned, by JKP, CRPF and 1 RR, on specific intelligence. This mohalla, consisting of seven houses, is 500 mtrs away from the main village, situated on a dominating high ground, surrounded by snow covered (that day) agricultural fields, and ringed by poplar trees, thus preventing access to BP vehicles.

At first light, when the troops tried to reduce the cordon's depth, by moving ahead, the terrorists, occupying different houses, started heavy firing, in all directions. As there appeared no likelihood of the troops being able to close in to the Mohalla, DIG Ops, Shri Nalin Prabhat, confabulated with the officers of CRPF, JKP and RR and decided to launch two assault teams, to penetrate and reach the mohalla as follows :

TEAM I

a) Shri Nalin Prabhat, DIG Ops.
b) SI Tarenjeet Singh, PID No.EXK046149.
c) Constable Pervaz Ahmad, No.431/AP 14th.
d) Constable Suresh Kumar, No.479/AP 14th.
e) Constable Mustaq Ahmad, No.369/Kgm.
f) No.041745432 CT/GD Praveen Kumar, 174 CRPF.

TEAM II

a) SI Mohd Yousuf Mir, PID No.ARP046106.
b) Constable Azad Ahmad Rather, No.1432/A.
c) Constable Mehrajudin, No.1063/A.
d) Constable Rakesh Kumar, No.1047/A.

The first team stormed towards the mohalla, despite being fired at and scrambled on the slushy slope, to the high ground, taking cover of a BP shield. Breaking a rear window, of the first house, Shri Nalin Prabhat shot his way in, followed by other team members, forcing the terrorists to move to an adjacent house. Then the second team moved ahead to the second house (in clockwise direction) which was similarly cleared and occupied. Another four houses were cleared and occupied by the same drill, by the two teams, forcing the terrorists to concentrate in the last house. All the while, Ct Praveen Kumar remained glued to the DIG's back, unhesitatingly covering his buddy's back in a supreme example of esprit de corps.

Shri Nalin Prabhat used diversionary tactics, directing the cordon to fire on the target house's roof, and simultaneously led the final assault, with a double entry. Both assault teams surged ahead, unmindful of the danger to their lives, with the holed up terrorists making their last stand and shooting blindly. The lightening assault, successfully, neutralized all four terrorists, who were identified as :

(a) Sajjad Ahmed Bhat
Distt. Commander]
(b) Farooq Ahmed War AllHizb-ul-Mujahideen

(c) Javed Ahmed Matoo
(d) Firdaus ahmed Wani

The following recoveries were made :

i)	AK 47 Rifle	-	03 nos.
ii)	Chinese Pistol	-	01 no(without Magazine).
iii)	AK Magazines	-	03 nos.
iv)	AK Ammunition	-	74 rounds.
v)	Magazine Pouches	-	02 nos.

It is pertinent to mention that Sajjad Bhat executed the Budroo massacre, in Jun 06, in which 9 Nepalese were killed.

This was a spectacular operation, in the sense that there was neither collateral damage nor own casualties and it was completed in record time, despite the terrorists being in a 'built up area' on dominating ground.

In this encounter S/Shri Nalin Prabhat, Dy. Inspector General and Praveen Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30.01.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi-110001, the 28th November 2011

RESOLUTION

No, E-11011/1/2006- Hindi:- According to the Department of Official Language O.M. No.-II/20015/45/87-OL (A-2) dated 15.03.1988, 4.5.1989 and O.M. No. II/20015/64/89-OL (A-2) dated 11.1.1990, O.M. No. II/20015/6/92-OL (A-2) dated 10.6.1992 and O.M. No. II/20015/4/2000-OL (Policy-2) dated 31.5.2000. Government of India hereby constitutes the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Panchayati Raj as under :-

COMOPSITION

MINISTER OF PANCHAYATI RAJ **Chairman**

Non Official Members

Two MPs from Lok Sabha

1. Dr. Prabha Kishore Taviad — Member
2. Shri Pralhad Venkatesh Joshi — Member

Two MPs from Rajya Sabha

3. Shri Avinash Pande — Member
4. Shri Saman Pathak — Member

Two MPs from the Committee of Parliament on Official Language

5. Shri Suresh Kashinath Tawre, MP, Lok Sabha — Member
6. Shri Gajanan D Babar, MP, Lok Sabha — Member

Representative from Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68 Sarojini Nagar, New Delhi

7. Shri Mohan Prakash Dube — Member
25/5, Sector -1, Pushp Vihar,
New Delhi - 110017

Representative from Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, Samudayika Kendra (D.M.C) 10788-89 Jhandewalan Road, Nabi Karim, New Delhi- 110055

8. Dr. S. Tankmani Amma — Member
(Chairman, Kerala Hindi Prachar Sabha)
Moni Mandiram, P.O. Anayara, Tiruvananthpuram

Non-official members nominated by the Ministry of Panchayati Raj

9. Shri Anurag Chaturvedi , Writer, Poet, — Member
Journalist and Social Worker,
9, Himalaya , NCH Colony,
Kanjoor Marg(West), Mumbai-400078

10. Shri Vedvyas, Literator — Member
Ex-Chairman, Hindi Acadmy,
Rajasthan Sahitya Academy and
Rajasthani Academy
7/122 , Malaviya Nagar, Jaipur-302 017

11. Shri Gulab Kothari, Literator and Chief Editor, — Member
Rajasthan Patrika, Kesar Garh,
Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur-302004

12. Shri Narendra Sharma — Member
Tiranga, 368, Harisganj, Cant.,
Kanpur-208004

Non- official members nominated by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language)

13. **Shri Jamaluddin Mohammad Yaseen Sanjar** — **Member**
S/o Shri Mohammad Yaseen Sanjar
Room No3 , Sector-F, E-2 Lane,
Cheetah Camp, Trambey, Mumbai,-400 088,
Maharashtra(Ph.09867364990)

14.	**Shri Joseph Chirmatil** **SES College, Shri Kannad Puram,** **Kunnur, Kerala-673635** **(Ph.0460-2265685, 09495370084)**	**Member**
15.	**Shri Anuj Bhardwaj** **S/o Shri Parashram Bhardwaj,** **A-53/D, Panchsheel Vihar, Malviya Nagar,** **New Delhi-110 017** **(Ph.09810465184, 09808111157)**	**Member**

Official Members

Ministry of Home Affairs (Department of Official Language)

16. Secretary	**Member**
17. Joint Secretary	**Member**

Ministry of Panchayati Raj

18. Secretary	Member
19. Additional Secretary	Member
20. Additional Secretary	Member
21. Joint Secretary	Member
22. Joint Secretary	Member
23. Joint Secretary	Member
24. Director	Member
25. Director	Member
26. Deputy Secretary	Member
27. Deputy Secretary	Member
28. Joint Director	Member
29. Economic Adviser	Member Secretary

FUNCTIONS

2. The functions of the Samiti will be to render advice for the implementation of the policies laid down by Kendriya Hindi Samiti and Department of Official Language regarding the use of Hindi for official purpose in the Ministry of Panchayati Raj.

TENURE

3. The tenure of the Samiti normally will be three years from the date of its composition subject to the following:-

(a) a member, who is a Member of Parliament, will cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament ;
(b) ex-officio members of the Samiti shall continue as member so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti ;
(c) a member nominated against a vacancy arising in the Samiti due to the death or resignation of any member shall hold office only for the residual term out of the original period of three years.

HEADQUARTERS

4. The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi,

TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

5. The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide their Office Memorandum No. II/20034/04/2005-OL (Policy-2) dated 03 February, 2006 has stated that as the 15 non-official members include 6 Members of Parliament, nominated in the Hindi Salahakar Samitis constituted by Central Ministries/Departments, so the provision regarding traveling/daily allowance is made more elaborate in the following manner:-

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid travelling allowance and daily allowance as per the provisions in the "Members of parliament (Salary, Allowance& Pensions) Act, 1954", amended from time to time and rules made thereunder.
(b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No.II/22034/04/86-O.L - (A-2) dated 22nd January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be send to all the members, all State Governments, Administrations of Union Territories, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's office, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues, Election Commission, Union Public Service Commission and all Ministries and Departments of the Government of India.

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

(AVTAR SINGH SAHOTA)
Economic Adviser,

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPEMNT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 30th November 2011

RESOLUTION

No. F. 3-14/2011. U. 3—

Whereas the previous Council of India Council of Historical Research (ICHR) was constituted on the 26th September, 2008; the term of the Council having expired on 25th September, 2011, the Government of India has resolved to re-constitute the Indian Council of Historical Research under Rule 3 of the ' Rules of the Indian Council of Historical Research, New Delhi, 1972', with the following members for a period of three years w.e.f. the date of this resolution or the date of the first meeting of the re-constituted Council, whichever is later:

I. Professor Basudev Chatterji. — Prof. Basudev Chatterji has assumed the Charge of ICHR as the Chairman w.e.f. 20.05.2011 for a period of three years

II Eighteen historians nominated by the Government of India

i. Professor Iqtidar Alam Khan, Taban College, 4/758, Friends Colony, Dodhpur, Aligarh- 202002.

ii. Prof. M.L.K. Murty, 408, Sunaina Tower, Air Lines Colony, Bapuji Nagar, New Bowenpally, Secundarabad- 500011.

iii. Prof. Mariam Dossal Al-Dossal, 2nd Floor, 50, Pali Road, Bandra (West), Mumbai- 400050.

iv. Prof. Hari Shankar Vasudevan, 5, Ashraf Mistrilane (Lovelock Street, Opp. Ballygunge Military Camp), Kolkata- 700019.

v. Prof. D. Nath, Department of History, Dibrugarh University, Assam.

vi. Prof. B. Surendra Rao, Amritavarshini Assaigoli, Konaje, Mangalagangotri- 574199, Karnataka.

vii. Prof. B.D. Chattopadhyaya, 48, Lawrence Street, Uttar Para, Dist. Hooghly- 712259.

viii. Prof. Narayani Gupta, E-75, Masjid Moth (Greater Kailash-3), New Delhi- 110048.

ix. Prof. T. R. Ghoble Department of History, University of Mumbai, Vidyanagri, Santacruz (E), Mumbai-98.

x. Prof. Suranjan Das, Vice Chancellor, Calcutta University, 87/1, College Street, Kolkata-700073 (WB).

xi. Prof. N. Rajendran, Dean of Arts & Prof. & Head, Department of History, Bharathidasan University, Tiruchirappalli-24.

xii Prof. A. Satyanarayana, Head of the Department of History, Osmania University, Hyderabad (A.P).

xiii. Prof. Onkar Prasad Jaiswal, Mattri Shanti Bhawan, House No. 6, B. M. Das Khajanchi Road, Patna-800004.

xiv. Prof. F. A. Qadri, Department of History, Umsing Mawkynroh, NEHU, Shillong-793022.

xv. Prof. S. N. Dube, Retired Professor of History, 28, Vijay Nagar, Opposite Gaurav Tower, Behind Gyan Vihar School, Malaviya Nagar, Jaipur-302017.

xvi. Prof. B.P. Sahu, Department of History, University of Delhi, Social Science Building, Delhi-110007.

xvii Prof. Aditya Mukherjee, Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi-110067.

xviii. Prof. Rajan Gurukkal, Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala.

III. Representative of University Grants Commission, New Delhi.

IV. The Director General, National Archives of India, Janpath, New Delhi-110001.

V. The Director General, Archaelogical Survey of India, Janpath, New Delhi-110001.

VI. Four persons to represent Government of India.

i. The Secretary (Higher Education), Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Shastri Bhawan, New Delhi.

ii. The Secretary (Culture), Department of Culture, Ministry of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi.

iii. The Financial Adviser, Ministry of Human Resource Development, Shastri Bhawan, New Delhi.

iv. The Director, Anthropological Survey of India, C/o Indian Museum, 27, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata-700016.

VII. Member Secretary, Indian Council of Historical Research, 35, Ferozeshah Road, New Delhi-110001.

ORDER

It is hereby ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R.P. SISODIA
Joint Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011